भारत के

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

राज्य वित्त

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए

संसद के दोनो सदनों के
पटल पर प्रस्तुत
दिनांक 1 AUG 2014

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
वर्ष 2014 का प्रतिवेदन

विषय–सूची		
	पैराग्राफ	पृष्ठ

प्राक्कथन		vii
कार्यकारी सारांश		ix
अध्याय – 1 **राज्य सरकार के वित्त**		
प्रस्तावना	1.1	1
चालू वर्ष के राजकोषीय लेन-देन का सारांश	1.2	1
बजट अनुमान तथा वास्तविकता	1.3	3
राज्य के संसाधन	1.4	3
राजस्व प्राप्तियाँ	1.5	5
संसाधनों का अनुप्रयोग	1.6	8
व्यय की गुणवत्ता	1.7	10
सरकारी व्यय व निवेशों का वित्तीय विश्लेषण	1.8	13
परिसंपत्तियाँ व देयताएँ	1.9	15
ऋण धारणीयता	1.10	16
राजकोषीय असंतुलन	1.11	18
निष्कर्ष	1.12	21
सिफारिशें	1.13	21
अध्याय – 2 **वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियंत्रण**		
प्रस्तावना	2.1	23
विनियोजन लेखों का सारांश	2.2	23
वित्तीय जवाबदेही तथा बजट प्रबंधन	2.3	24
व्यय में कमी के कारण समायोजित वसूलियाँ	2.4	29
रिक्त पदों के लिए अनावश्यक प्रावधान	2.5	29
अन्य लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ	2.6	29
अनुदान सं. 7 – चिकित्सा तथा जनस्वास्थ्य तथा अनुदान सं. 8 – सामाजिक कल्याण की संवीक्षा	2.7	30
निष्कर्ष	2.8	35
सिफारिशें	2.9	35

अध्याय – 3 वित्तीय रिपोर्टिंग		
उपयोगिता प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने में विलम्ब	3.1	37
लेखों की गैर–प्रस्तुति/प्रस्तुति में विलम्ब	3.2	38
दुरूपयोग, हानियाँ तथा गबन इत्यादि	3.3	39
असमायोजित सार आकस्मिक बिल	3.4	39
व्यक्तिगत जमा खाते	3.5	40
उचंत शेष	3.6	41
निष्कर्ष	3.7	42
सिफारिशें	3.8	43

क्रं. सं.	परिशिष्ट	पृष्ठ
1.1	राज्य की रूपरेखा (दिल्ली)	45
1.2	सरकारी लेखों की संरचना एवं बनावट	46
1.3	राज्य सरकार के वित्तों पर समय सारणी आँकड़े	48
1.4	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) की प्रवृत्तियाँ	50
1.5	वर्ष 2002–13 के लिए प्राप्तियों तथा संवितरणों का सार	51
2.1	₹ 50 करोड़ तथा अधिक की बचतों के अनुदानों की सूची	55
2.2	विभिन्न अनुदानों/विनियोगों की विवरणी जहाँ पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त थे	58
2.3	वर्ष 2012-13 के लिए अत्यधिक प्रावधान पर अधिक व्यय का आवश्यक नियमन	64
2.4	अधिक/अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में 10 लाख या उससे अधिक)	65
2.5	निधियों का अधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोजन	66
2.6	वर्ष के दौरान किए गए वास्तविक अभ्यर्पणों (कुल प्रावधान का 40 प्रतिशत अथवा अधिक) की समीक्षा के परिणाम	68
2.7	₹ एक करोड़ तथा उससे अधिक की बचतें जो अभ्यर्पित नही की गई	70
2.8	अवास्तविक बजटीकरण जहाँ सम्पूर्ण प्रावधान सीएसएस तथा एससीएसपी योजनाओं के अन्तर्गत अनुपयोगी रहा	71

2.9	वर्ष 2013–13 के अन्त में व्यय का द्रुतप्रवाह	75
2.10	निकाय/प्राधिकरणों को सहायता अनुदान के अंतर्गत संसद/विधायिका की पूर्व अनुमति के बिना प्रावधान की वृद्धि	77
2.11	31 मार्च 2013 को कुल प्रावधान में से ₹ एक करोड़ या अधिक या 40 प्रतिशत अथवा अधिक की निधि के अर्म्यपण के मामले	80
2.12	वर्ष की अंतिम तिमाही/ मार्च महीने में व्यय	82
2.13	अधिक/अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामलें में ₹ 10 लाख अथवा अधिक)	84
2.14	निधियों का अधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोजन (जहां अंतिम बचतें ₹ एक करोड़ से अधिक थी)	87
3.1	स्वायत संस्थाओं के कार्य निष्पादन को प्रदर्शित करने वाली विवरणी	89
3.2	दुरूपयोग, गबन आदि के मामलों का विभाग-वार/ अवधिवार विवरण (मामले जिनमें मार्च 2013 के अंत तक अंतिम कार्रवाई लम्बित थी)	90
3.3	सरकारी समान की चोरी, दुरुपयोग/हानि के कारण सरकार को हानि के मामलों के संबंध में विभाग-वार / श्रेणी-वार विवरण	91

प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अन्तर्गत रा.रा.क्षे. दिल्ली के उपराज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन के अध्याय I तथा अध्याय II में 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य सरकार के क्रमशः वित्त लेखों तथा विनियोग लेखों की जाँच के उपरान्त सामने आए मामलों पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को सम्मिलित किया गया है। जहाँ भी आवश्यकता थी वहाँ सूचनाएँ रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार से प्राप्त की गई।

'वित्तीय प्रतिवेदन' पर अध्याय III विहंगावलोकन तथा चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकार के विभिन्न वित्तीय नियमों, कार्यविधियों तथा निदेशों की अनुपालना की स्थिति को दर्शाता है।

विभिन्न विभागों तथा सांविधिक निगमों तथा सरकारी कम्पनियों की निष्पादन लेखापरीक्षा तथा लेन–देनों की लेखापरीक्षा से सामने आई अभ्युक्तियों तथा राजस्व प्राप्तियों पर प्रतिवेदन को पृथक रुप से प्रस्तुत किया गया है।

कार्यकारी सारांश

मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए दिल्ली सरकार के लेखापरीक्षित लेखाओं पर आधारित यह प्रतिवेदन राज्य सरकार के वार्षिक लेखाओं का विश्लेषणात्मक पुनरीक्षण प्रदान करता है। प्रतिवेदन की संरचना तीन अध्यायों में की गई है।

अध्याय 1 वित्त लेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित है तथा मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए दिल्ली सरकार के वित्तों का विस्तृत परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है। यह गत पाँच वर्षों के दौरान कुल प्रवृतियों को ध्यान में रखते हुए पिछले वर्ष के कुल मुख्य राजकोषीय संबंधी हो रहे विवेचनात्मक परिवर्तनों का भी विश्लेषण करता है।

अध्याय 2 विनियोग लेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित है और यह विनियोगों का अनुदान–वार विवरण तथा सेवा प्रदान करने वाले विभागों द्वारा किस प्रकार आबंटित संसाधनों का प्रबंधन किया गया था, दर्शाता है।

अध्याय 3 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के दौरान दिल्ली सरकार की विभिन्न वित्तीय नियमावली, कार्यविधियों तथा निदेशों की अनुपालना का विहंगावलोकन है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

अध्याय I राज्य सरकार के वित्त

राजस्व प्राप्तियाँ : राजस्व प्राप्तियाँ ₹ 3167.80 करोड़ (14.15 प्रतिशत) से बढ़ गई। कर राजस्व में ₹ 3459.85 करोड़ की वृद्धि हुई, तथा गैर कर राजस्व में ₹ 166.06 करोड़ की वृद्धि हुई जबकि भारत सरकार से अनुदान ₹ 458.12 करोड़ से घट गए थे। वर्ष 2011-12 की तुलना में वर्ष 2012-13 में राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि (14.15 प्रतिशत) स.रा.घ.उ. में वृद्धि की तुलना में कम थी।

(पैरा 1.2 तथा 1.5)

राजस्व व्यय का कुल व्यय में अधिक अंश: चालू वर्ष के दौरान ₹ 20659.36 करोड़ का राजस्व व्यय गत वर्ष के व्यय से ₹ 2694.51 करोड़ (15.00 प्रतिशत) से बढ़ गया है। 2012-13 के दौरान राजस्व व्यय कुल व्यय (ऋण तथा अग्रिम को छोड़कर) का 83.18 प्रतिशत था।

(पैरा 1.2 तथा 1.6)

विकास व्यय पर अपर्याप्त प्राथमिकता: पूँजीगत व्यय पिछले वर्ष से ₹ 172.36 करोड़ (4.30 प्रतिशत) बढ़ गया। वर्ष 2012-13 के दौरान पूँजीगत व्यय कुल व्यय (ऋणों तथा अग्रिमों को छोड़कर) का केवल 16.86 प्रतिशत था।

(पैरा 1.2 तथा 1.6)

निवेश एवं लाभ : 31 मार्च 2013 को सरकार ने ₹ 16388.15 करोड़ सरकारी कंपनियों, शहरी बैंकों तथा कापरेटिवों में निवेश किया हुआ था। इन निवेशों पर लाभ का 0.16 प्रतिशत विलय कर दिया गया था जबकि 2010-13 के दौरान सरकार द्वारा अपनी उधारियों पर भुगतान किए गए ब्याज का औसत दर 9.73 प्रतिशत था।

(पैरा 1.8.1)

राजकोषीय देयताओं का स.रा.घ.उ. में उच्च अनुपात : राज्य की संपूर्ण राजकोषीय देयताओं में 2008-09 में ₹ 25381.66 करोड़ से बढ़कर 2012-13 में ₹ 29242.71 करोड़ (15.21 प्रतिशत) हो गई। 2012-13 के दौरान ₹ 29242.71 करोड़ की राजकोषीय देयताओं में ₹ 29242.70 करोड़ की लघु बचत संग्रहण तथा ₹ 0.01 करोड़ की अन्य सहकारियों को दी गई सहकारी सहायता सम्मिलित थी।

(पैरा 1.9.2)

राजकोषीय स्थिति : राज्य में राजस्व अधिशेष एक बढ़ती हुई प्रवृत्ति को दर्शाते हुए 2008-09 में ₹ 4589.65 करोड़ से 2010-11 में ₹ 10642.36 करोड़ हो गया। किन्तु, वर्ष 2011-12 के दौरान तीव्र कमी देखी गई तथा यह ₹ 4428.31 करोड़ हो गया एवं 2012-13 में ₹ 4901.61 करोड़ था। राज्य में 2008-09 तथा 2009-10 में प्राथमिक घाटा था जो 2010-11 के दौरान ₹ 3309.12 करोड़ के प्राथमिक अधिशेष में बदल गया। प्राथमिक अधिशेष 2011-12 तथा 2012-13 वर्ष के दौरान क्रमशः ₹ 372.06 करोड़ तथा ₹ 577.93 करोड़ तक घट गया। 2008-09 का ₹ 2824.07 करोड़ का राजकोषीय घाटा 2010-11 में ₹ 729.60 करोड़ के अधिशेष में परिवर्तित हो गया तथा 2012-13 के दौरान ₹ 2284.95 करोड़ का घाटा हुआ।

(पैरा 1.11.1)

अध्याय 2 वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियंत्रण

2012-13 के दौरान ₹ 34515.85 करोड़ के कुल अनुदान एवं विनियोजनों में से ₹ 29938.25 करोड़ का व्यय किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 4577.60 करोड़ की बचत हुई। राजस्व क्षेत्र के अन्तर्गत तेरह अनुदानों एवं एक विनियोजन (लोक ऋण) में से ₹ 2534 करोड़ की बचत और पूंजीगत क्षेत्र के अन्तर्गत ₹ 2043.60 करोड़ की बचत हुई।

(पैरा 2.2)

वर्ष 2012-13 के विनियोजन लेखे दिखाते है कि ₹ 4303.04 करोड़ के पाँच अनुदानो तथा एक विनियोजन से सम्बन्धित 27 मामलों में से प्रत्येक मामले में ₹50.00 करोड़ से अधिक की बचतें हुई।

(पैरा 2.3.1)

आठ उपशीर्षों में ₹ 12.83 करोड़ की राशि के पूरक अनुदान उच्च/अतिरिक्त व्यय की प्रत्याशा में प्राप्त किए गए थे। तथापि अंतिम व्यय यहाँ तक कि मूल अनुदान/विनियोग की अपेक्षा कम था।

(पैरा 2.3.6)

आठ अनुदानों (₹ एक करोड़ अथवा अधिक की बचतों का प्रत्येक अनुदान/विनियोग में संकेत दिया गया था) के अंतर्गत ₹ 3452.32 करोड़ की बचतों में से ₹ 2057.96 करोड़ (बचतों की राशि का 59.62 प्रतिशत) अभ्यर्पित नहीं किया गया था।

(पैरा 2.3.9)

अध्याय 3 वित्तीय रिपोर्टिंग

विभिन्न अनुदानित संस्थाओं को जारी ऋणों और अनुदानो के प्रति उपयोगिता प्रमाणपत्रों (उ.प्र.) को प्राप्त करने में विलंब था। मार्च 2012 के अन्त में ₹ 23105.20 करोड़ की राशि के कुल 4781 अनुदानों में से, मार्च 2013 के अन्त तक ₹ 17389.41 करोड़ के 4593 उ.प्र. विभिन्न विभागों से प्रतिक्षित थे। बकाया 4593 उ.प्र. में से ₹ 5380.92 करोड़ के 2180 उ.प्र. 10 सालों से अधिक समय से बकाया थे।

(पैरा 3.1)

वर्ष 2011-12 तक तीन स्वायत निकायों/प्राधिकरणों के पंद्रह वार्षिक लेखे लेखापरीक्षा को 31 मार्च 2013 तक प्रस्तुत नहीं किये गये।

(पैरा 3.2)

अध्याय–I

राज्य सरकार के वित्त

अध्याय–I
राज्य सरकार के वित्त

यह अध्याय मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के दौरान दिल्ली सरकार के वित्तों का व्यापक परिप्रेक्ष प्रदान करता है तथा गत पाँच वर्षो के दौरान संपूर्ण प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए पूर्व वर्ष की तुलना में प्रमुख राजकोषीय संचयन में होने वाले परिवर्तनों का विश्लेषण करता है। सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते है: (i) संचित निधि (ii) आकस्मिक निधि तथा (iii) लोक लेखे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (रा.रा.क्षे.) दिल्ली सरकार के लेखे दो भागों में रखे जाते हैं - संचित निधि तथा आकस्मिक निधि। दिल्ली में लोक लेखे नहीं है। ऋण से संबंधित लेन–देनों (उन के अलावा जो लघु बचत स्कीमों से संबंधित हैं), जमाओं, अग्रिमों, प्रेषणों तथा उचंत को संघ सरकार के लोक लेखे में विलय किया जाता है। राज्य की राजकोषीय देयताओं में लघु बचत संग्रह शामिल है। रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के शेष को शामिल किया जाता है तथा संघ सरकार के सामान्य रोकड़ शेष का भाग बनाया जाता है और इसे सरकार के पास जमा के रूप में पड़ा हुआ माना जाता है। दिल्ली, संघीय क्षेत्र होने के कारण केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के अंतर्गत समाविष्ट नहीं हैं। वर्तमान में 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यों को प्रदत्त वित्तीय वितरण दिल्ली में उपलब्ध नहीं हैं। दिल्ली को संघीय कर व शुल्कों के राज्य के अंश के बदले केवल विवेकाधीन अनुदान प्राप्त है।

राज्य की रुपरेखा

दिल्ली, एक शहरी राज्य, देश की राजधानी, 1483 वर्ग किमी क्षेत्र में फैली हुई, 11320 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी* की औसत जनसंख्या घनत्व सहित घनी आबादी वाला राज्य है। राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) 2012-13 में ₹ 365726.26 करोड़ था। इसका सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) पिछले दशक में सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत स.रा.घ.उ. (14.94 *प्रतिशत*) की तुलना में उच्च दर पर (18.49 *प्रतिशत*) बढ़ा है। (**परिशिष्ट 1.1**)

1.1 प्रस्तावना

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के वित्त लेखे 16 विवरणियों में निर्धारित हैं जिनमें रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की समेकित निधि व आकस्मिकता निधि में प्राप्तियाँ तथा व्यय, राजस्व व पूंजी प्रस्तुत की गई हैं (**परिशिष्ट 1.2**)।

1.2 चालू वर्ष के राजकोषीय लेने–देनों का सारांश

तालिका 1.1 पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष (2012-13) के दौरान राज्य सरकार के राजकोषीय लेन-देनों का सार प्रस्तुत करता हैं जबकि **परिशिष्ट 1.3** प्राप्तियों तथा संवितरणों का विवरण तथा चालू वर्ष के दौरान सम्पूर्ण राजकोषीय स्थिति का विवरण देता है।

---

* (स्त्रोतः भारत की जनगणना 2011)

तालिका 1.1

चालू वर्ष की राजकोषीय प्रक्रियाओं का सार

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ			संवितरण				
	2011–12	2012–13		2011–12	2012–13		
खण्ड–अ राजस्व	कुल	कुल	खण्ड–अ राजस्व	कुल	गैर–योजनागत	योजना–गत	कुल
राजस्व प्राप्तियाँ	**22393.17**	**25560.97**	**राजस्व व्यय**	**17964.85**	**14160.64**	**6498.72**	**20659.36**
कर राजस्व	19971.67	23431.52	सामान्य सेवाएँ	4347.23	5595.31	143.26	5738.57
गैर–कर राजस्व	460.87	626.93	सामाजिक सेवाएँ	10717.11	5728.63	6008.80	11737.44
संघ कर/शुल्कों का भाग			आर्थिक सेवाएँ	2172.22	2004.17	346.66	2350.82
भारत सरकार से अनुदान	1960.63	1502.52	सहायता अनुदान तथा अंशदान	728.29	832.53	-	832.53
खण्ड–ब पूँजीगत			**खण्ड–ब पूँजीगत**				
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ			**पूँजीगत परिव्यय**	**4004.27**	**4.89**	**4171.74**	**4176.63**
ऋण व अग्रिमों की वसूलियाँ	**376.25**	**724.90**	संवितरित ऋण व अग्रिम	**3345.42**	**2734.03**	**1000.80**	**3734.83**
सार्वजनिक ऋण प्राप्तियाँ*	**556.08**	**922.41**	सार्वजनिक ऋण का पुनर्भुगतान	**1087.88**	**1287.99**	-	**1287.99**
प्रारंभिक नकद शेष$	**7713.20**	**4636.28**	अंतिम नकद अधिशेष$	**4636.28**	-	-	**1985.75**
कुल	**31038.70**	**31844.56**		**31038.70**			**31844.56**

*भारत सरकार द्वारा ऋण व अग्रिम सम्मिलित हैं जो प्रमुखतः छोटी बचतों में अंश के रुप में है।

$नकद शेष को भारत सरकार के साधारण नकद शेष में जोड़ा जाता है।

(स्रोतः वर्ष 2012–13 की दिल्ली के वित्त लेखों तथा प्र. महालेखाकार, दिल्ली के कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार)

पिछले वर्ष की तुलना में 2012.13 के दौरान हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन निम्नलिखित हैं:

- राजस्व प्राप्तियों में 3167.80 करोड़ (14.15 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई थी। कर राजस्व में ₹ 3459.85 करोड़ व गैर-कर राजस्व में ₹ 166.06 करोड़ की वृद्धि हुई, जबकि भारत सरकार से अनुदान में ₹ 458.12 करोड़ की कमी हुई।
- राजस्व व्यय में ₹ 2694.51 करोड़ (15.00 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई जबकि पूँजीगत व्यय में ₹ 172.36 करोड़ (4.30 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई।
- ऋण व अग्रिमों की वसूलियाँ ₹ 348.65 करोड़ (92.67 *प्रतिशत*), जबकि ऋणों का संवितरण ₹ 389.41 करोड़ (11.64 *प्रतिशत*) बढ़ा।
- सार्वजनिक ऋण प्राप्तियाँ ₹ 366.33 करोड़ (65.88 *प्रतिशत*) से बढ़ी जबकि पुनर्भुगतान ₹ 200.11 करोड़ (18.39 *प्रतिशत*) से बढ़ा।
- 2012-13 की समाप्ति पर नकद शेष पिछले वर्ष से ₹ 2650.53 करोड़ (57.17 *प्रतिशत*) से घटा।

1.3 बजट अनुमान व वास्तविकता

राजस्व प्राप्तियों व व्यय के अन्तर्गत बजटीय व वास्तविक आँकड़े **चार्ट 1.1** में दर्शाए गए हैं।

चार्ट1.1 चुने गए राजकोषीय मापदण्डः वास्तविक की तुलना में बजट अनुमान (₹ करोड़ में)

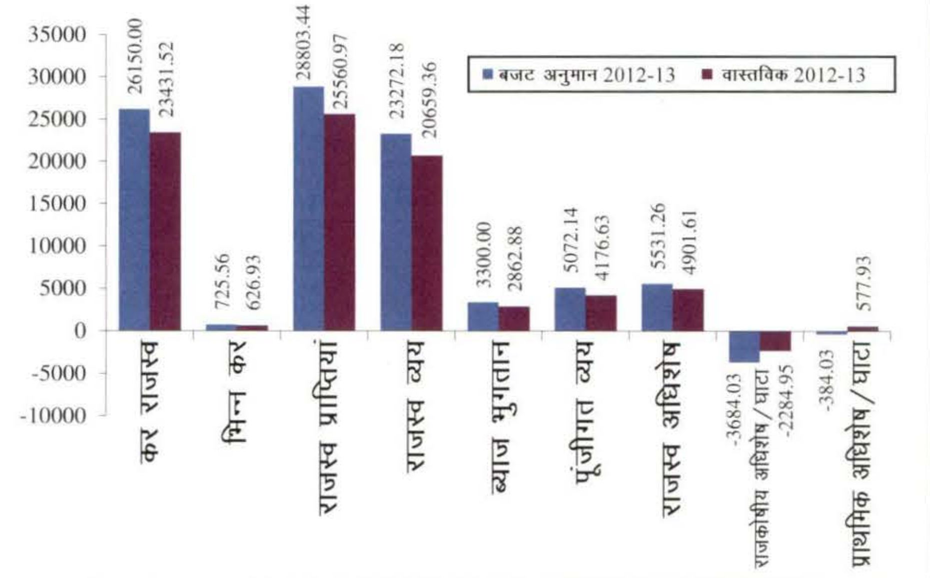

जैसा कि **चार्ट 1.1** से देखा जा सकता है, बजट अनुमान व वास्तविकता में कई प्रमुख मापदण्डों में उल्लेखनीय भिन्नता है। वर्ष के दौरान, राजस्व प्राप्तियाँ व राजस्व व्यय दोनों लक्ष्यों से कम थे। राजकोषीय घाटा जो ₹ 3684.03 करोड़ अनुमानित था ₹ 1399.08 करोड़ से कम होकर ₹ 2284.95 करोड़ था। प्राथमिक घाटा, ₹ 384.03 करोड़ अनुमानित था जो ₹ 577.93 करोड़ के अधिशेष में परिवर्तित हो गया।

1.4 राज्य के संसाधन

1.4.1 वार्षिक वित्त लेखों के अनुसार राज्य के संसाधन

राजस्व व पूंजी प्राप्तियों के दो वर्ग हैं जिनसे राज्य सरकार के संसाधन बनते हैं। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, गैर-कर राजस्व तथा भारत सरकार (भा.स.) से प्राप्त सहायता अनुदान आते हैं। पूंजीगत प्राप्तियों में विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ जैसे ऋणों व अग्रिमों की वसूलियों से प्राप्तियाँ, ऋण प्राप्तियाँ तथा भारत सरकार (भा.स.) से ऋण व अग्रिम व सार्वजनिक लेखों की जमाएँ आती हैं। **तालिका 1.1** वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य संवितरण की प्राप्तियाँ तथा जैसा कि इसके वार्षिक वित्त लेखों में दर्ज है, प्रस्तुत करती है, जबकि **चार्ट 1.2** 2008-13 के दौरान राज्य की प्राप्तियों की प्रवृतियाँ दर्शाता है। **चार्ट 1.3** वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य के संसाधनों की संरचना को दर्शाता है।

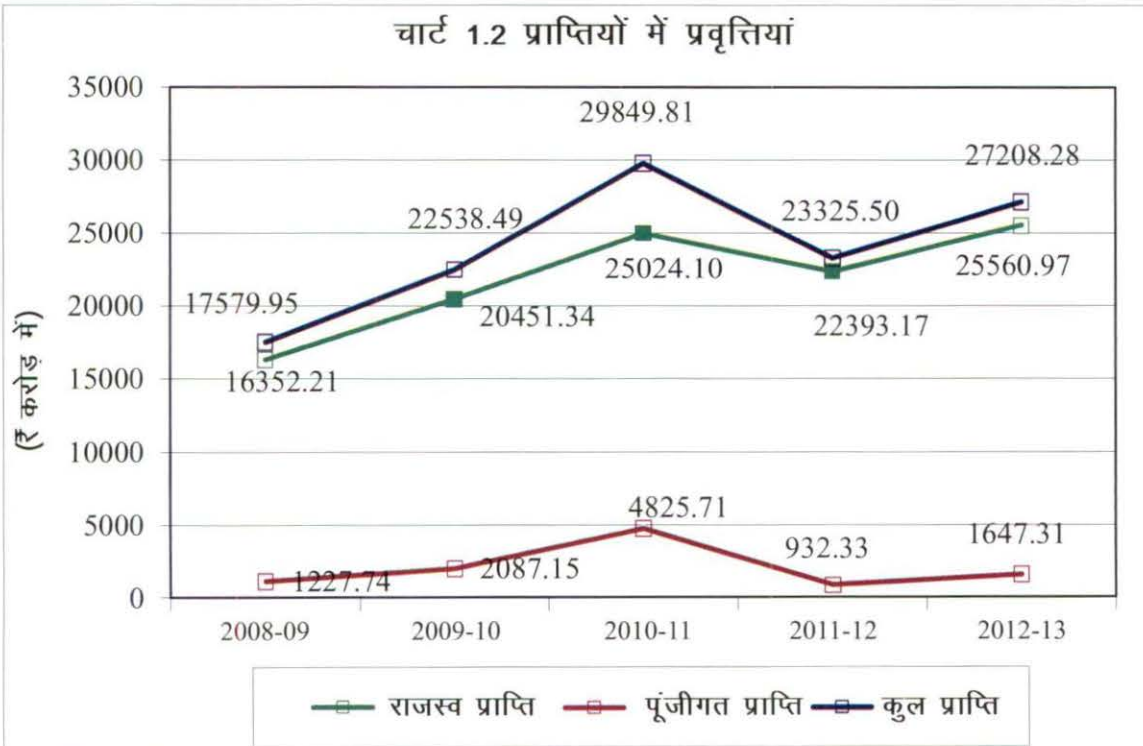

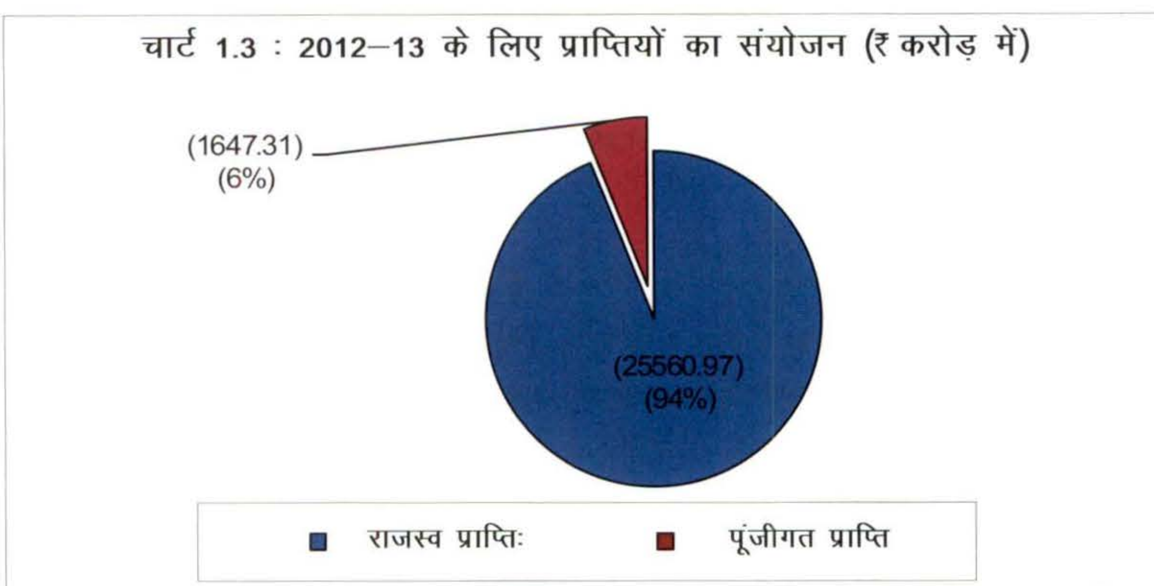

राजस्व प्राप्तियाँ रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की कुल प्राप्तियों का 2008-09 के 93 प्रतिशत के प्रति 2012-13 में 94 प्रतिशत थी।

1.5 राजस्व प्राप्तियाँ

राजस्व प्राप्तियों में राज्य के कर व गैर–कर राजस्व व भा.स. से सहायता अनुदान शामिल हैं। 2008-09 से 2012-13 की अवधि में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृतियाँ व संरचना **परिशिष्ट 1.3** में प्रस्तुत किया गया है व क्रमशः **चार्ट 1.4** व **चार्ट 1.5** में भी दर्शाई गई है।

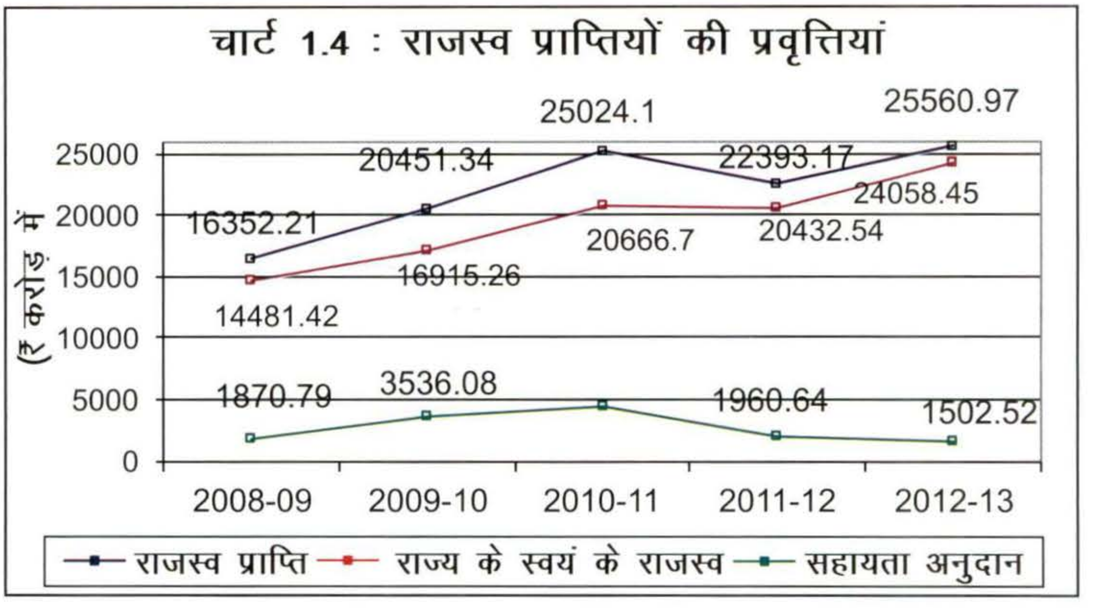

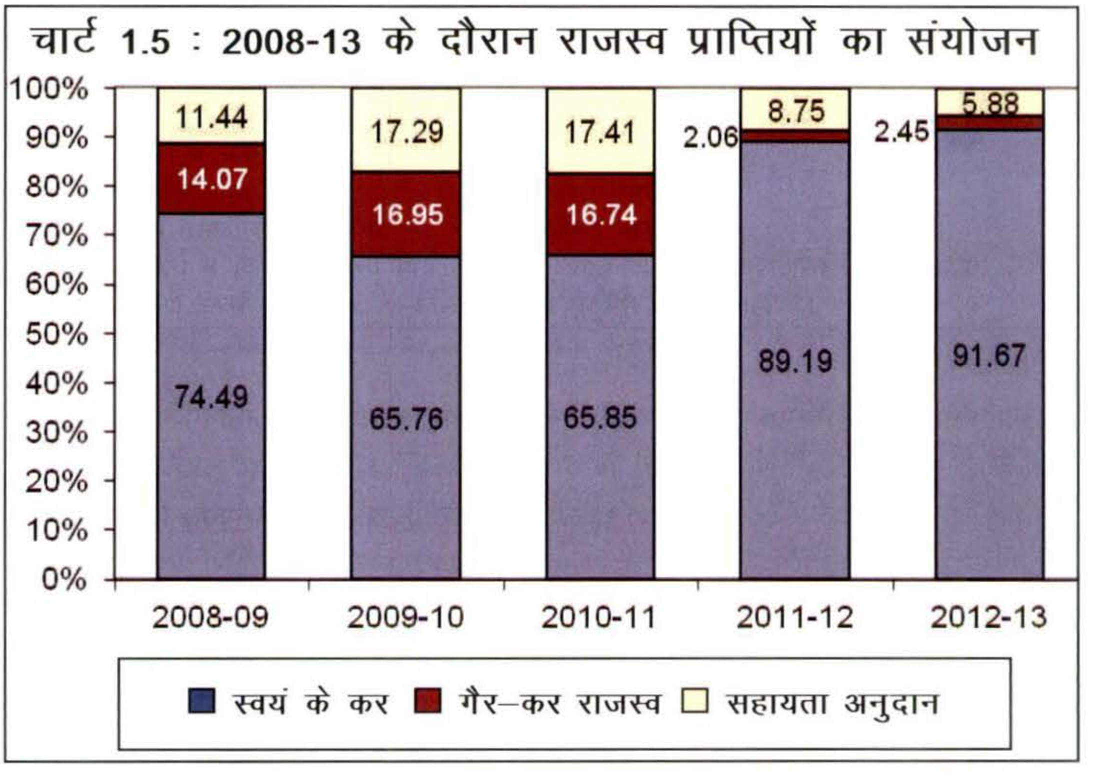

2008-09 में राज्य के स्वयं के कर राजस्व का अंश कुल राजस्व प्राप्तियों का 74.49 प्रतिशत था तथा 2009-10 में गिरकर 65.76 प्रतिशत हो गया। यह 2011-12 में 89.19 प्रतिशत तक चला गया तथा 2012-13 में 91.67 प्रतिशत पहुँच गया। 2008-13 की अवधि में गैर–कर राजस्व में उतार-चढ़ाव था। 2008-09 में दिल्ली की गैर–कर प्राप्ति ₹ 2300.73 करोड़ थी। यह 2010-11 में ₹ 4188.95 करोड़ हो गया परन्तु ब्याज प्राप्तियों में कमी के कारण 2011-12 में तेजी से गिर कर ₹ 460.87 करोड़ हो गया। कुल प्राप्तियों के अंश के रुप में गैर-कर राजस्व 2008-09 में 14.07 प्रतिशत से गिरकर 2012-13 में 2.45 प्रतिशत हो गया। जी.एस.डी.पी. के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ **तालिका 1.2** में प्रस्तुत की गई है:

तालिका 1.2

जी.एस.डी.पी.से संबंधित राजस्व प्राप्तियों मे प्रवृत्तियाँ

	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
राजस्व प्राप्तियाँ (आर.आर.) (₹ करोड़ में)	**16352.21**	**20451.34**	**25024.10**	**22393.17**	**25560.97**
आर.आर. की वृद्धि की दर (प्रतिशत)	**9.66**	**25.07**	**22.36**	**(-) 10.51**	**14.15**
आर.आर. / जी.एस.डी.पी. (प्रतिशत)	8.63	9.32	9.57	7.21	6.99
बॉयंसि अनुपात					
जी.एस.डी.पी. के संदर्भ में राजस्व बॉयंसि	**0.48**	**1.59**	**1.17**	**(-) 0.56**	**0.80**
जी.एस.डी.पी. के संदर्भ में राज्य की स्वयं की कर बॉयंसि	**0.17**	**0.66**	**1.17**	**1.13**	**0.98**

(स्रोत: संबंधित वर्षों के लिए दिल्ली सरकार के वित्त लेखे)

राजस्व प्राप्तियों में 2008-13 की अवधि के दौरान वृद्धि की प्रवृति दर्ज की गई, वर्ष 2011-12 को छोड़कर जिस दौरान राजस्व प्राप्तियाँ पिछले वर्ष से ₹ 2630.93 करोड़ कम हो गई। राजस्व प्राप्तियाँ 2011-12 की राजस्व प्राप्तियों की तुलना में 14.15 प्रतिशत बढ़ गई जबकि इसी अवधि के दौरान जीएसडीपी में वृद्धि 17.70 प्रतिशत रही **(परिशिष्ट 1.4)**। चालू वर्ष में जीएसडीपी के संदर्भ में राज्य की कर बायंसी पिछले वित्तीय वर्ष से 1.13 प्रतिशत से कम हो कर 0.98 प्रतिशत हो गई।

2008-09 में जीएसडीपी के संदर्भ में राज्य की कर राजस्व बायंसी बहुत कम थी (जीएसडीपी में एक प्रतिशत वृद्धि पर राज्य के कर राजस्व में मात्र 0.17 प्रतिशत वृद्धि)। यद्यपि, यह स्थिति 2010-11 में उल्लेखनीय रुप से बदल गई जब राज्य की कर बायंसी बढ़कर 1.17 प्रतिशत हो गई परंतु प्रवृति जारी न रह पाई। 2011-12 में यह कम होकर 1.13 प्रतिशत और 2012-13 में 0.98 प्रतिशत हो गई।

1.5.1 राज्य के स्वयं के संसाधन

राज्य की राजस्व प्राप्तियों में 2011-12 को छोड़कर 2008-13 की अवधि के दौरान वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई दी। यह 2010-11 के राजस्व प्राप्तियों की तुलना में वर्ष 2011-12 में 10.51 प्रतिशत तक कम हो गया। कुल प्राप्तियों में कर राजस्व का अंश 2008-09 में 74.49 प्रतिशत से बढ़कर 2012-13 में 91.67 प्रतिशत हो गया। कुल राजस्व प्राप्तियों में गैर-कर प्राप्तियों का अंश 2008-09 में 14.07 प्रतिशत से घटकर 2012-13 में 2.45 प्रतिशत हो गया। सहायता अनुदानों का अंश 2008-09 में 11.44 प्रतिशत से घटकर 2012-13 में 5.88 प्रतिशत हो गया।

कर राजस्व

पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान कर राजस्व के घटक **चार्ट 1.6** में दिए गए हैं:

चार्ट 1.6 : 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान कर राजस्व के घटक

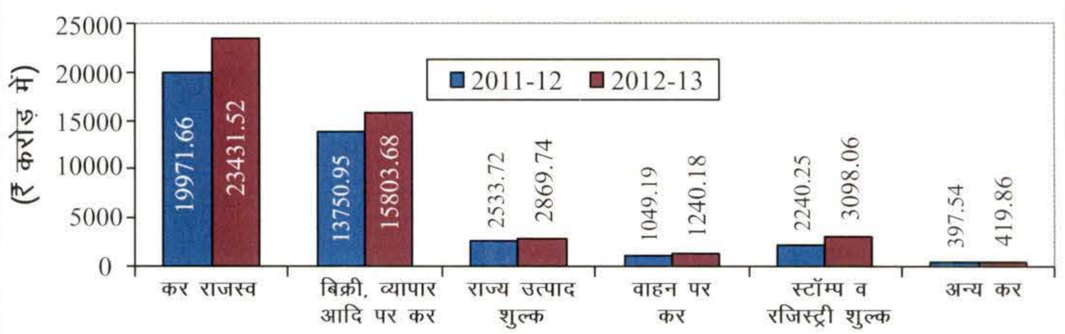

स्रोत: 2011-12 एवं 2012-13 के वित्त लेखे

कर राजस्व चालू वर्ष के दौरान (₹ 23431.52 करोड़) गत वर्ष (₹ 19971.67 करोड़) की तुलना में ₹ 3459.86 करोड़ (17.32 प्रतिशत) तक बढ़ा। राजस्व में प्रमुख योगदान बिक्री, व्यापार, कर, इत्यादि पर करों से था जिसका कुल कर राजस्व में 67.45 प्रतिशत योगदान था तथा पूर्व वर्ष से यह 14.93 प्रतिशत बढ़ा।

राज्य उत्पाद शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी के अन्तर्गत संग्रह पूर्व वर्ष से 2012-13 के दौरान क्रमशः ₹ 336.02 करोड़ (13.26 प्रतिशत) एवं ₹ 857.81 करोड़ (38.29 प्रतिशत) बढ़ा। उसी प्रकार वाहनों पर कर व अन्य करों का अंशदान क्रमशः ₹ 190.99 करोड़ (18.20 प्रतिशत) व ₹ 22.32 करोड़ (5.61 प्रतिशत) बढ़ा।

गैर-कर राजस्व

गैर-कर राजस्व जो 2012-13 के दौरान कुल राजस्व प्राप्तियों का 2.45 प्रतिशत था, वर्ष 2008-09 से ₹ 1673.80 करोड़ (72.75 प्रतिशत) कम हो गया। वर्ष 2010-11 के दौरान गैर-कर राजस्व फिर भी उच्चतर ₹ 4188.95 करोड़ था।

ब्याज प्राप्तियाँ जो 2011-12 में ₹ 174.14 करोड़ से बढ़कर 2012-13 में ₹ 340.03 करोड़ हो गई, का कुल गैर-कर प्राप्तियों में 2011-12 में 37.79 प्रतिशत और 2012-13 में 54.24 प्रतिशत योगदान था। 2012-13 में ₹ 340.03 की कुल ब्याज प्राप्ति में से ₹ 252.89 करोड़ स्थानीय निकायों द्वारा प्राप्त किया गया था।

1.5.2 संग्रहण की लागत

2010-11 से 2012-13 के दौरान प्रमुख राजस्व प्राप्ति, संग्रहण पर किया गया व्यय तथा सकल संग्रहण से ऐसे व्यय की प्रतिशतता निम्नवत् है:

तालिका 1.3

संग्रहण की लागत

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	वर्ष	संग्रहण	राजस्व संग्रहण पर व्यय	राजस्व संग्रहण पर व्यय का प्रतिशत
बिक्री, व्यापार, आदि पर कर	2010-11	12068.62	50.69	0.42
	2011-12	13750.95	53.67	0.39
	2012-13	15803.68	75.70	0.48
राज्य उत्पाद शुल्क	2010-11	2027.09	9.44	0.47
	2011-12	2533.72	10.79	0.43
	2012-13	2869.74	23.67	0.82
वाहनों पर कर	2010-11	707.55	37.03	5.23
	2011-12	1049.19	31.79	3.03
	2012-13	1240.18	28.81	2.33

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि वर्ष 2012-13 के दौरान वाहनों पर कर के सम्बन्ध में संग्रहण लागत पिछले वर्ष की अपेक्षा कम हो गई।

1.6 संसाधनों का अनुप्रयोग

1.6.1 व्यय की वृद्धि व संरचना

राज्य अपने कार्यों के निष्पादन को पूरा करने सामाजिक व आर्थिक सेवाओं की पूर्ति करने की अपनी वर्तमान प्रकृति बनाए रखने, पूंजीगत व्यय व निवेश द्वारा इन सेवाओं के नेटवर्क का विस्तार करने तथा अपनी ऋण सेवाओं की बाध्यता के निर्वहन हेतु संसाधन उत्पन्न करते हैं। राज्य का कुल व्यय 2008-09 में ₹ 19975.28 करोड़ से बढ़कर 2012-13 में ₹ 28570.82 करोड़ हो गया।

चालू वर्ष के दौरान कुल व्यय ₹ 28570.82 करोड़ गत वर्ष से ₹ 3256.27 करोड़ (12.86 प्रतिशत) बढ़ा है। कुल वृद्धि में से राजस्व व्यय ₹ 2694.50 करोड़ तथा पूँजीगत व्यय ₹ 172.36 करोड़ था, जबकि ऋण व अग्रिमों में ₹ 389.41 करोड़ की वृद्धि हुई। चालू वर्ष के दौरान पूँजीगत व्यय में सीमान्त वृद्धि राज्य द्वारा निधि के आवंटन की कम उत्पादकता का संकेतक है। गत पाँच वर्षों में राजस्व व्यय 2008-09 में ₹ 11762.56 करोड़ से बढ़कर 2012-13 में ₹ 20659.36 करोड़ हो गया जो 75.64 प्रतिशत की वृद्धि थी। इसी प्रकार पूंजीगत व्यय जो 2008-09 में ₹ 3995.40 करोड़ था, 2012-13 में बढ़कर ₹ 4176.64 करोड़ हो गया और इस अवधि के दौरान 4.54 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की।

पूंजीगत व्यय व राजस्व व्यय 2008-09 में कुल व्यय (ऋण व अग्रिम शामिल नहीं) का क्रमशः 25.35 प्रतिशत तथा 74.65 प्रतिशत थे जबकि 2012-13 में ये क्रमशः 16.86 प्रतिशत व 83.18 प्रतिशत थे। योजनागत शीर्ष के अन्तर्गत कुल व्यय 2011-12 में ₹ 10440.82 करोड़ से बढ़कर 2012-13 में ₹ 229.64 करोड़ की वृद्धि दर्ज कर ₹ 10670.46 करोड़ हो गया जबकि गैर-योजनागत व्यय 2011-12 में ₹ 11528.31 करोड़ से बढ़कर 2012-13 में ₹ 2637.23 करोड़ की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹ 14165.54 करोड़ हो गई। वर्ष 2012-13 के दौरान कुल व्यय का योजनागत एवं गैर-योजनागत व्यय का अंश क्रमशः 42.96 प्रतिशत तथा 57.04 प्रतिशत था।

चार्ट 1.7 2008-13 की अवधि के दौरान कुल व्यय की प्रवृतियाँ प्रस्तुत करता है:

चार्ट 1.7 : कुल व्ययः प्रवृत्तियां तथा संयोजन

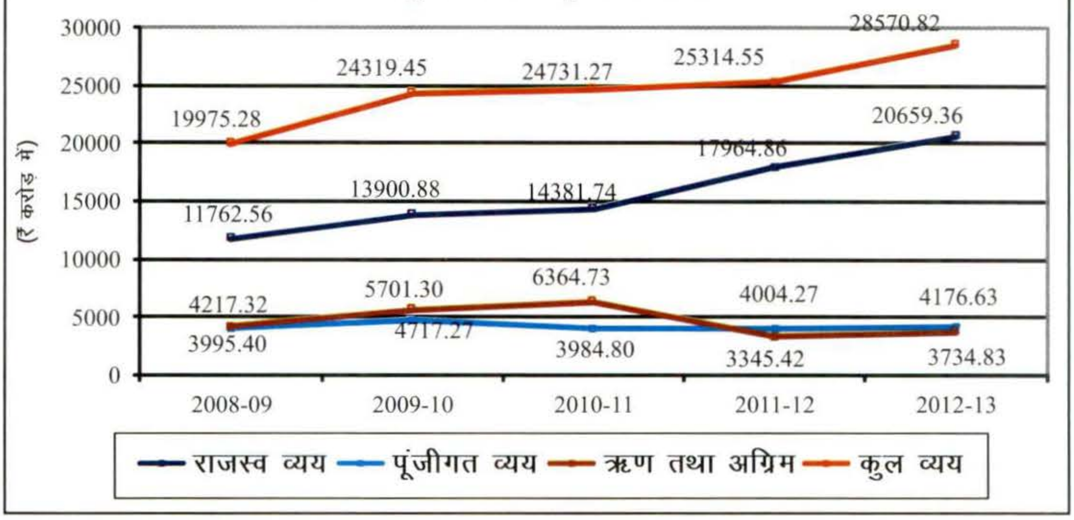

'आर्थिक वर्गीकरण' एवं 'कार्यकलापों से व्यय' दोनों के संबंध में संरचना को क्रमशः **चार्ट 1.8 एवं 1.9** में दिखाया गया है।

चार्ट 1.8: कुल व्ययः इसके घटकों के भाग की प्रवृत्तियां

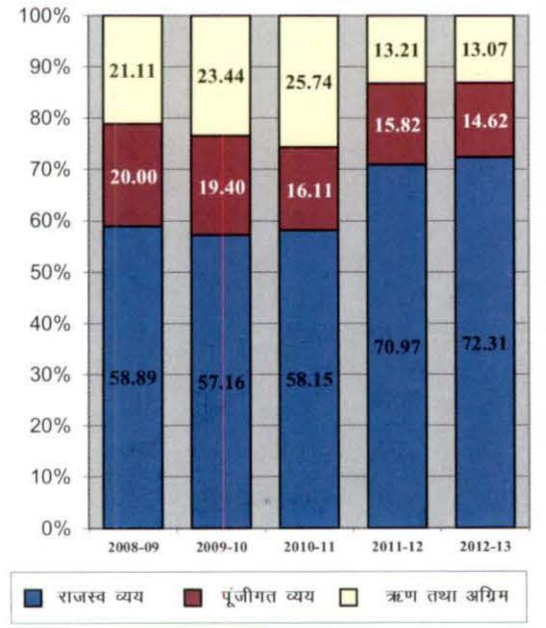

चार्ट 1.9: कुल व्ययः कार्यकलापों से प्रवृत्तियां

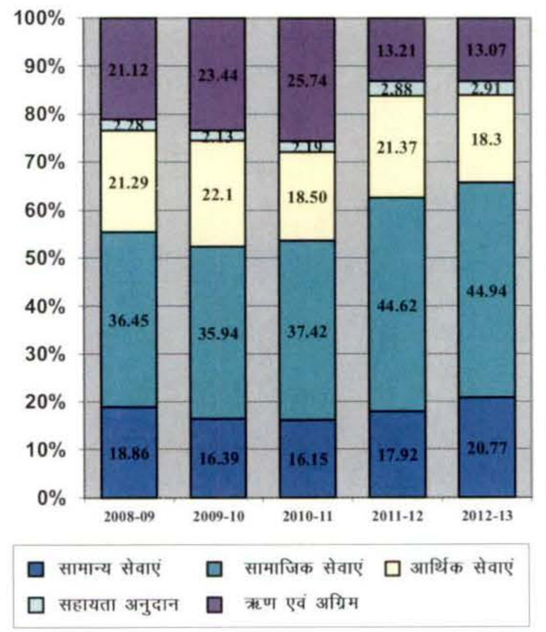

उपरोक्त चार्ट दर्शाता है कि 2008-13 के दौरान कुल व्यय में सामान्य सेवाओं का अंश 18.86 प्रतिशत से बढ़कर 20.77 प्रतिशत हो गया है, जबकि सामाजिक सेवाओं का अंश 36.45 प्रतिशत से बढ़कर 44.94 प्रतिशत हो गया।

1.7 व्यय की गुणवत्ता

राज्य में अच्छे सामाजिक एवं भौतिक अवसंरचना की उपलब्धता सामान्यतः इसके व्यय की गुणवत्ता को दर्शाता है। व्यय की गुणवत्ता में सुधार के अन्तर्गत् मूल रुप से तीन पहलू जैसे व्यय की पर्याप्तता (अर्थात् सार्वजनिक सेवाएँ प्रदान करने हेतु पर्याप्त प्रावधान), व्यय का प्रभावशाली ढंग से प्रयोग तथा उपयुक्तता (कुछ चुनिंदा सेवाओं हेतु परिव्यय-परिणाम सम्बन्धों का निर्धारण) सम्मिलित हैं।

1.7.1 सार्वजनिक व्यय की पर्याप्तता

सामाजिक क्षेत्र तथा आर्थिक अवसंरचना संबंधी व्यय उत्तरदायित्व प्रमुखतः राज्य सरकारों को संविधान में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार सौंपे जाते हैं। अतः इन राज्यों में सामाजिक विकास स्तरों को बढ़ाने हेतु प्रमुख सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि पर व्यय को बढ़ाया जाना आवश्यक है। किसी क्षेत्र की राजकोषीय प्राथमिकता (कुल व्यय से व्यय श्रेणी का अनुपात) निम्न मानी जाएगी यदि यह राष्ट्रीय औसत से कम हो। **तालिका 1.4** 2012-13 के दौरान विकास व्यय, सामाजिक क्षेत्र व्यय व पूँजीगत व्यय के संबंध में राज्य सरकार की राजकोषीय प्राथमिकता को दर्शाता है।

तालिका–1.4

2009–10 और 2012–13 में राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता

(प्रतिशत में)

राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता**	कु. व्यय/ जी.एस. डी.पी	वि. व्य/ कु. व्य.	सा.से. व्य/ कु.व्य.	पूं.व्य.	शिक्षा/ कु. व्य.	स्वास्थ्य /कु. व्य.
सामान्य श्रेणी राज्य औसत (अनुपात) 2009–10	17.06	66.05	35.73	14.96	16.19	4.24
दिल्ली राज्य की औसत (अनुपात) 2009–10	11.08	73.06	42.54	19.40	16.80	8.22
सामान्य श्रेणी की राज्यों की औसत (अनुपात) 2012–13	15.93	65.79	32.77	13.23	17.23	4.47
दिल्ली राज्य की औसत (अनुपात) 2012–13	7.81	72.81	50.23	14.53	19.22	9.57

** जीएसडीपी के प्रतिशत के रुप में

कु.व्य. कुल व्यय — वि.व्य. विकास व्यय

सा.से.व्य. सामाजिक सेवा व्यय — पूं.व्य. पूंजीगत व्यय

विकास व्यय में विकास राजस्व व्यय, विकास पूंजीगत व्यय तथा संवितरित ऋण व अग्रिम

* सामान्य श्रेणी राज्यों में तीन राज्य–दिल्ली,गोवा व पुडुचेरी शामिल नहीं हैं।

स्रोत : जीएसडीपी हेतु सूचना राज्य के अर्थशास्त्र व सांख्यिकीय निदेशालय से संगृहीत है।

राजकोषीय प्राथमिकता किसी विशेष व्यय शीर्ष को दिया जाने वाला महत्त्व है। उपरोक्त तालिका 2009-10 तथा चालू वर्ष 2012-13 में राज्य के व्यय की विभिन्न श्रेणियों को दी गयी राजकोषीय प्राथमिकता की सामान्य श्रेणी के राज्यों से तुलना प्रस्तुत करता है।

- जी.एस.डी.पी. के अनुपात में दिल्ली का कुल व्यय सामान्य श्रेणी राज्यों की तुलना में 2009-10 एवं 2012-13 दोनों वर्ष में निम्न था।

- सरकार ने डी.ई. को 2009-10 एवं 2012-13 में वित्तीय प्राथमिकता दी क्योंकि इसका ए.ई. से अनुपात सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत अनुपात से अधिक था।

- सामान्य श्रेणी राज्यों की तुलना में सी.ई. से ए.ई. का अनुपात 2009-10 एवं 2012-13 दोनो वर्ष में अधिक था।

- 2012-13 में ए.ई. को शिक्षा पर व्यय का अनुपात सामान्य श्रेणी राज्यों से आंशिक रुप से अधिक था।

- 2009-10 एवं 2012-13 दोनों वर्षों में दिल्ली में स्वास्थ्य को दी गई प्राथमिकता सामान्य श्रेणी राज्यों से बहुत ज्यादा थी।

1.7.2 प्रयुक्त व्यय की दक्षता

सामाजिक व आर्थिक विकास पर सार्वजनिक व्यय के महत्व को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों हेतु व्यय के वैज्ञानिकीकरण हेतु समुचित उपाय करना तथा विशेषतः हाल के वर्षों में ऋण सेवा में कमी के कारण राजकोष में उत्पन्न स्थान को ध्यान में रखकर विकास व्यय हेतु आबंटन में सुधार करने के अतिरिक्त मौलिक, सार्वजनिक तथा योग्यतात्मक वस्तुओं* के प्रावधान पर बल दिया जाना चाहिए। **तालिका 1.5** चालू वर्ष तथा गत वर्षों के दौरान विकास व्यय में प्रवृत्तियों को दर्शाती है।

तालिका 1.5

विकास व्यय

(₹ करोड़ में)

विकास व्यय के घटक	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	
					बजट अनुमान	वास्तविक
विकास व्यय (नीचे क से ग तक)	15749.92	17768.13	17631.45	20004.27	23935.34	20802.04
क. विकास राजस्व व्यय	7872.07	9753.86	10111.26	12889.33	15228.32	14088.25
ख. विकास पूंजीगत व्यय	3661.92	4361.14	3720.25	3815.45	4624.65	3979.76
ग. विकास ऋण व अग्रिम	4215.93	3653.13	3799.94	3299.49	4082.37	2734.03

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

* **मौलिक सार्वजनिक वस्तुएँ** वे हैं जो सभी नागरिक साथ-साथ उपयोग करते हैं अर्थात् ऐसी वस्तु के किसी व्यक्ति द्वारा उपभोग से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उस वस्तु के उपयोग में कमी आती, यथा कानून व्यवस्था लागू करना, नागरिक अधिकारों की सुरक्षा व संरक्षा, प्रदूषणमुक्त वायु व पर्यावरणीय वस्तुएँ व सड़क अवसंरचना, इत्यादि।

योग्यतामूलक वस्तुएँ वे वस्तएँ हैं जिसे सार्वजनिक क्षेत्र निशुल्क अथवा रियायती दरों पर प्रदान करता है क्योंकि एक व्यक्ति या समाज को वे आवश्यकता की एक संकल्पना के आधार पर मिलने चाहिए, न कि सरकार को भुगतान करने का क्षमता या इच्छा के कारण। ऐसी वस्तुओं के उदाहरण हैं पोषाहार हेतु निर्धनों को निःशुल्क व रियायती भोजन, जीवन की गुणवत्ता सुधारने तथा रूग्णता कम करने हैतु स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, सभी को मौलिक शिक्षा प्रदान करना, पेय जल व स्वच्छता, इत्यादि।

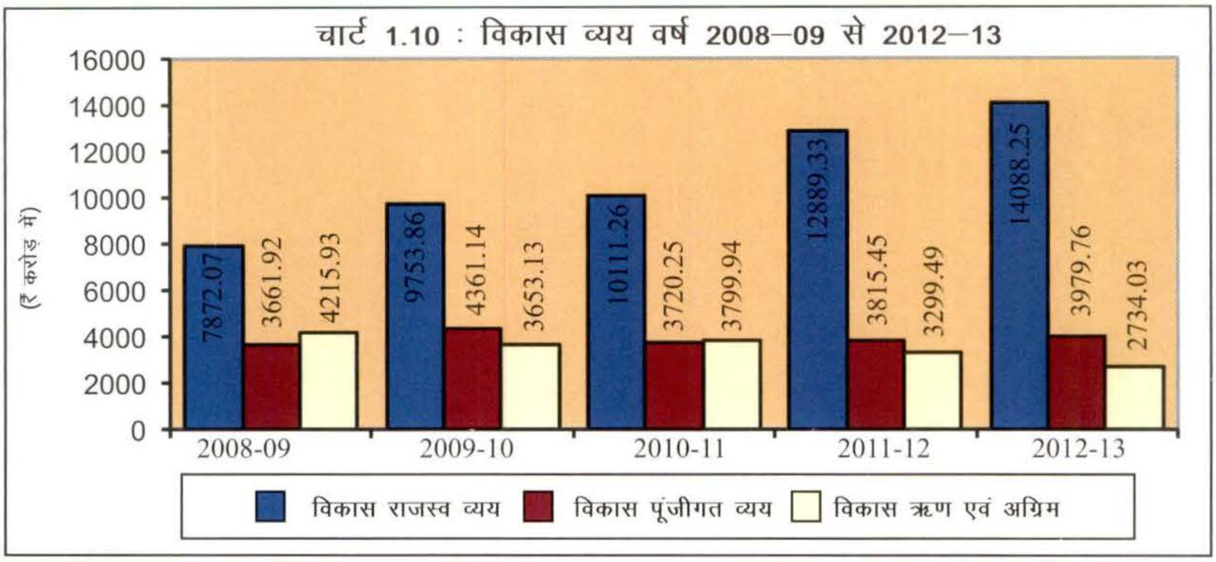

2012-13 के दौरान राजस्व व पूंजी के अन्तर्गत वास्तविक विकास व्यय अनुमानों से क्रमशः ₹ 1140.07 करोड़ तथा ₹ 644.89 करोड़ कम था। यह दर्शाता है कि बजट अनुमान तैयार करते समय विभिन्न योजनागत स्कीमों का क्रियान्वयन करने में क्रियान्वयन एजेंसियों की तैयारी का आकलन नहीं किया गया।

उपरोक्त तालिका से यह भी स्पष्ट होता है कि वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान वास्तविक विकास राजस्व व्यय तथा पूंजीगत व्यय क्रमशः 78.96 प्रतिशत व 8.68 प्रतिशत बढ़े। विकास राजस्व व्यय में वृद्धि नागरिकों के सामाजिक व आर्थिक विकास के प्रति निरन्तर सकारात्मक प्रवृत्ति दर्शाती है। विकास पूँजीगत व्यय गत वर्ष से 2012-13 में ₹ 164.31 करोड़ बढ़ा जबकि विकास ऋण व अग्रिम ₹ 565.46 करोड़ घटा।

1.8 सरकारी व्यय व निवेशों का वित्तीय विश्लेषण

यह खण्ड गत वर्षों की तुलना में वर्तमान वर्ष में सरकार द्वारा किए गए निवेश तथा अन्य पूंजीगत व्यय का विस्तृत वित्तीय विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

1.8.1 निवेश तथा प्रतिफल

31 मार्च 2013 तक सरकार ने सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टाक कम्पनियों तथा सहकारी समितियों में ₹ 16388.15 करोड़ का निवेश किया था **(तालिका 1.6)**। इस निवेश पर प्रतिफल 2012-2013 में बहुत कम 0.16 प्रतिशत था। 2008-13 के दौरान प्रतिफल 0.16 तथा 0.38 प्रतिशत के बीच था। सरकार ने 2010-13 के दौरान अपने उधारों पर औसतन 9.73 प्रतिशत ब्याज दर चुकाया। **तालिका 1.6** में विस्तार से दिया गया है:

तालिका 1.6

निवेश पर प्रतिफल

(₹ करोड़ में)

निवेश / प्रतिफल / उधारों की लागत	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
वर्ष के अन्त में निवेश	9682.02	11017.56	12616.58	14655.90	16388.15
प्रतिफल	29.92	41.56	46.59	33.00	26.25
प्रतिफल प्रतिशत	0.31	0.38	0.37	0.23	0.16
सरकारी उधारों पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत)	9.90	9.52	9.10	9.77	9.73
ब्याज दर तथा प्रतिफल के बीच अन्तर (प्रतिशत)	9.59	9.14	8.73	9.54	9.57

पिछले राजकोषीय वर्ष की अपेक्षा 2012-13 में निवेश में वृद्धि मुख्य रुप से दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में ₹ 749.70 करोड़, दिल्ली परिवहन निगम में ₹ 199.50 करोड़, दिल्ली पावर कम्पनी लिमिटेड में ₹ 245 करोड़, प्रगति पावर कार्पोरेशन लि. में ₹ 250.00 करोड़ तथा इन्द्रप्रस्थ पावर जनरेशन कम्पनी लि. में ₹ 49.00 करोड़ के नये निवेश के कारण थी।

वर्ष 2012-13 के दौरान पाँच कम्पनियों और कॉर्पोरेशनों जैसे दिल्ली कोओपरेटिव हाउसिंग फाइनेंस सोसायटी लि., इंद्रप्रस्थ मेडिकल कॉर्पोरेशन लि., दिल्ली टूरिज्म एवं ट्रांस्पोर्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इन्द्रप्रस्थ गैस लि. और दिल्ली ट्रांस्को लि. में मार्च 2013 के अंत तक सरकारी निवेश ₹ 3758.37 करोड़ के साथ लाभांश ₹ 22.75 करोड़ दिया था जो कि इन कम्पनियों में निवेश का मात्र 0.61 प्रतिशत था।

1.8.2 राज्य सरकार द्वारा ऋण व अग्रिम

सहकारी सोसाईटी, निगमों व कम्पनियों में निवेश के अतिरिक्त सरकार भी संस्थानों / संगठनों को ऋण व अग्रिम प्रदान कर रही है। 31 मार्च 2013 को कुल बकाया ऋण व अग्रिम ₹ 50887.82 करोड़ था **(तालिका 1.7)**।

तालिका 1.7

राज्य सरकार द्वारा ऋणों व अग्रिमों पर प्राप्त औसत ब्याज

(₹ करोड़ में)

ऋणों की मात्रा/ब्याज प्राप्तियाँ/उधारों की लागत	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
प्रारंभिक शेष	33836.63	39219.78	45147.73	48116.90 (-) 239.00*
वर्ष के दौरान दी गई अग्रिम की राशि	5701.30	6364.73	3345.41	3734.83
वर्ष के दौरान पुनः भुगतान की राशि	318.15	436.77	376.25	724.90
अन्त शेष	39219.78	45147.73	48116.90	50887.82
निवल योग	5383.15	5927.95	2969.17	3009.92
ब्याज प्राप्तियाँ	3236.62	3869.84	174.14	340.03
बकाया ऋणों व अग्रिमों की प्रतिशतता के रूप में ब्याज प्राप्तियाँ	8.25	8.57	0.36	0.67

* *ऋण को इक्विटी में बदलने के कारण समय पूर्व समायोजन को दर्शाता है।*

राज्य स्तरीय संगठनों/संस्थानों के प्रति बकाया ऋण दिल्ली के रा.रा.क्षे. के कुल बकाया ऋणों का बहुत बड़ा भाग है। रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार द्वारा बहुत से राज्य उद्यमों तथा संस्थाओं, जिनको ऋण एवं अग्रिम दिए गए थे, और 2012-13 के अंत में बकाया रह गए थे, वे जल आपूर्ति और सफाई प्रबंध (₹ 13732.47 करोड़), शहरी विकास योजना (₹ 1737.87 करोड़), सड़क परिवहन (₹ 13278.14 करोड़), पावर परियोजनाओं के लिए ऊर्जा क्षेत्र (₹ 6566.45 करोड़) और विविध ऋण (₹ 14762.24 करोड़) के क्षेत्रों में थे।

1.9 परिसम्पत्तियाँ व देयताएँ

1.9.1 परिसम्पत्तियाँ व देयताओं की वृद्धि व संरचना

सरकार के वर्तमान लेखाकरण प्रणाली में अचल परिसंपत्तियों जैसे सरकार के स्वामित्व वाली भूमि व भवनों का विस्तृत लेखाकरण नहीं किया जाता। यद्यपि सरकारी लेखों में सरकार की वित्तीय देयताओं व किए गए व्यय से सृजित परिसम्पत्तियों को दर्ज किया जाता है। **परिशिष्ट 1.5** 31 मार्च 2013 को ऐसी देयताओं व परिसम्पत्तियों का सार 31 मार्च 2012 को सम्बन्धित स्थिति से तुलना करते हुए प्रस्तुत करता है। परिशिष्ट में दी गई देयताओं में भारत सरकार (भा.स.) द्वारा दिए केवल ऋण व अग्रिम ही सम्मिलित है। परिसम्पत्तियों में मुख्यतः राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त पूँजीगत परिव्यय व ऋण व अग्रिम आते है।

1.9.2 राजकोषीय देयताएँ

राज्य की सम्पूर्ण राजकोषीय देयताएँ 2008-09 में ₹ 25381.66 करोड़ से बढ़कर 2012-13 में ₹ 29242.71 करोड़ (15.21 प्रतिशत) हो गई। 2012-13 के दौरान ₹ 29242.71 करोड़ की वित्तीय देयताओं में ₹ 29242.70 करोड़ की लघु बचतों का संग्रहण तथा अन्य सहकारिताओं को ₹ 0.01 करोड़ का सहकारी सहयोग शामिल था। 2011-12 के दौरान ₹ 29608.29 करोड़ की कुल देयताओं में से लघु बचत संग्रहण व अन्य सहकारिताओं को सहायता क्रमशः ₹ 29608.28 करोड़ व ₹ 0.01 करोड़ थी। 2012–13 की समाप्ति पर वित्तीय देयताएँ राजस्व प्राप्तियों का 1.14 गुणा तथा राज्य के स्वयं के संसाधनों का 1.22 गुणा थी।

1.10 ऋण धारणीयता

राज्य सरकार के ऋण की मात्रा के अतिरिक्त राज्य की ऋण धारणीयता[$] का निर्धारण करने वाले विभिन्न संकेतकों का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है। यह खण्ड राज्य सरकार के ऋण की धारणीयता का निर्धारण ऋण स्थिरीकरण[**] गैर–ऋण प्राप्तियों[@] की पर्याप्तता, उधार ली गई निधियों[^^] की निवल उपलब्धता, ब्याज भुगतान के भार (ब्याज भुगतानों से राजस्व प्राप्तियों के अनुपात में मापा जाता है।) तथा राज्य सरकार की प्रतिभूतियों की परिपक्वता के आधार पर करता है। **तालिका 1.8** 2008-09 से 2012-13 तक की अवधि हेतु इन संकेतकों के अनुसार राज्य की ऋण धारणीयता को दिखाता है।

[$] ऋण धारणीयता, राज्य द्वारा एक समयावधि के दौरान एक निश्चित ऋण-जीएसडीपी अनुपात बनाए रखने की क्षमता के रुप में परिभाषित की जाती है तथा इसमें इसके ऋण को क्रियान्वित करने की क्षमता के बारे में चिंता भी परिलक्षित होती है। अतः ऋण धारणीयता से तात्पर्य वर्तमान अतवा लक्षित दायित्वों की पूर्ति हेतु द्रव्य परिसम्पत्तियों की पर्याप्तता तथा अतिरिक्त ऋणों की लागत, तथा इन ऋणों से प्राप्त रिटर्नों के बीच संतुलन रखने की क्षमता भी होती है। इसका अर्थ यह है कि राजकोषीय घाटे में वृद्धि ऋण को क्रियान्वित करने की क्षमता से मेल होना चाहिए।

[**] स्थिरता की एक आवश्यक दशा यह है कि यदि अर्थव्यवस्था के विकास की दर सार्वजनिक ऋणों की लागत या ब्याज दर से अधिक हो तो ऋण-जीएसडीपी अनुपात के स्थिर रहने की संभावना है बशर्ते प्राथमिक अधिशेष शून्य या धनात्मक या साधारणतः ऋणात्मम हो। यदि दर विस्तार (जीएसडीपी वृद्धि दर-ब्याज दर) तथा क्वांटम विस्तार (ऋण दर विस्तार) दी होने पर, ऋण धारणीयता का नियम बताता है कि यदि मात्रा विस्तार व प्राथमिक घाटा शून्य हो, ऋण-जीएसडीपी अनुपात स्थिर होगा या ऋण अन्ततः स्थिर हो जाएगा। इसके विपरीत यदि प्राथमिक घाटा व क्वांटम विस्तार ऋणात्मक हो जाएँ, ऋण-जीएसडीपी अनुपात बढ़ेगा और यदि ये धनात्मक हैं तो ऋण-जीएसडीपी अनुपात अन्ततः नीचे गिरेगा।

[@] अभिवृद्धयात्मक ब्याज देयताओं व अभिवृद्धयात्मक प्राथमिक व्यय की पूर्ति हेतु राज्य की अभिवृद्धयात्मक गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता ऋण धारणीयता की प्राप्ति बहुत आसान हो जाएगी यदि अभिवृद्धयात्मक गैर-ऋण प्राप्तियों से अभिवृद्धयात्मक ब्याज भार तथा अभिवृद्धयात्मक प्राथमिक व्यय की पूर्ति हो सके।

[^^] इसे ऋण शोधन (मूलधन+ब्याजभुगतान) से कुल ऋण प्राप्तियों के अनुपात के रुप में परिभाषित करते है तथा यह दर्शाता है ऋण प्राप्तियाँ किस सीमा तक ऋण शोधन में प्रयुक्त हुए जिससे ऋण ली गई निधि की निवल उपलब्धता का पता चलता है।

तालिका 1.8

ऋण धारणीयताः संकेतक व प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

ऋण धारणीयता के संकेतक	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
ऋण स्थिरिकरण (क्वाटम विस्तार + प्राथमिक घाटा)	(+)2247.03	(+)506.79	(+)5984.78	(+)3105.77	(+)2937.71
गैर–ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता (संसाधन रिक्तता)	15.53	1479.97	4210.52	(-) 6274.57	821.95
उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता	(-) 2469.16	1162.53	3595.88	(-) 531.80	(-) 365.58
ब्याज देयताओं का भार (आईपी/आरआर अनुपात)	15.36	12.09	10.31	13.03	11.20
ऋण/जीएसडीपी अनुपात	13.39	12.10	11.53	9.53	8.00

(स्रोतः संबंधित वर्षों के लिए दिल्ली तथा पी.ए.ओ. दिल्ली के वित्त लेखे)

- प्राथमिक घाटे के साथ मात्रा विस्तार 2008-09 से 2012-13 तक सकारात्मक रहा, जो ऋण के स्थिर होने का सूचक है। उधार ली गई निधियों की शुद्ध उपलब्धता की प्रवृति भी अनुकूल स्थिति में थी।

- पिछले वर्ष की अपेक्षा 2012-13 में दोनों राजस्व प्राप्तियाँ व राजस्व व्यय क्रमशः ₹ 3167.80 करोड़ व ₹ 2694.50 करोड़ बढ़े। इससे संसाधन रिक्तता प्रभावित हुई जो धनात्मक क्षेत्र में पहुँच गया और 2011-12 में (–) ₹ 6274.57 करोड़ से बढ़कर 2012-13 में ₹ 821.95 करोड़ हो गया।

- ब्याज भुगतान के भार में मिश्रित प्रवृत्ति दिखाई दी। यह 2008-09 में 15.36 प्रतिशत से कम होकर 2010-11 में 10.31 प्रतिशत हो गया, राजस्व प्राप्ति में घनात्मक वृद्धि के कारण 2011-12 के दौरान 13.03 प्रतिशत की वृद्धि तथा 2012-13 के दौरान 11.20 प्रतिशत की कमी हो गई।

- ऋण व जीएसडीपी अनुपात से यह संकेत मिलता है कि यद्यपि ऋण स्थिति अधिक नहीं बदली है, जीएसडीपी अनुपात लगातार बढ़ रहा है। इसके परिणामस्वरुप ऋण-जीएसडीपी अनुपात 2008-09 में 13.39 प्रतिशत से कम होकर 2012-13 में 8.00 प्रतिशत हो गया।

1.11 राजकोषीय असंतुलन

तीन प्रमुख राजकोषीय मापदण्ड-राजस्व, वित्तीय व प्राथमिक घाटे-एक निर्दिष्ट समयावधि के दौरान राज्य सरकार के वित्तों में सम्पूर्ण वित्तीय असंतुलन की सीमा दर्शाते हैं। सरकारी खातों में घाटे इसकी प्राप्तियों तथा व्यय के बीच अन्तर दर्शाते हैं। घाटे की प्रकृति सरकार के वित्तीय प्रबन्धन का संकेतक है। इसके अतिरिक्त जिन तरीकों से घाटों का वित्तीयकरण किया जाता है तथा संसाधन उत्पन्न किए जाते है, इसके वित्तीय स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण संकेतक के रुप में प्रयोग किए जाते हैं। यह खण्ड इन घाटों के वित्तीयकरण की प्रवृतियों, प्रकृति, मात्रा तथा ढंग तथा राजस्व व राजकोषीय घाटों के वास्तविक स्तरों का निर्धारण प्रस्तुत करता है।

1.11.1 अधिशेष/घाटे की प्रवृत्तियाँ

चार्ट 1.11 व चार्ट 1.12 2008-09 से 2012-13 की अवधि के दौरान अधिशेष/घाटा संकेतकों तथा जी एस डी पी से संबंधित अधिशेष/घाटा की प्रवृत्ति को बतलाता है।

चार्ट 1.11 : 2008-13 की अवधि के दौरान घाटे के संकेतकों की प्रवृत्तियाँ

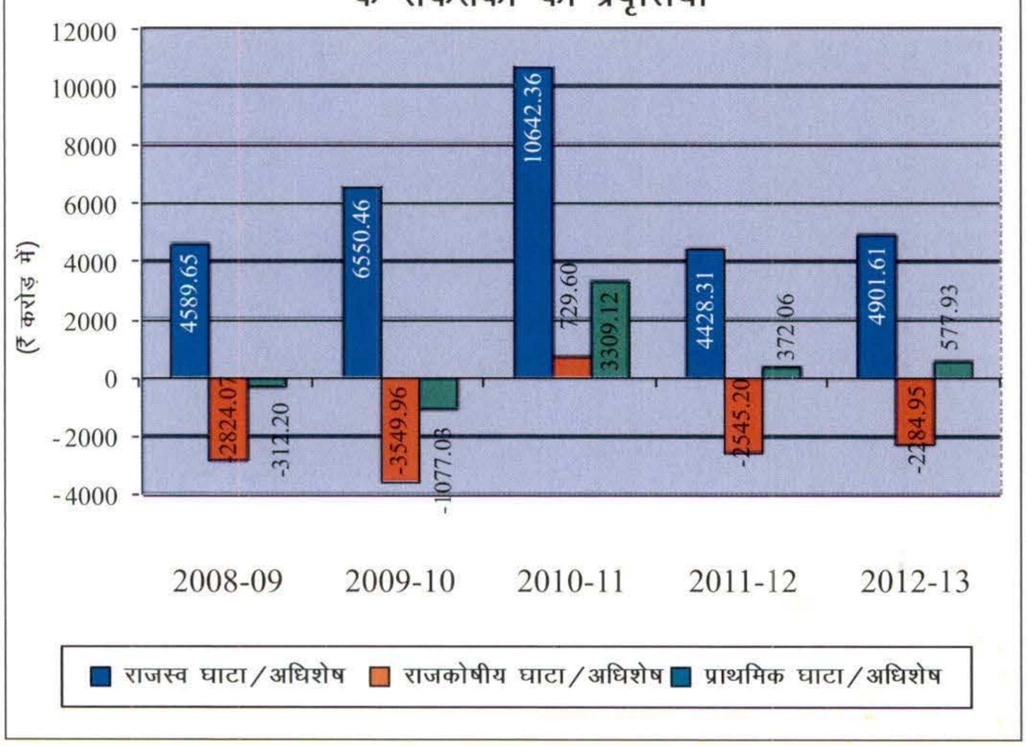

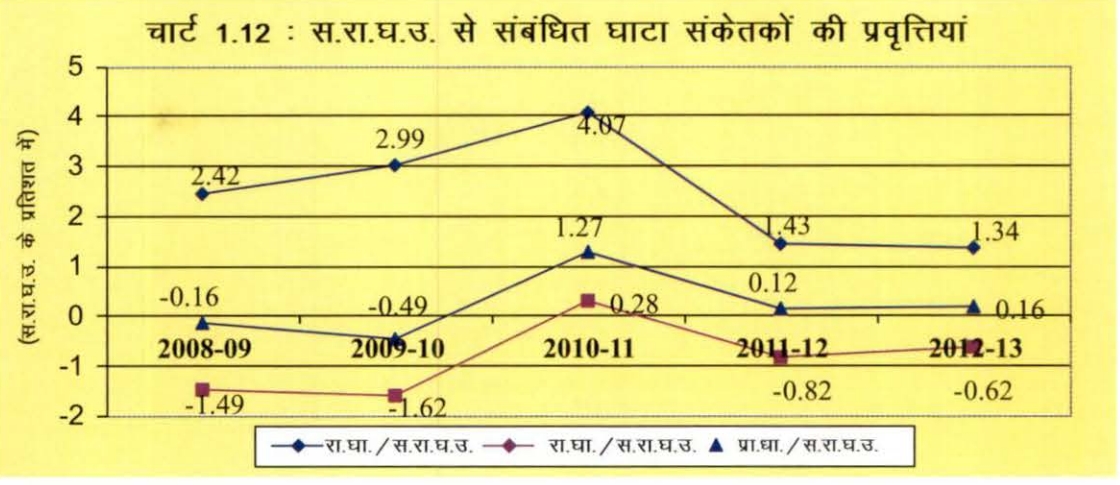

राजस्व अधिशेष राज्य व्यय के ऊपर राजस्व प्राप्ति के अधिक्य को इंगित करता है। राज्य में 2008-13 के दौरान लगातार राजस्व अधिक्य हुआ। 2008-09 में यह ₹ 4589.65 करोड़ था जो 2010-11 में बढ़कर ₹ 10642.36 करोड़ हो गया 2012-13 में यह ₹ 4901.61 करोड़ था।

2008-13 के दौरान राजकोषीय घाटा राज्य के कुल उधार तथा संसाधन रिक्तता के मिश्रित आंकड़े प्रदर्शित करता है। 2008-09 में ₹ 2824.07 करोड़ का राजकोषीय घाटा 2010-11 में ₹ 729.60 करोड़ के आधिक्य में बदल गया तथा 2012-13 के दौरान ₹ 2284.95 करोड़ का घाटा था।

प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटा के उपर प्राथमिक व्यय (ब्याज भुगतान के बाद कुल निवल व्यय) को दर्शाता है। 2008-09 तथा 2009-10 में राज्य में प्राथमिक घाटा था जो 2010-11 के दौरान ₹ 3309.12 करोड़ के प्राथमिक अधिशेष में परिवर्तित हो गया। प्राथमिक अधिशेष वर्ष 2011-12 तथा 2012-13 के दौरान घटकर क्रमशः ₹ 372.06 करोड़ तथा ₹ 577.93 करोड़ हो गया।

2012-13 में राजस्व प्राप्तियाँ पिछले वर्ष से 14.15 प्रतिशत तक बढ़ गई किन्तु राजस्व व्यय 15.00 प्रतिशत तक बढ़ गया जिसके परिणामस्वरूप पिछले वर्ष अर्थात् 2011-12 की तुलना में राजस्व अधिशेष में ₹ 473.30 करोड़ की सूक्ष्म वृद्धि हुई।

1.11.2 राजकोषीय घाटे के घटक व इसके वित्तीयन प्रतिरूप

राजकोषीय घाटे के वित्तीयन प्रतिरूप को **तालिका 1.9** में दिखाया गया है:

तालिका 1.9

राजकोषीय घाटे के घटक

(₹ करोड़ में)

	विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
	राजकोषीय घाटा/बचत* (-/+)	(-) 2824.07	(-) 3549.96	(+) 729.60	(-)2545.20	(-)2284.95
1.	राजस्व घाटा/अधिशेष (-/+)	4589.65	6550.46	10642.36	4428.31	4901.61
2.	निवल पूँजीगत व्यय	(-) 3995.40	(-) 4717.27	(-) 3984.80	(-) 4004.27	(-) 4176.63
3.	निवल ऋण तथा अग्रिम	(-) 3418.32	(-) 5383.15	(-) 5927.96	(-) 2969.17	(-) 3009.93
राजकोषीय घाटे का वित्तीयन प्रतिरूप**						
1.	भा.स. से ऋण	42.71	1162.54	3595.88	(-) 531.80	(-) 365.58

** घाटे के आंकड़े – में तथा अधिशेष + में दिखाए गए हैं*

*** ये सभी आंकड़े वर्ष के दौरान निवल संवितरण/बाह्य प्रवाह के हैं*

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे तथा प्र.ले.प., दिल्ली)

1.11.3 घाटा/अधिशेष की गुणवत्ता

राजस्व घाटे का वितीय घाटे से अनुपात तथा प्राथमिक घाटे को प्राथमिक राजस्व घाटे व पूंजीगत व्यय (ऋण व अग्रिमों सहित) में विखण्डित करने पर राज्य के वित्तो में घाटे की प्रकृति का संकेत मिलता है। वित्तीय घाटे से राजस्व घाटे का अनुपात दर्शाता है कि ऋण ली गई निधि किस सीमा तक वर्तमान उपभोग हेतु प्रयोग की गई। इसके अतिरिक्त वित्तीय घाटे में राजस्व घाटे का निरंतर उच्च अनुपात यह भी दर्शाता है कि राज्य का परिसम्पति आधार लगातार घट रहा था तथा ऋणों के एक भाग (वित्तीय देयताएँ) हेतु कोई परिसम्पतीय पूर्ति नहीं थी। चूंकि 2008-13 की पूरी अवधि में दिल्ली का राजस्व अधिशेष रहा, इसलिए ऋण ली गई निधि को केवल पूंजीगत व्यय व ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए उपयोग किया गया जैसा कि **तालिका 1.10** में दिया गया है।

तालिका 1.10

प्राथमिक घाटा/अधिशेष–घटकों का विभाजन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	गैर–ऋण प्राप्तियाँ	प्राथमिक राजस्व व्यय	पूँजीगत व्यय	ऋण व अग्रिम	प्राथमिक व्यय	प्राथमिक राजस्व घाटा(–)/अधिशेष(+)	प्राथमिक घाटा(–)/अधिशेष(+)
1	2	3	4	5	6(3+4+5)	7(2-3)	8(2-6)
2008-09	17151.21	9250.69	3995.40	4217.32	17463.41	(+) 7900.52	(-)312.20
2009-10	20769.49	11427.95	4717.27	5701.30	21846.52	(+) 9341.54	(-)1077.03
2010-11	25460.87	11802.22	3984.80	6364.73	22151.75	(+) 13658.65	(+) 3309.12
2011-12	22769.35	15047.60	4004.27	3345.41	22397.28	(+) 7721.75	(+) 372.06
2012-13	26285.87	17796.48	4176.63	3734.83	25707.94	(+) 8489.39	(+) 577.93

(स्रोत : संबंधित वर्षों के वित्त लेखे तथा प्र.ले.का., दिल्ली)

राज्य को वर्ष 2008-09 और 2009-10 के दौरान वित्तीय घाटा हुआ। गैर–ऋण प्राप्तियाँ प्राथमिक व्यय की पूर्ति नहीं कर पाई, जिससे प्राथमिक घाटा हुआ। हालांकि 2010-11 से 2012-13 में राज्य के पास प्राथमिक अधिशेष था परन्तु यह 2010-11 में ₹ 3309.12 करोड़ से घटकर 2012-13 में ₹ 577.93 करोड़ हो गया। प्राथमिक व्यय के प्रतिशत के रुप में पूंजीगत व्यय गत वर्ष में 17.88 प्रतिशत के प्रति कम होकर 2012-13 में 16.25 प्रतिशत हो गया। पूंजीगत व्यय पर पूँजीगत लागत वांछित परिणामों की प्राप्ति हेतु समय पर भौतिक परिसम्पत्तियों में परिणत होना चाहिए।

1.12 निष्कर्ष

प्रमुख वित्तीय मापदण्डों, जैसे राजस्व अधिशेष, वित्तीय घाटा और प्राथमिक घाटा के संदर्भ में रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार की वित्तीय स्थिति को देखने पर यह दिखाई देता है कि गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2012-13 के दौरान राजस्व अधिशेष ₹ 473.30 करोड़ तक बढ़ा जबकि राजकोषीय घाटे में ₹ 260.25 करोड़ तक की कमी हुई और प्राथमिक अधिशेष 2012-13 के दौरान ₹ 577.93 करोड़ था।

पूंजीगत व्यय में 2012-13 में पिछले वर्ष से ₹ 172.36 करोड़ (4.30 प्रतिशत) की वृद्धि हुई है। वर्ष 2012-13 के दौरान कुल राजस्व प्राप्तियों का करीब 94 प्रतिशत दिल्ली के करों से प्रदान किया गया।

औसत व्यय के संदर्भ में विकास व्यय तथा पूँजीगत व्यय गत वर्ष की तुलना में 2012-13 में कम हो गया। रा.रा.क्षे., दिल्ली द्वारा संवितरित बकाया ऋणों व अग्रिमों के प्रतिशत के रुप में ब्याज प्राप्तियों की वसूली 2008-13 की अवधि के दौरान उधारियों की लागत की पूर्ति के लिए अपर्याप्त रही। सरकारी निवेश पर औसत प्रतिफल 2012-13 में बहुत कम 0.16 प्रतिशत रहा। सरकार ने 2012-2013 के दौरान अपनी उधारियों पर औसतन 9.53 की ब्याज दर अदा की।

1.13 सिफारिशें

राज्य सरकार विचार कर सकती है :

- अर्थव्यवस्था की वृद्धि पर सकारात्मक प्रभाव के लिए विकास व्यय तथा पूँजीगत व्यय को बढ़ाया जाए; और
- निवेशित धन के बेहतर मूल्य को सुनिश्चित किया जाए।

अध्याय–II

वित्तीय प्रबन्धन
तथा
बजटीय नियंत्रण

अध्याय–II

वित्तीय प्रबन्धन तथा बजटीय नियंत्रण

2.1 प्रस्तावना

2.1.1 विनियोजन लेखे जैसा कि विनियोजन अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट है विभिन्न उद्देश्यों के लिए दत्तमत अनुदानों तथा प्रभारित विनियोजनों की राशियों से तुलना करते हुए प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के दत्तमत्त तथा प्रभारित व्यय के लेखे हैं। इन लेखों में मूल बजट अनुमान, अनुपूरक अनुदान, अभ्यर्पण तथा पुनः विनियोजन स्पष्ट रूप से शामिल हैं तथा यह विनियोग अधिनियम द्वारा प्राधिकृत बजट की उन प्रभारित तथा दत्तमत मदों दोनों के संबंध में विभिन्न विशिष्ट सेवाओं पर किये पूँजीगत तथा राजस्व व्यय को दर्शाते हैं। इस प्रकार विनियोग लेखे वित्त के प्रबंधन तथा प्रावधानों की निगरानी को सुविधाजनक बनाते हैं तथा इसलिए वित्त लेखों के पूरक हैं।

2.1.2 भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोग लेखों की लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने हेतु की जाती है कि क्या विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत किया गया व्यय वास्तव में विनियोग अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकार के भीतर है। इससे यह भी सुनिश्चित होता है कि इस प्रकार किया गया व्यय कानून, संबंधित नियमों, अधिनियमों तथा अनुदेशों के अनुरूप है। इस अध्याय में वर्ष 2012-13 के लिए लेखा नियंत्रक, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा तैयार किए गए विनियोग लेखों के संबंध में लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ शामिल हैं।

2.2 विनियोजन लेखों का सारांश

वर्ष 2012–13 के दौरान 13 अनुदानों/विनियोजनों के प्रति वास्तविक व्यय की संक्षिप्त स्थिति निम्न **तालिका 2.1** के अनुसार थी:

तालिका 2.1

मूल/पूरक प्रावधानों की तुलना में वास्तविक व्यय की संक्षिप्त स्थिति

(₹ करोड़ में)

	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान/ विनियोजन	पूरक अनुदान/ विनियोजन	कुल	वास्तविक व्यय	बचत (–)/ अधिकता (+)
दत्तमत्त	I राजस्व	19258.54	572.36	19830.90	17751.75	(-) 2079.15
	II पूँजीगत	4907.21	164.89	5072.10	4177.26	(-) 894.84
	III ऋण व अग्रिम	4530.88	340.65	4871.53	3734.82	(-) 1136.71
कुल दत्तमत्त		**28696.63**	**1077.90**	**29774.53**	**25663.83**	**(-) 4110.70**
भारित	IV राजस्व	3439.33	1.95	3441.28	2986.43	(-) 454.85
	V पूँजीगत	0.04	0	0.04	0	(-) 0.04
	VI ऋण व अग्रिम	1300.00	0	1300.00	1287.99	(-) 12.01
कुल भारित		**4739.37**	**1.95**	**4741.32**	**4274.42**	**(-) 466.90**
आकस्मिक निधि से विनियोजन (यदि कोई हो)		**Nil**	**Nil**	**Nil**	**Nil**	**Nil**
कुल जोड़		**33436.00**	**1079.85**	**34515.85**	**29938.25**	**(-) 4577.60**

₹ 4577.60 करोड़ की कुल बचत में ₹ 2534 करोड़ बचत राजस्व अनुभाग के तेरह अनुदानों और एक विनियोग (सार्वजनिक ऋण) राजस्व अनुभाग के अन्तर्गत तथा ₹ 2043.60 करोड़ पूँजी अनुभाग के अन्तर्गत था।

2.3 वित्तीय जवाब देही तथा बजट प्रबंधन

2.3.1 आबंटन प्राथमिकताओं की तुलना में विनियोग

अनुमानों को तैयार करते समय, विभाग को बाद के स्तर पर अभ्यर्पण की गुंजाईश को न्यूनतम करने के उद्देश्य के साथ पिछले निष्पादन, विभिन्न स्कीमों के प्रतिपादन/कार्यान्वयन के स्तर, योजनाओं के कार्यान्वयन में कार्यान्वयन एजेंसियों की संस्थागत योग्यता, व्यय की बाध्यता आदि को ध्यान में रखना चाहिए। वर्ष 2012-13 के विनियोग लेखे यह दर्शाते है कि पाँच अनुदानों तथा एक विनियोग से संबंधित 27 मामलों में प्रत्येक में बचत ₹ 50.00 करोड़ तथा कुल ₹ 4304.04 करोड़ अधिक थी। **(परिशिष्ट 2.1)**

बचत के कई कारणों में योजना की धीमी प्रगति, बिलों/दावों की गैर-प्राप्ति, रिक्त पदों को भरा नहीं जाना, निधियों को जारी नहीं किया जाना, मदों की गैर-खरीद, मितव्ययी उपाय इत्यादि बताए गए।

2.3.2 निरंतर बचतें

सामान्य वित्तीय नियम 48(2) के अनुसार मंत्रालयों/विभागों को, वित्त मंत्रालय द्वारा आर्थिक मामलों पर समय–समय पर जारी निर्देशों तथा पिछले वर्षों में किये गये संवितरणों आदि को ध्यान में रखते हुए अनुमान तालिका तैयार करनी होती है। वर्ष 2008-09 से 2012-13 के विनियोग लेखों की जांच से यह ज्ञात हुआ कि पाँच मामलों में ₹ 1.00 करोड़ से भी अधिक की निरंतर बचत हुई जो कुल बजट के 20 प्रतिशत से अधिक है, जो बजट बनाते समय अव्यावहारिक आँकड़ों, त्रुटिपूर्ण वित्तीय प्रबन्धन एवं विभागों द्वारा परियोजनाओं के कार्यान्वयन में लापरवाही दर्शाता है जिसका ब्यौरा तालिका 2.2 में नीचे दिया गया है:

तालिका 2.2

2008–13 के दौरान निरंतर बचतों वाले अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की शीर्ष सं. व नाम		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	विभाग द्वारा दिए गए कारण
राजस्व–दत्तमत								
	5 गृह							
1	2055 डी (1)(1)(1) अपराध विज्ञान प्रयोगशाला	मू. प्रा.	11.92	12.36	12.11	16.52	16.67	बचते मुख्यतः रिक्त पदों तथा मितव्ययिता के कारण थी।
		ब.	6.24	2.56	2.85	6.49	4.89	
		प्रतिशत	52.34	20.71	23.53	39.28	29.33	
राजस्व–दत्तमत								
	07 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य							
1	2211 के 1 (3)(1) शहरी परिवार कल्याण केंद्र (सी.एस.एस.)	मू. प्रा.	13.16	15.00	10.00	10.00	4.50	बचत मुख्यतः गैर सरकारी संस्थानों को समय पर अनुदान निर्गत करने में अनुमोदन की प्राप्ति न होने के कारण थी।
		ब.	10.83	12.22	2.04	7.45	1.93	
		प्रतिशत	82.29	81.47	20.40	74.50	42.89	
पुँजी–दत्तमत								
	08 - समाज कल्याण							
1	5055 डीडी 1(3) 1 विधुत ट्रोली बसों का आरम्भ– वैकल्पिक साधन		120.00	60.00	10.00	250.00	10.00	बचत मुख्यतः प्रोजेक्ट को अंतिम रुप न देने के कारण थी।
			46.71	30.00	10.00	240.75	8.39	
			38.93	50.00	100.00	96.30	83.9	
राजस्व–दत्तमत								
	11 - शहरी विकास व लोक निर्माण विभाग							
1	2217 ए 8 (2)(1)(26)- नगरीय सुधारों हेतु सहायता अनुदान	मू. प्रा.	198.71	201.93	207.45	300.93	339.87	बचत मुख्यतः कम अनुदान निर्गत किये जाने के कारण थी।
		ब.	198.71	198.93	64.45	300.93	189.87	
		प्रतिशत	100.00	98.51	31.06	100.00	55.86	
पूँजीगत–दत्तमत								
2	4202 बीबी 4 (1)(4)(2) दिल्ली सरकार द्वारा प्रायोजित कॉलेज इमारत का निर्माण	मू. प्रा.	39.90	60.00	40.00	35.00	50.00	बचत मुख्यतः धीमी गति के कारण थी
		ब.	29.00	14.59	8.16	23.32	19.54	
		प्रतिशत	72.68	24.31	20.40	66.62	39.08	

मू. प्रा.–मूल प्रावधान, ब.–बचत

उपरोक्त मामले निधि की आवश्यकता के अधिक अनुमानों को इंगित करते हैं तथा विभाग द्वारा स्थायी अव्ययित प्रावधानों तथा योजना के गैर-क्रियान्वयन में बचाव के लिए प्रभावी उपचारी कार्यवाही करने में असफलता का सूचक हैं।

2.3.3 सम्पूर्ण प्रावधान की बचत

10 अनुदानों के 98 उपशीर्षों में प्राधिकृत सम्पूर्ण प्रावधान विभागों द्वारा अप्रयुक्त रह गया अथवा सरकारी खातों में वित्त वर्ष 2012-13 की समाप्ति के पूर्व वापिस जमा करा दिया गया। उप-शीर्षों का विवरण परिशिष्ट- 2.2 में दिया गया है। सम्पूर्ण प्रावधान की बचतें यह संकेत करती हैं कि आकलन परियोजनाओं/योजनाओं की पर्याप्त जाँच के बिना ही तैयार किए गए थे। जो प्रमुख योजनाएँ सम्पूर्ण प्रावधानों के गैर उपयोग अथवा योजना की असफलता के कारण आरंभ नहीं हो सकी अथवा प्रभावित हुई, वे अ.जा./अ.ज..जा./अ.पि.व./अल्पसंख्यकों के लिए दिल्ली स्वरोजगार योजना (₹ 30 करोड़), बिक्री कर की वापसी के लिए एमआरटीएस को ऋण (₹ 300 करोड़), चन्द्रवाल डब्ल्यू टी पी के लिए दि.ज.बो. को ऋण, (₹ 24 करोड़) जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत सड़कों के निर्माण के लिए दक्षिण दिल्ली नगर निगम को ऋण (₹ 30 करोड़), केन्द्रीय सड़क फंड (सीआरएफ) योजना (₹ 50 करोड़), दिल्ली ट्रांस्को लि. को ऋण (₹ 350 करोड़), प्रगति पावर कॉरपोरेशन लि. फेज-II बमनौली (₹ 75 करोड़) में इक्विटी अंशदान थीं।

2.3.4 पिछले वर्षों के दौरान प्रावधानों से अधिकता में व्यय जिनका नियमितीकरण अपेक्षित है

भारत के संविधान का अनुच्छेद 205 प्रावधान करता है कि यदि किन्ही सेवाओं हेतु एक वित्तीय वर्ष में उस वर्ष के लिए उस सेवा हेतु प्रावधान की गई राशि से अधिकता में व्यय किया गया है, तो अधिकता में किए गए व्यय को राज्य विधानसभा द्वारा नियमित किया जाए। यद्यपि उपबंध में व्यय के नियमितीकरण हेतु कोई समय सीमा निर्दिष्ट नहीं की गई है परंतु परंपरानुसार लोक लेखा समिति (पीएसी) द्वारा विनियोजन लेखों पर चर्चा की समाप्ति के बाद अधिकता में व्यय को नियमित किया जाना होता है। हालांकि, 2006-07 से 2010-11 की अवधि के लिए लगभग ₹ 47.60 करोड़ के अधिक व्यय को नियमित किया जाना अभी भी शेष था (नवम्बर 2013)।

2.3.5 2012-13 के दौरान प्रावधानों से अधिकता में व्यय जिनका नियमितीकरण शेष है:

वर्ष 2012-13 के लिए शीर्षवार विनियोजन लेखों में यह पाया गया कि शहरी विकास तथा लोक लेखा विभाग के सहायता अनुदान संख्या 11 में उपशीर्ष 11 के अन्तर्गत ₹ 27.22 करोड़ का एक अधिक व्यय हुआ **(परिशिष्ट 2.3)** जिसका नियमितिकरण नहीं हुआ। (फरवरी 2014)

2.3.6 अनावश्यक पूरक प्रावधान

पूरक अनुदान को प्राप्त करते समय विभाग को वर्ष के दौरान उपलब्ध अथवा उपलब्ध रहने की संभावना वाले संसाधनों को ध्यान में रखना चाहिए और निधियों की अतिरिक्त बजटीय आवश्यकता

का पूर्वानुमान करते समय आवश्यक सावधानी बरतनी चाहिए। पूरक माँग का चुनाव असामान्य और अत्यावश्यक मामलों में ही करना चाहिए।

वर्ष 2012-13 के दौरान विनियोजन लेखों की लेखापरीक्षा के दौरान यह ज्ञात हुआ कि उच्चतर/अतिरिक्त व्यय की आशंका से आठ उप शीर्षों के अन्तर्गत लगभग ₹12.83 करोड़ का पूरक अनुदान प्राप्त किया गया **(परिशिष्ट 2.4)**। यद्यपि अन्तिम व्यय आरंभिक अनुदान/विनियोग से भी कम था **(परिशिष्ट 2.4)**। अनुपूरक अनुदान के उपयोग ना किए जाने के मुख्य कारण योजना की धीमी प्रगति, योजना का गैर क्रियान्वयन कम दरों पर नई एजेंसी को लगाया जाना इत्यादि थे। निम्नांकित मामलों को विभाग द्वारा विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है:–

(i) अनुदान सं. 8 के अंतर्गत - सामाजिक कल्याण - एमआरटीएस को बिक्री कर की वापसी के लिए ऋण देने हेतु कोई मूल प्रावधान नहीं था, किंतु ₹ 2.00 करोड़ की एक राशि अनुपूरक अनुदान के रूप में दी गई। यद्यपि, एमआरटीएस के लिए कोई ऋण जारी नहीं किया गया तथा समस्त अनुपूरक अनुदान अप्रयुक्त रह गया।

(ii) अनुदान सं. 10 के अंतर्गत - विकास विभाग, उपशीर्ष 'वापसी' ई 2(3)(1)(2)(4) के अंतर्गत ₹ 30 करोड़ का मूल प्रावधान था, जिसमें से केवल ₹ 0.06 करोड़ का व्यय हुआ जिसके परिणामस्वरूप ₹ 29.94 करोड़ की बचत हुई। यद्यपि ₹ 5 करोड़ की एक राशि अनुपूरक के रूप में प्राप्त हुई, किंतु समस्त अनुपूरक अनुदान अप्रयुक्त था।

उपरोक्त मामलों से बजटिंग की त्रुटिपूर्ण योजना का पता चलता है।

2.3.7 निधियों का अत्यधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोजन

पुनर्विनियोजन, विनियोजन की एक इकाई जहाँ बचत संभावित हो, से एक अन्य इकाई, जहाँ अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता हो, अनुदान के भीतर ही निधियों का स्थानान्तरण है। निम्न कुछ मामलों में पुनर्विनियोजन को अनावश्यक पाया गया क्योंकि विभाग अपने विद्यमान अनुदानों का भी पूर्ण उपयोग नहीं कर पाए थे। 31 उपशीर्षों के अंतर्गत ₹ 435.94 करोड़ के पुनर्विनियोजन के प्रति ₹ 794.32 करोड़ का संचयी अनुपयोग हुआ जैसा कि **परिशिष्ट 2.5** में बताया गया है। विभाग ने बचत के कारण चिकित्सीय दावों, रिक्तियाँ, कम दावों/ बिलों की प्राप्ति, संस्वीकृति की देरी से प्राप्ति इत्यादि को बतांया। निधियों का आधिक्य/अनावश्यक पुनर्विनियोजन त्रुटिपूर्ण बजटीय प्रक्रिया को इंगित करता है।

2.3.8 पर्याप्त अभ्यर्पण

सोलह उप-शीर्षों **(परिशिष्ट 2.6)** के सम्बन्ध में ₹ 210.54 करोड़ के (कुल प्रावधान के 40 प्रतिशत से अधिक) पर्याप्त अभ्यर्पण किए गए, जिनमें से पाँच उप-शीर्षों में योजना के कार्यान्वित न होने तथा पैंशन योजनाओं को अंतिम रूप न देने के कारण ₹ 130.70 करोड़ के 100 प्रतिशत अनुदान का अभ्यर्पण किया गया।

अनुदान सं. 6 शिक्षा और अनुदान सं. 11 शहरी विकास तथा लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत उपशीर्षों 4202 जेजे. 1(1)(1)(1)(1)-भूमि का आबंटन तथा इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के भवन का निर्माण तथा 5054 बीबी 11(1)(1)(8)-बी.आर.टी. कॉरीडोर के अंतर्गत क्रमशः कुल ₹ 9.99 करोड़ और ₹ 31.72 करोड़ के पर्याप्त अभ्यर्पण किए गए। इन अभ्यर्पणों का कारण प्रमुखतः योजना / कार्य की धीमी प्रगति बताया गया।

2.3.9 प्रत्याशित बचतों का अभ्यर्पण न किया जाना

सामान्य वित्तीय नियमों (सा. वि. नि.) का नियम 56(2) यह अनुबंध करता है कि जिन बचतों व प्रावधानों को लाभपूर्ण ढंग से उपयोग में न लाया जा सके, उन्हें जैसे ही इनका पूर्वानुमान कर लिया जाए, वर्ष की समाप्ति की प्रतीक्षा किए बगैर सरकार को अभ्यर्पित किया जाना चाहिए । इसका उद्धेश्य बाद के स्तर पर अभ्यर्पण की संभावना को न्यूनतम करना है ।

आठ अनुदानों के अंतर्गत ₹ 3452.32 करोड़ के बचत में जहाँ प्रत्येक अनुदान / विनियोग में ₹ एक करोड़ तथा अधिक की बचत थी, ₹ 2057.96 करोड़ (बचत की राशि का 59.62 प्रतिशत) की राशि गैर अभ्यर्पित छोड़कर **(परिशिष्ट 2.7)** ₹ 1393.36 करोड़ की राशि अभ्यर्पित की गई। दो अनुदानों-चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य (दत्तमत) तथा सामाजिक कल्याण (दत्तमत) जिसमें ₹ 697.03 करोड़ की बचत हुई लेकिन ये वित्तीय वर्ष के अंत तक अभ्यर्पित नहीं किए गए।

2.3.10 अव्यवहारिक बजट व्यवस्था

सा.वि.नि. नियम 48(2) यह अनुबंध करता है कि मंत्रालयों / विभागों को अन्य बातों के साथ पिछले वर्षों के दौरान संवितरणों की प्रवृत्तियों और अन्य प्रमुख घटकों जैसे वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए मितव्ययिता हेतु निर्देशों को ध्यान में रखते हुए अपना अनुमान तैयार करना चाहिए। वर्ष 2012-13 के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि सी.एस.एस. और एससीएसपी योजनाओं के विभिन्न उपशीर्षों के अन्तर्गत वर्ष के दौरान प्रावधान किया गया परन्तु 11 अनुदानों / विनियोजनों के 72 उपशीर्षों में ₹ 72.08 करोड़ **(परिशिष्ट 2.8)** के सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गए जिससे विधान सभा द्वारा बजट प्रावधानों को पारित किए जाने का मूल उद्देश्य ही निष्फल सिद्ध हो जाता है, जो यह संकेत करता है कि बजट अनुमान परियोजनाओं व योजनाओं की पर्याप्त पूर्व बजटीय जाँच करने के पश्चात नहीं बनाये गए थे। निधियों के गैर-उपयोग हेतु प्रमुख कारण भारत सरकार से निधियों का प्राप्त न होना और योजनाओं का कार्यान्वयन न होना बताया गया।

अनुदान सं. 7-चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य एवं अनुदान सं.-8 - सामाजिक कल्याण की संवीक्षा में अवास्तविक बजटिंग देखी गई थी। लेखापरीक्षा ने देखा कि 2010-11 में ₹ 136 करोड़, 2011-12 में ₹ 72.03 करोड़ तथा 2012-13 में ₹ 460.17 करोड़ अप्रयुक्त थे अथवा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व सरकार को प्रेषित किए गए (केवल वे मामले जहाँ ₹ 10 लाख अथवा उससे अधिक के प्रावधान अप्रयुक्त थे)। विभाग ने इस अनुपयोग का कारण गैर कार्यान्वयन अथवा कार्य की धीमी प्रगति, निधियों का कम / जारी न किया जाना अथवा इक्विटी पूँजी, लाभार्थियों की कम संख्या इत्यादि को बताया।

2.3.11 व्यय का द्रुतप्रवाह

सा.वि.नि. का नियम 56(3) विशेषतः वित्तीय वर्ष की समाप्ति के महीनों में, व्यय के द्रुतप्रवाह की मनाही करता है और यह निर्धारित करता है कि इसे वित्तीय औचित्य का उल्लंघन माना जाएगा। इसके विपरीत विभाग द्वारा मार्च 2013 के महीने में 35 उपशीर्षों के अंतर्गत किया गया व्यय कुल व्यय का 26.78 प्रतिशत और 100 प्रतिशत के बीच था, जो कि **परिशिष्ट 2.9** में दिखाया गया है।

पिछले तिमाही / माह में गैर-अनुपातिक रूप से उच्चतर व्यय के कारण सरकार से प्रतीक्षित थे।

2.4 व्यय में कमी के कारण समायोजित वसूलियॉं

विधायिका को प्रस्तुत की जाने वाली अनुदान की माँग सकल व्यय के लिए होती हैं, जिनमें क्रेडिट और वसूलियाँ सम्मिलित होती है, जो कि व्यय में कमी के रुप में लेखों में समयोजित कर ली जाती हैं। प्रत्याशित वसूलियाँ और क्रेडिटों को बजट आकलनों में पृथक रुप से दिखाया गया है। वर्ष 2012-13 के दौरान शून्य पूर्वानुमानित वसूलियों के प्रति ₹ 79.45 करोड़ की वास्तविक वसूलियाँ थी।

2.5 रिक्त पदों हेतु अनावश्यक प्रावधान

वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली द्वारा जारी अनुदेशों के तहत एक वर्ष या उससे अधिक के लिए रिक्त पदों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया जाना चाहिए और इसी प्रकार उन पदों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं रखा जाना चाहिए जो कि स्थगित है। यद्यपि, रिकार्डो की संवीक्षा से पता चला कि विभाग ने निर्देशों का उल्लंघन कर निधियों का प्रावधान किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 152.02 करोड़ की बचत हुई।

2.6 अन्य लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ

अन्य लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों (मई 2006) के अनुरूप-सभी मामलों में भारत की संचित निधि से किसी निकाय अथवा प्राधिकारी को वस्तु शीर्ष 'सहायता अनुदान' में प्रावधान की वृद्धि सिर्फ विधायिका की पूर्व अनुमति से पुनर्विनियोजन द्वारा ही की जा सकती है।

वर्ष 2012-13 के पुनर्विनियोजन आदेशों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि 52 मामलों **(परिशिष्ट-2.10)** में वस्तु-शीर्ष '31 सहायता अनुदान' में पुनर्वियोजन द्वारा ₹ 537.95 के प्रावधान की वृद्धि थी।

लेखों के नियंत्रक से उपरोक्त पुनर्विनियोजन हेतु विधायिका से पूर्व अनुमति लिए जाने की पुष्टि की प्रार्थना (अक्टूबर 2013) का उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2014)।

2.7 अनुदान सं. 7 - चिकित्सा तथा जनस्वास्थ्य एवं अनुदान सं. 8 - सामाजिक कल्याण की संवीक्षा

2.7.1 प्रस्तावना

अनुदान संख्या 7- चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग, औषधि नियंत्रण विभाग, खाद्य अपमिश्रण की रोकथाम विभाग, भारतीय औषधि पद्धत्ति तथा होम्योपैथी का निदेशालय तथा 31 अस्पतालों तथा चिकित्सा कॉलेज के लिए अनुदान शामिल है। अनुदान सं. 8- सामाजिक कल्याण में सामाजिक कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./अल्पसंख्यक विभाग का कल्याण, परिवहन विभाग तथा पर्यटन विभाग शामिल है।

2.7.2 बजट व व्यय

दोनों अनुदान के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के बजट प्रावधान, वास्तविक संवितरण व अप्रयुक्त प्रावधान की समग्र स्थिति **तालिका 2.3** में दी गई है:

तालिका 2.3
बजट एवं व्यय

(₹करोड़ में)

क्र.सं.	वर्ष	प्रावधान		वास्तविक संवितरण		अव्ययित प्रावधान	
		राजस्व	पूँजी	राजस्व	पूँजी	राजस्व	पूँजी
अनुदान सं. 7: चिकित्सा तथा जनस्वास्थ्य							
1.	2010-11	2272.92	शून्य	2185.95	शून्य	86.97	शून्य
2.	2011-12	2554.70	20.01	2447.39	3.69	107.31	16.32
3.	2012-13	2933.77	10.00	2498.90	6.29	434.87	3.71
अनुदान सं. 8 : सामाजिक कल्याण							
1.	2010-11	1140.38	4031.81	1039.09	3750.47	101.29	281.34
2.	2011-12	2048.09	1881.04	1950.52	1780.70	97.57	100.34
3.	2012-13	2756.73	1981.15	2604.95	1654.47	151.78	326.68

नोटः 'प्रभारित' विनियोजन तथा संवितरण राशि शामिल

2.7.3 विभिन्न उपशीर्षों के अंतर्गत बचतें

बाद के चरण में अभ्यर्पण की बचतों की संभावना को न्यूनीकृत करने के उद्देश्य से अनुमान तैयार करते समय विभाग को पूर्व निष्पादन, योजनाओं के सूत्रीकरण/विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन,कार्यान्वयन एजेंसियों की योजना को क्रियान्वित करने की सांस्थानिक क्षमता, व्यय करने वाली एजेंसियों द्वारा व्यय करने में बाध्यताएँ, इत्यादि को ध्यान में रखना चाहिए।

वर्ष 2010-11 तथा 2012-13 के लिए मद-वार विनियोग लेखों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि 72 मामलों में ₹ 5 करोड़ से ज्यादा की बचत थी तथा 54 मामलों में ₹ एक करोड़ की बचत केन्द्रीय

प्रायोजित योजनाएँ (सीएसएस)/अनुसूचित जाति–विशेष कार्यक्रम (एससीएसपी) में हुई। अनुदान - वार बचतें चार प्रतिशत तथा 100 प्रतिशत के मध्य थी।

2.7.4 निरंतर बचतें

सा.वि.नि. के नियम 48(2) के अनुसार मंत्रालय/विभाग को अनुमान तैयार करने हेतु पिछले वर्षों के दौरान संवितरण की प्रवृत्तियाँ और अन्य संबंधित तथ्यों जैसे वित्त मंत्रालय द्वारा मितव्ययिता हेतु समय-समय पर निर्गत किए गए निर्देशों को ध्यान में रखना आवश्यक है। वर्ष 2010-11 से 2012-13 हेतु विनियोजन लेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि निम्नलिखित उपशीर्षों के अंतर्गत निरंतर बचतें हुई, जो अव्यावहारिक बजटीकरण, दोषपूर्ण वित्तीय प्रबंधन और स्कीमों के कार्यान्वयन में विभाग की शिथिलता को दिखाता है। उप-शीर्षों का विवरण निम्नलिखित **तालिका 2.4** में दिया गया है।

तालिका 2.4

निरतंर बचतें

(₹करोड़ में)

क्रम सं.	शीर्ष लेखा तथा अनुदान का नाम		2010-11	2011-12	2012-13	विनियोग लेखों में वर्णित बचतों के कारण
राजस्व– दत्तमत						
अनुदान सं. 07 – चिकित्सा तथा जनस्वास्थ्य						
1.	2211 के 1 (3) (1)– शहरी–परिवार कल्याण केन्द्र (सीएसएस	कु.प्रा. ब. %	10.00 2.04 20.40	10.00 7.45 74.50	4.50 1.93 42.88	कार्य की धीमी प्रगति
अनुदान सं. 08 – सामाजिक कल्याण						
2.	2225 सी. 1 (1) (3)(13) मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना–(सीएसएस	कु.प्रा. ब. %	5.00 1.23 24.60	4.33 4.17 96.30	5.00 3.81 76.20	भा.स.– से निधियों की देर से प्राप्ति
3.	2225 सी. 1(3) (1) (7) – अल्पसंख्यकों के लिए बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (सीएसएस	कु.प्रा. ब. %	3.10 1.55 50.00	5.19 4.69 90.36	10.00 9.998 99.98	प्रशासनिक कारणों से निधियों को जारी नहीं किया जाना
4.	2225 सी.1 (1)(3)(5)– विद्यालयों में अनुसूचित जाति के छात्रों को पुस्तकों तथा स्टेशनरी की मुफ्त आपूर्ति	कु.प्रा. ब. %	24.45 10.31 42.17	55.00 11.02 20.03	56.15 3.37 6.00	स्कीम के अंतर्गत कम संख्या में लाभार्थियों के कारण स्थानीय निकायों से कम माँग
पूँजी–दत्तमत						
अनुदान सं. 8 : सामाजिक कल्याण						
5.	5055 डी.डी.–1(2) (4)– जे.एन.एन.यू.आर.एम. के लिए दिल्ली परिवहन निगम को इक्विटी पूँजी	कु.प्रा. ब. %	645.00 425.66 65.99	370.00 169.00 45.68	40.00 40.00 100.00	जे.एन.एन.यू.आर.एम. के लिए दि.प.नि. को इक्विटी का जारी नहीं किया जाना/कम जारी किया जाना तथा कार्य की धीमी प्रगति के कारण
6.	5055 डी.डी.–1(3)(1)– इलेक्ट्रॉनिक– ट्रॉली बसें– परिवहन के वैकल्पिक तरीके का आरंभ	कु.प्रा. ब. %	10.00 10.00 100.00	250.00 240.75 96.30	10.00 8.39 83.90	परियोजना को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण कार्य की धीमी प्रगति

कु.प्रा. कुल प्रावधान (मूल+अनुपूरक+पुर्नविर्नियोजन), ब–बचत,

उपरोक्त तालिका से पता चला कि बजटीय पूर्वानुमानों की संवीक्षा तथा कार्यक्रम प्रबंधन की दक्षता के उन्नयन की आवश्यकता है। विभाग द्वारा सतत बचतों के कारण भा.स. से निधियों की कम अथवा देरी से प्राप्ति, प्रशासनिक कारणों से निधियों का जारी नहीं किया जाना, लाभार्थियों की कम संख्या के कारण स्थानीय निकायों से कम माँग तथा कार्य की धीमी प्रगति के कारण इक्विटी जारी नहीं किए जाने को बताया।

2.7.5 सतत अव्ययित प्रावधानों के साथ स्कीमें

सतत कम व्यय से प्रभावित कुछ योजनाएँ नीचे वर्णित हैः

(क) शहरी परिवार कल्याण केन्द्र (सीएसएस)

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार रा.रा.क्षे.स. दिल्ली को दिल्ली नगर निगम (दि.न.नि.) तथा गैर-सरकारी संगठनों (गै.स.स.) द्वारा 1083 शहरी परिवार कल्याण केंद्र (श.प.क. के.) चलाने के लिए सहायता अनुदान जारी करता है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि वर्ष 2010-11, 2011-12 तथा 2012-13 के लिए क्रमशः ₹ 10 करोड़, ₹ 10 करोड़ तथा ₹ 4.5 करोड़ के मूल बजट अनुमान (मू.ब.अ.) के प्रति उपशीर्ष 2211 के. 1(3)1(1)- शहरी परिवार कल्याण केंद्रों (सीएसएस) के अंतर्गत क्रमशः ₹ 2.04 करोड़ (20.40 प्रतिशत), ₹ 7.45 करोड़ (74.50 प्रतिशत) तथा ₹ 1.93 करोड़ (42.88 प्रतिशत) दि.न.नि. तथा गै.स.सं. द्वारा उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्टों तथा उपयोगिता प्रमाणपत्रों का समय पर प्रस्तुत नहीं किए जाने तथा कुछ केन्द्रों के बंद होने के कारण कुल प्रावधान अव्ययित थे।

(ख) इलेक्ट्रॉनिक ट्रॉली बसों का आरंभ-परिवहन का वैकल्पिक तरीका

दिल्ली में शहरी - परिवहन समस्याओं को हल करने तथा निजी वाहनों के प्रयोग को सीमित करने के लिए धारणीय परिवहन समिति ने धारणीय मल्टी मोडल जन परिवहन तैयार करने की सिफारिश की। तद्नुरूप, मेट्रो रेल, दि.प.नि. तथा अन्य बस सुविधाओं को सहारा देने हेतु 2021 तक परिवहन के वैकल्पिक तरीकों जैसे बस तीव्र परिवहन (बीआरटी) कॉरीडोर द्वारा उच्च क्षमता बस तंत्र (उ.क्ष.ब.तं.), मोनो रेल तथा हल्की रेल परिवहन तंत्र (ह.रे.प.तं.) को कार्यान्वित करने के लिए दिल्ली एकीकृत मल्टी– मोडल परिवहन तंत्र कंपनी लि. की स्थापना की गई।

वर्ष 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 के मूल बजट अनुमान (ओ.बी.सी.) में शीर्ष ''एम.एच. 5055 डीडी 1(3)(1)- इलैक्ट्रानिक ट्राली बसों का जोड़ना यातायात का वैकल्पिक तरीका'' के अन्तर्गत क्रमशः ₹ 10 करोड़ के प्रति, 250 करोड़, एवं 10 करोड़ के प्रावधान में से ₹ 10 करोड़ (100 प्रतिशत) ₹ 240.75 करोड़ (96.30 प्रतिशत) एवं ₹ 8.39 करोड़ (83.90 प्रतिशत) अव्ययित रह गया जैसा कि दोनो परियोजनाओं के लिए निवेश निर्णय अभी तक लम्बित थे (फरवरी 2014)।

2.7.6 वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अव्ययित प्रावधान का अभ्यर्पण

सामान्य वित्तीय नियमों का नियम 56(2) में यह प्रावधान है कि अनुदान अथवा विनियोजन को, जैसे ही इनका पूर्वानुमान कर लिया जाए, वित्तीय वर्ष की समाप्ति की प्रतीक्षा किए बिना सरकार को अभ्यर्पित किया जाए। अव्ययित प्रावधानों को भविष्य की किसी संभावित अधिकता हेतु बचा

कर नहीं रखना चाहिए। लेखापरीक्षा में पाया गया कि इसके विपरीत, जो विभाग अनुदान संख्या 7 तथा 8 के अंतर्गत अनुदान/विनियोग प्राप्त कर रहे थे उन्होनें वित्तीय वर्ष 2012-13 के अंतिम दिन में रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार के वित्त विभाग को ₹ 219.52 करोड़ के अव्ययित प्रावधान अभ्यर्पित किए। वर्ष 2010-11 तथा 2011-12 में भी क्रमशः ₹ 276.72 तथा ₹ 52.83 के अव्ययित प्रावधानों को वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन में अभ्यर्पित किया गया। विस्तृत विवरण **परिशिष्ट 2.11** में दिए गए हैं।

वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन में अव्ययित शेषों के अभ्यर्पण का कारण कार्य की धीमी प्रगति अथवा स्कीमों का गैर-कार्यान्वयन/उपकरण की खरीद नहीं किया जाना बताया।

2.7.7 व्यय का द्रुत प्रवाह

सामान्य वित्तीय नियमों के नियम 56(3) के अनुसार व्यय का द्रुत प्रवाह, विशेषतः यदि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के महीनों में, वित्तीय औचित्य का उल्लंघन माना जाता है और इससे बचा जाना चाहिए। इसके विपरीत, 2010-11 से 2012-13 के दौरान विभागों द्वारा वर्ष के अंतिम तिमाही/महीने में कुल व्यय का 34 प्रतिशत तथा 100 प्रतिशत के बीच की रेंज में व्यय किया गया। उदाहरण हेतु मामले **परिशिष्ट 2.12** में दिए गए हैं।

2.7.8 अनावश्यक पूरक अनुदान

पूरक अनुदान प्राप्त करते समय विभाग को उपलब्ध संसाधन या वर्ष के दौरान उपलब्ध रहने की संभावना को ध्यान में रखना चाहिए और निधियों की अतिरिक्त बजटीय आवश्यकता के अनुमान के समय आवश्यक सावधानी बरतनी चाहिए। पूरक माँगों का सहारा केवल असाधारण व अत्यावश्यक मामलों में ही लेना चाहिए।

लेखापरीक्षा समीक्षा दर्शाती है कि वर्ष 2010-11 से 2012-13 के दौरान **परिशिष्ट 2.13** में उल्लिखित 40 मामलों में विभाग ने उच्चतर व्यय का पूर्वाभास कर पूरक प्रावधानों की माँग की परन्तु अंतिम व्यय मूल अनुदानों/विनियोजनों से कम था, जो यह दर्शाता है कि पूरक प्रावधान अनावश्यक थे और बजटीकरण दोषपूर्ण था।

अनुपूरक अनुदान का प्रयोग नहीं किए जाने के कारण रिक्त पदों को नहीं भरा जाना, योजना का गैर-क्रियान्वयन, कम दावों अथवा बिलों की प्राप्ति, कम संख्या में लाभार्थी, कम भंडार मदों तथा मशीनरी की खरीद तथा कार्यों की धीमी प्रगति इत्यादि बताये गए। इस प्रकार, व्यय का अनुमान अव्यवहारिक था।

2.7.9 उप–शीर्षों में निधियों का अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन

अन्य उप-शीर्षों में निधियों का पुनर्विनियोजन अविवेकपूर्ण था क्योंकि उप-शीर्षों के अन्तर्गत मूल प्रावधान पर्याप्त से अधिक पाया गया। परिणामस्वरूप उप-शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचतें उप-शीर्षों के अन्तर्गत पुनर्विनियोजित धनराशि से अधिक थीं, जैसा कि **परिशिष्ट 2.14** में वर्णित है।

पुनर्विनियोजन तथा परिणामी बचतों को उपयोग नहीं किए जाने का कारण कम दावों अथवा बिलों की प्राप्ति, लाभार्थियों की कम संख्या, कम भंडार मदों तथा मशीनरी की खरीद, योजनागत से गैर-योजनागत में बदलाव, रिक्त पदों का नहीं भरा जाना योजनाओं का गैर-क्रियान्वयन तथा कार्य की धीमी प्रगति इत्यादि को बताया गया। इस प्रकार, निधियों का आधिक्य/अनावश्यक पुनर्विनियोजन दोषपूर्ण बजटीकरण को इंगित करता है।

2.7.10 विनियोजन से अधिक व्यय

यह लेखा कार्यालय का एक महत्वपूर्ण कार्य है कि बजटीय आबंटन से अधिक भुगतान न किया जाए। वेतन और लेखा कार्यालयों द्वारा अदायगी अनुदान का नियंत्रण करने वाले विभागाध्यक्ष से यह लिखित आश्वासन कि संवितरण को समायोजित करने हेतु आवश्यक निधियाँ पुनर्विनियोजन आदेश के निर्गत द्वारा प्रदान की जाएँगी, प्राप्त करने के बाद ही की जाएगी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि निम्नांकित उपशीर्षों में वर्ष 2010-11 के दौरान ₹ 0.96 करोड़ का अधिक व्यय था।

तालिका 2.5

प्रावधान से अधिक व्यय जिनका नियमितीकरण अपेक्षित था

(₹करोड़ में)

वर्ष	अनुदानों/ विनियोजनों की संख्या	अनुदान/विनियोजन संख्या	अधिक व्यय की राशि	नियमितीकरण की स्थिति
2010-11				
8, सामाजिक कल्याण				
		3452 ई.1(1)(3)(10)- डी टी टी डी सी को अतुल्य भारत उत्सव मनाने के लिए सहायता अनुदान (सीएसएस)	0.80	अभी तक नियमन नहीं हुआ
		4235 बी बी 1.(1)(1)(2) महिला कल्याण–कार्यरत महिलाओं के हॉस्टल का निर्माण	0.16	अभी तक नियमन नहीं हुआ
		कुल	**0.96**	

राज्य विधान सभा द्वारा व्यय करने के दो वर्ष बाद भी अधिक व्यय का नियमतीकरण नहीं किया गया।

2.8 निष्कर्ष

2012-13 दौरान ₹ 34515.85 करोड़ के कुल प्रावधान के प्रति ₹ 29938.25 करोड़ का व्यय हुआ। इसके परिणामस्वरुप ₹ 4577.60 करोड़ (13.26 प्रतिशत) का प्रावधान अव्ययित रह गया। बचतें मुख्यतः कम दावों/बिलों की प्राप्ति, भण्डार मदों/मशीनरी व उपकरण का कम क्रय, विभिन्न संगठनों को कम अनुदान निर्गत करने, कार्य की धीमी प्रगति और समय पर क्रय प्रस्तावों को अंतिम रुप न दिये जाने के कारण हुई थी। 2006-07 से 2012-13 की अवधि से संबंधित ₹ 74.82 करोड़ के अधिक व्यय का संविधान के अनुच्छेद 205 के अंतर्गत नियमितीकरण किया जाना अपेक्षित था। आठ मामलों में ₹ 12.83 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक रूप से रखा गया तथा 31 उप-शीर्षों के अंतर्गत ₹ 435.94 करोड़ के पुनर्विनियोजन के प्रति-₹ 794.32 करोड़ का संचयी अनुपयोग था। निधियों का पर्याप्त अभ्यर्पण देखा गया तथा पाँच उप-शीर्षों में ₹ 130.70 करोड़ का शत प्रतिशत पर्याप्त अभ्यर्पण किया गया। मार्च 2013 में व्यय का द्रूत प्रवाह देखा गया जब 35 उप-शीर्षों के अंतर्गत कुल व्यय का 26.78 प्रतिशत से शतप्रतिशत के बीच की रेंज में व्यय किया गया। आठ अनुदानों/विनियोजनों में वित्त विभाग रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा जारी निर्देशों के उल्लंघन में रिक्त पदों के लिए ₹ 152.02 करोड़ का प्रावधान किया गया।

2.9 सिफारिशें

सरकार विचार कर सकती है:

- सभी सरकारी विभागों जहाँ बचतें/आधिक्य है, वहाँ बजटीय नियंत्रण को सुदृढ़ किया जाए;
- वास्तव में जहाँ अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता है उन शीर्षों के उचित मूल्यांकन के बाद पुनर्विनियोजन/अनुपूरक अनुदान दिए जाए;
- वर्ष के अंतिम माह में व्यय के द्रुत प्रवाह से बचा जाए; तथा
- रिक्त पदों के लिए प्रावधान रखने की प्रथा से बचा जाए।

अध्याय–III

वित्तीय रिपोर्टिंग

अध्याय–III
वित्तीय रिपोर्टिंग

प्रासंगिक तथा विश्वसनीय सूचना के साथ ठोस आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग राज्य सरकार द्वारा दक्ष तथा प्रभावी प्रशासन के लिये महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करती है। वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा निर्देशों के अनुपालन के साथ–साथ ऐसे अनुपालन की स्थिति पर प्रतिवेदन की गुणवत्ता तथा सामयिकता अच्छे प्रशासन का धोतक है। अनुपालना तथा नियंत्रणों पर रिपोर्ट, यदि प्रभावी तथा क्रियात्मक हो, राज्य सरकार को उनके बुनियादी उत्तरदायित्व जैसे विशेष उद्देश्य के लिये योजना तैयार करने तथा निर्णय लेने में सहायता करती है। यह अध्याय वर्तमान वर्ष के दौरान दिल्ली सरकार के वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा निदेशों का विहंगावलोकन तथा अनुपालना के स्तर को प्रस्तुत करता है।

3.1 उपयोगिता प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने में विलम्ब

विभागीय अधिकारियों द्वारा अनुदान लेने वाले सांविधिक निकायों, गैरसरकारी संस्थानों इत्यादि से अनुदानों का उपयोगिता प्रमाण पत्र (उ.प्र) यह सूचित करते हुये प्राप्त करना आवश्यक है कि अनुदान जिस उद्देश्य के लिये स्वीकृत किये गये थे उसी के लिये उसका उपयोग किया गया है तथा जहां अनुदान शर्तों पर आधारित थे, निर्धारित शर्तें पूरी कर ली गयी हैं। मुख्य वेतन एवं लेखा कार्यालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार 31 मार्च 2013 को ₹ 17289.41 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्र बकाया थे। उ.प्र. को जमा करने में आयु-वार विलम्ब का संक्षिप्त विवरण नीचे **तालिका 3.1** में दिया गया है।

तालिका 3.1
उपयोगिता प्रमाणपत्रों की प्रस्तुति में आयु–वार बकाया

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	लम्बित वर्षों की सीमा	कुल दिया गया अनुदान		बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि
1.	0–2	480	10023.43	327	4374.41
2.	2–4	354	3305.20	337	3247.43
3.	4–6	1163	2127.34	1145	2118.35
4.	6–8	396	1507.14	396	1507.14
5.	8–10	208	761.17	208	761.17
6.	10 तथा उससे अधिक	2180	5380.92	2180	5380.92
	कुल	**4781**	**23105.20**	**4593**	**17389.41**

उपरोक्त तालिका में यह देखा गया कि ₹ 23105.20 करोड़ के 4781 अनुदान 31 मार्च 2012 तक दिये गये थे । 4781 अनुदानों में से ₹ 17389.41 करोड़ के 4593 उपयोगिता प्रमाण-पत्र विभिन्न विभागों / संस्थाओं / निकायों से मार्च 2013 के अन्त तक प्रतीक्षित थे। बकाया 4593 उ.प्र. में से

₹ 5380.92 करोड़ के 2180 उ.प्र. (47.46 प्रतिशत)10 वर्षों से अधिक समय तक लम्बित पड़े थे।

मुख्य विभाग शहरी विकास विभाग (₹ 15603.33 करोड़), स्वास्थ्य सेवाएं निदेशालय (₹ 718.59 करोड़), विद्युत विभाग (₹ 517.75 करोड़) तथा उद्योग निदेशालय (₹ 144.30 करोड़) थे।

3.2 लेखों की गैर–प्रस्तुति / प्रस्तुति में विलम्ब

नियंत्रक महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम 1971 की धारा 14 तथा 15 के अन्तर्गत लेखापरीक्षा के लिये संस्थानों की पहचान करने के लिये सरकार / विभागाध्यक्ष से अपेक्षित है कि वह प्रत्येक वर्ष लेखापरीक्षा को विभिन्न संस्थानों को दी गयी वित्तीय सहायता, सहायता का उद्देश्य और संस्थानों पर कुल खर्च के विषय में विस्तृत सूचना प्रस्तुत करे। लेखापरीक्षा को सौंपे जाने, लेखापरीक्षा को लेखे देने, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए जाने की स्थिति **परिशिष्ट 3.1** में निर्दिष्ट है। इस कार्यालय के लेखापरीक्षा अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले आठ[1] स्वायत्त निकायों में से पाँच[2] स्वायत्त निकायों / प्राधिकरणों के वर्ष 2011-12 तक के वार्षिक लेखे प्राप्त हुए है तथा 2012-13 के दौरान लेखापरीक्षित किये गये ।

बाकी तीन स्वायत्त निकायों / प्राधिकरणों के 2011-12 तक के बकाया वार्षिक लेखे प्रधान महालेखाकार (ले.प.) दिल्ली कार्यालय में मार्च 2013 तक प्राप्त नहीं हुये थे। इन बकाया लेखाओं का विवरण नीचे **तालिका 3.2** में दिया गया है:

तालिका 3.2
31 मार्च 2013 को बकाया लेखों के ब्यौरे

क्र. सं.	इकाई / प्राधिकरण का नाम	वर्ष जिनके लिए लेखे प्राप्त नहीं हुए थे	बकाया लेखों की संख्या	प्राप्त सहायता (₹ करोड़ में)
1	दिल्ली जल बोर्ड (दि.ज.बो.)	2008-09 से 2011-12	4	1050.08
2	दिल्ली अजा. / अजजा. / अ.पि. व. / अल्पसंख्यक / विकलांग वित्तीय एवं विकास निगम लिमिटेड.	2004-05 से 2011-12	8	–
3	नेताजी सुभाष तकनीकी संस्थान (ने.सु.त.सं.)	2009-10 से 2011-12	3	131.98

इस तालिका से देखा जा सकता है कि तीन स्वायत्त इकाईयों / प्राधिकरणों के वर्ष 2011–12 तक 15 वार्षिक लेखे प्रस्तुति के लिए बकाया थे। दिल्ली अजा. / अजजा. / अ.पि.व. / अल्पसंख्यक /

[1]दिल्ली भवन तथा अन्य निर्माण कर्मचारी कल्याण बोर्ड (ii) दिल्ली विधुत नियमन प्राधिकरण (iii) दिल्ली जल बोर्ड (iv) दिल्ली कल्याण समिति (v) दिल्ली कानूनी सेवायें समिति (vi) गुरू गोविन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (vii) दिल्ली अ.जा / अ.ज.जा. / अ.पि.व. / निम्न वर्ग तथा विकलांग वित्तीय तथा विकास निगम लि. तथा (viii) नेताजी सुभाष तकनीकी संस्थान

[2](i) दिल्ली भवन तथा निर्माण कर्मचारी कल्याण बोर्ड (ii) दिल्ली विद्युत नियमन प्राधिकरण (iii) दिल्ली कल्याण समिति (iv) दिल्ली कानूनी सेवाये आयोग तथा (v) गुरु गोविन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय

विकलांग वित्तीय एंव विकास निगम लिमिटेड की स्थिति में 2004-05 से आठ वार्षिक लेखे बकाया थे। नेताजी सुभाष तकनीकी संस्थान ने 2009-10 से तीन वार्षिक लेखे तथा दिल्ली जल बोर्ड ने 2008-09 से चार लेखे प्रस्तुत नहीं किए।

3.3 दुरुपयोग, हानियाँ तथा गबन इत्यादि

31 मार्च 2013 तक लेखापरीक्षा द्वारा ₹ 23.05 लाख मूल्य की चोरी, सामग्री का दुरुपयोग/हानि के 23 मामलों का पता चला। लम्बित मामलों का विभाग-वार ब्यौरा तथा अवधि-वार विश्लेषण **परिशिष्ट 3.2** में तथा इन मामलों की प्रकृति **परिशिष्ट 3.3** में दर्शायी गई है। लम्बित मामलों की आवधिक रुपरेखा तथा वर्ग-वार चोरी और दुरुपयोग सामग्री की हानि में लम्बित मामलों की संख्या जिन्हें इन परिशिष्टों से लिया गया है नीचे **तालिका 3.3** में दर्शायी गई है।

तालिका 3.3

दुरुपयोग, हानियाँ तथा गबन इत्यादि की रुपरेखा

लम्बित मामलों की अवधि की रुपरेखा			लम्बित मामलों की प्रकृति		
अवधि वर्षों में	मामलों की संख्या	सम्मिलित राशि (₹ लाख में)	मामलों की प्रकृति	मामलों की संख्या	सम्मिलित राशि (₹ लाख में)
0–5	3	12.67	चोरी	11	0.46
5–10	12	9.89			
10–15	6	0.06	दुरुपयोग/ सामग्री की हानि	12	22.59
15–20	2	0.43			
कुल	**23**	**23.05**	**कुल बकाया मामले**	**23**	**23.05**

इन 23 मामलों में से, आठ मामले अस्पतालों से, सात मामले शिक्षा विभाग से और समाज कल्याण विभाग तथा रा.के.को. में से प्रत्येक के दो मामले हैं।

3.4 असमायोजित सार आकस्मिक बिल

महालेखा नियंत्रक (प्रा. एवं मु.) नियम, 1983 व्यवस्था करता है कि प्रत्येक सार बिल के साथ एक इस आशय का प्रमाणपत्र संलग्न किया जाना चाहिए कि सार आकस्मिक (सा. आ.) बिलों जोकि भुगतान के लिए प्रस्तुत बिल के पहले के माह में आहरित किए गए के संदर्भ में विस्तृत आकस्मिक बिलों (वि.आ.बि.) को नियंत्रक अधिकारियों को प्रस्तुत किया गया था। किसी भी स्थिति में कोई सार आकस्मिक बिल को इस प्रमाणपत्र के बगैर भुनाया नहीं जा सकता।

चालू वर्ष 2012-13 के दौरान ₹ 437.06 करोड़ के ए.सी. बिलों के प्रति ₹ 88.43 करोड़ (20.23 प्रतिशत) प्राप्त किए गए। रिकॉर्डो की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि ₹ 896.54 करोड़ के ए.सी. बिलों के प्रति ₹ 286.61 करोड़ (31.97 प्रतिशत) के डी.सी.सी. बिल प्राप्त किए गए जिस कारण 31 मार्च 2013 को ₹ 609.93 करोड़ का ए.सी. बिल बकाया था। वर्षवार विवरण नीचे **तालिका 3.4** में दिया गया है।

तालिका 3.4

सार आकस्मिक बिलों के प्रति विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिलों के प्रस्तुति में विलंब

(₹ करोड़ में)

वर्ष	ए.सी. बिलों की राशि	डी.सी.सी. बिलों की राशि	ए.सी. बिलों की प्रतिशतता में डी.सी.सी. बिल	बकाया ए. सी. बिल
2008-09 तक	155.62	31.25	20.08	124.37
2009-10	49.34	29.90	60.60	19.44
2010-11	70.46	19.72	27.99	50.74
2011-12	184.06	117.31	63.73	66.75
2012-13	437.06	88.43	20.23	348.63
कुल	**896.54**	**286.61**	**31.97**	**609.93**

उपरोक्त तालिका दिखाती है कि ए.सी. बिल पाँच सालों से अधिक अवधि के लिए बकाया थे। प्र. महालेखाकार कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स. ने कहा (नवंबर 2013) कि बकाया ए.सी. बिलों के अंतर्गत राशि सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा आपूर्तिकर्त्ताओं से उपकरणों, मशीनरी इत्यादि की खरीद तथा एन आई सी एस आई से आई.टी. संबंधित हार्डवेयर, साफ्टवेयर की खरीद के लिए साख पत्र खोलने से संबंधित थी। उन्होने आगे कहा (अप्रैल 2014) कि प्रशासनिक विभागों को राष्ट्रीयकृत बैंको के साथ एलसी खोलने के लिए वित्त विभाग द्वारा प्राधिकृत किया गया है। विभाग द्वारा ए.सी. बिलों पर एलसी को खोलने के लिए अग्रिम विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से उपस्कर, मशीनरी की प्राप्ति तथा अग्रिमों के समायोजन विभागों द्वारा की प्रस्तुति पर निर्भर करता है। जैसाकि बिलों के समायोजन की समयावधि के संबंध में कोई ठोस वचनबद्धता नहीं की जा सकी।

विभाग का यह विचार कि बिलों के समायोजन की समयावधि के संबंध में ठोस वचनबद्धता नहीं की जा सकी, उपरोक्त कथित नियम की स्थिति की दृष्टि से स्वीकार्य नहीं है।

इसके अतिरिक्त, विभिन्न विभागों द्वारा वि.आ.बि. बिलों की गैर-प्रस्तुति के कारण यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि निधियां उस उद्देश्य के लिए प्रयुक्त की गई जिसके लिए ये आहरित के गए थे तथा निधियों के अस्थायी दुरूपयोग की संभावना को विस्तृत आकस्मिक बिलों के अभाव में नियमविरूद्ध घोषित नहीं किया जा सका।

3.5 व्यक्तिगत जमा खाते

प्रधान लेखा कार्यालय के अनुसार राज्य की समेकित निधि में डेबिट द्वारा निधि रखने के उद्देश्य के लिए कोई व्यक्तिगत जमा खाता संचालित नहीं किया जा रहा है। यद्यपि महानियंत्रक लेखा (सी. जी.ए) तथा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, आवासीय आयुक्त, भूमि तथा भवन, दिल्ली उच्च न्यायालय तथा जिला एवं सेशन कोर्ट के पूर्व अनुमोदन से 11 व्यक्तिगत जमा खाते खोले गए थे।

31 मार्च 2013 तक इन निजी जमाओं में शेष बकायों का विवरण प्रतिक्षित था (फरवरी 2014)।

3.6 उचंत शेष

रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार का कोई पृथक लोक खाता नहीं है तथा लेन-देन संघीय सरकार के लोक खाते के अन्तर्गत किए जाते हैं। ऐसे सभी लेन-देनों को अन्त में नकद रुप में वसूली के भुगतान अथवा बुक समायोजन द्वारा समाशोधित किया जाता है। प्रारम्भ में इन्हें उचंत शीर्षो में दर्ज किया जाता है जिनका कम अन्तरालों में पुनरीक्षण किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उचित रूप से आवश्यकता से अधिक समय तक कोई मद असमायोजित न रहे तथा प्रत्येक मामले में लागू नियमों के अनुसार इसका समाशोधन सामान्य प्रकार से हो। यहाँ, इस प्रकार, इन शेषों को तेजी से समाशोधित करने की तथा उन्हें उचित लेखा शीर्षो में वर्गीकरण करने की आवश्यकता है।

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा तैयार किए गए लोक लेखा (केन्द्रीय) में ऐसे लेने-देनों की जांच से पता चला कि पिछले चार वर्षो के दौरान 'उचंत शीर्षों' के अन्तर्गत बड़े शेष ₹ 273.78 करोड़ बकाया थे। जैसा कि **तालिका 3.5** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.5
उचंत शीर्षें के अन्तर्गत राशि

(₹करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	निबल जोड़ (+) निपटान (–)	अन्त शेष
2009–10	631.52	–530.50	101.02
2010–11	101.02	+57.79	158.81
2011–12	158.81	+56.81	215.62
2012–13	215.62	+58.16	273.78

31 मार्च 2013 को विभिन्न उचंत शीर्षों के अन्तर्गत शेषों का विवरण नीचे दिया गया है :

(₹करोड़ में)

वेतन एवं लेखा कार्यालय उचंत खाता	डेबिट [illegible]
नकद परिशोधन उचंत लेखा (न.प.उ.ले.)	डेबिट [illegible]
भविष्य निधि उचंत लेखा	डेबिट [illegible]
सार्वजनिक क्षेत्र बैंक उचंत लेखा	डेबिट [illegible]
सामग्री क्रय उचंत लेखा (सा.क्र.उ.ले.)	क्रडिट [illegible]
उचंत लेखा (नागरिक)	क्रडिट [illegible]
कुल	**डेबिट 273.78**

प्रधान लेखा कार्यालय ने कहा (नवम्बर 2013) कि नकद परिशोधन उचंत लेखों (न.प.उ.ले.) शीर्ष के अन्तर्गत बकाया राशि का मुख्य भाग पी.ए.ओ. (एनएस) सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच), भारत सरकार तथा गृह मंत्रालय के अन्तर्गत दिल्ली पुलिस से संबंधित है तथा सामग्री क्रय उचंत लेखा (सा.क्र.उ.ले.) एवं न.प.उ.ले. (65.19 प्रतिशत) के अन्तर्गत बकाया शेषों के परिशोधन के लिए रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के.लो.नि.वि. के मुख्य अभियन्ता के साथ मामला उठाया गया।

यह सुनिश्चित कराया गया कि चालू वित्त वर्ष (2013-14) में न.प.उ.ले. के अन्तर्गत विभागों से बकाया बाह्य दावों की प्रतिपूर्ति के लिए आवश्यक कार्रवाई के अनुदेश दिए गए थे। इससे आगे कहा कि सभी पी.ए.ओ. को बकाया बाहय दावों की प्रतिपूर्ति के लिए आवश्यक कार्रवाई के अनुदेश दिए गए थे । इससे आगे उत्तर दिया है कि 2009 से कोर बैंकिग प्रणाली के आरंभ होने से सार्वजनिक क्षेत्र बैंक उचंत में विशाल शेष संचित हुए थे। शेषों के परिसमापन का मामला प्रबलता के साथ विभाग ने भारतीय स्टेट बैंक के समक्ष उठाया है।

3.7 निष्कर्ष

आठ स्वायत्त निकायों में से 2011-12 तक बकाया तीन स्वायत निकायों के वार्षिक लेखे मार्च 2013 तक प्राप्त नहीं हुए थे। विभिन्न अनुदान प्राप्तकर्त्ता संस्थाओं से उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए जाने में काफी देर हुई जिसके कारण अनुदान का समुचित योगदान सुनिश्चित नहीं किया जा सका। 4593 बकाया उ.प्र. में से ₹ 5380.92 करोड़ के 2180 उ.प्र. 10 वर्षों से अधिक समय से लम्बित थे। राज्य सरकार के विभागों ने दुरुपयोग, हानि, चोरी, गबन इत्यादि के 23 मामलों की सूचना दी थी जिसमें मार्च 2013 तक ₹ 23.05 लाख की सार्वजनिक राशि सम्मिलित थी। इन मामलों में अन्तिम कार्रवाई शेष थी।

3.8 सिफारिशें

सरकार विचार कर सकती है :

- स्वायत्त निकायों के वार्षिक लेखों की प्रस्तुति को तीव्र करने के लिए किसी प्रणाली को अपनाने के विषय में;
- सरकारी विभागों के आंतरिक नियंत्रण तंत्र को मजबूत किया जाए, ताकि उ.प्र. के समयानुसार प्रस्तुति पर निगरानी रखी जा सके तथा पूर्व अनुदानों के उ.प्र. की प्राप्ति के बाद ही आगे अनुदान जारी किए जाए ; तथा
- दुर्विनियोजन, चोरी एवं हानि के मामलों में कार्रवाई हेतु समयबद्ध रूपरेखा तैयार की जाए।

डौली चक्रबर्ती

नई दिल्ली
दिनांक: 30 जून 2014

(डौली चक्रबर्ती)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली

प्रतिहस्ताक्षरित

शशि कान्त शर्मा

नई दिल्ली
दिनांक: 1 जुलाई 2014

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट–1.1

राज्य की रुपरेखा (दिल्ली)

ए. सामान्य आँकड़े

क्र.सं.	विवरण		संख्या
1	क्षेत्रफल		1483 वर्ग किमी.
2	जनसंख्या		
	ए.	2001 की जनगणना के अनुसार	1.39 करोड़
	बी.	2011 की जनगणना के अनुसार	1.68 करोड़
3.	ए.	जनसंख्या घनत्व (2001 के अनुसार) (सम्पूर्ण भारत का घनत्व = 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी.)	9340 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी.
	बी.	जनसंख्या घनत्व (2011) के अनुसार (संपूर्ण भारत का घनत्व = 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी.)	11320 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी..
4	गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या (बी पी एल) (अखिल भारतीय औसत = 27.5* प्रतिशत)		9.91** प्रतिशत
5.	ए.	साक्षरता (2001 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत = 64.8 प्रतिशत)	81.67 प्रतिशत
	बी.	साक्षरता (2011 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत = 74.0 प्रतिशत)	86.34 प्रतिशत
6.	बाल मृत्यु दर*** (प्रति 1000 जीवित जन्म पर). (अखिल भारतीय औसत =47 प्रति 1000 जीवित जन्म लेने वालों पर)		23.94**
7.	जन्म पर जीवन प्रत्याशा (अखिल भारतीय औसत =66.1 वर्ष)		ला.न.
8.	गिनी गुणांक****		
	ए.	ग्रामीण. (अखिल भारतीय = 0.30)	0.26
	बी.	शहरी. (अखिल भारतीय = 0.37)	0.33
9.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) 2012-2013 वर्तमान मूल्य पर		₹ 365726.26 करोड़
10.	प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ. मि.वा.वृ.द्ध. (2002-03 से 2011-12 तक)	दिल्ली	
		सामान्य वर्ग के राज्य	13.09 प्रतिशत
11.	स.रा.घ.उ. मि.वा.वृ.द्ध***** (2003-04 से 2012-2013) तक	दिल्ली	18.49 प्रतिशत
		सामान्य वर्ग के राज्य	16.37 प्रतिशत

	बी	वित्तीय आंकड़े		
क्र.सं.		विवरण	संख्या (प्रतिशत में)	
1	मि.वा.वृ.द्ध		2003-04 से 2011-12	2003-04 से 2012-13
			सामान्य श्रेणी राज्य	दिल्ली
	ए.	राजस्व प्राप्ति का.	17.48	14.86
	बी.	कर राजस्व का.	17.44	16.60
	सी.	गैर कर राजस्व का.	12.64	(-) 4.5
	डी.	कुल व्यय का .	14.15	6.2
	ई.	पूंजीगत व्यय का.	16.83	19.30
	एफ.	शिक्षा पर राजस्व व्यय का	16.85	17.90
	जी.	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय का.	15.35	17.80

साधारण आंकड़े के स्रोतः
* बी.पी.एल (योजना आयोग तथा एन एस एस ओ आकड़े, 61 वाँ चरण),
** आर्थिक तथा सांख्यिकी निदेशालय, रा.रा.क्षे.दि.स.
***नव–जात शिशु मृत्यु दर (एस.आर.एस.बुलेटिन जनवरी 2011),
****गिनी गुणांक (योजना आयोग का गैर–सरकार अनुमान और एन.एस.एस.ओ आंकड़े, 61 वाँ चरण 2004-05 एम.आर.पी.),
***** संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर
वित्तीय आकड़े राज्य सरकारों के वित्तीय लेखों पर आधारित हैं।
+ गोवा, दिल्ली और पुद्दुचेरी को छोड़कर।
गिनी गुणांक जनसंख्या में आय विवरण असमानता का एक मानक है। मूल्य दर शून्य से एक है, जहाँ शून्य का श्रेष्ठ समानता होने से संदर्भ है और एक का श्रेष्ठ असमानता होने से संदर्भ है।

परिशिष्ट 1.2

(पैराग्राफ 1.1 को देखें)

भाग कः सरकारी लेखों की संरचना एवं बनावट

सरकारी लेखों की सरंचना : राज्य सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते है– (i) समेकित निधि, (ii) आकस्मिक निधि (iii) लोक लेखे

भाग I : समेकित निधि: राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, कोषागार बिलों के सभी ऋण, आंतरिक तथा बाह्य ऋण और ऋणों के पुनः भुगतान में सरकार द्वारा प्राप्त सभी धन एक समेकित निधि बनाते हैं। राज्य की समेकित निधि की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अंतर्गत की गई।

भाग II: आकस्मिक निधि: राज्य की आकस्मिक निधी की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 267(2) के अंतर्गत की गई है जो राज्यपाल के अधिकाराधीन अग्रदाय के रुप में रखी जाती है। अग्रिम देने के योग्य हो सके ताकि विधान मंडल द्वारा लम्बित प्राधिकार प्राप्त होने तक तत्कालीन अप्रत्याशित व्यय को पूरा किया जा सके। तदन्तर ऐसे व्यय के लिये तथा समेकित निधि से समतुल्य राशि के आहरण हेतु विधान मंडल का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है जबकि आकस्मिक निधि से अग्रिम निधि से पूरा किया।

भाग खः वित्तीय लेखों की स्थिति

विवरणी	स्थिति
विवरणी सं. 1	रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की समेकित निधि में प्राप्तियाँ तथा व्यय, राजस्व तथा पूँजी, लोक ऋण प्राप्तियाँ एवं संवितरण इत्यादि राज्य सरकार के लेन देनों का सारांश
विवरणी सं. 2	वर्ष की समाप्ति तक प्रगामी व्यय दर्शाने वाले पूँजीगत परिव्यय का संक्षिप्त विवरण
विवरणी सं. 3	राज्य की ऋण स्थिति का सारांश जिसमें आंतरिक ऋणों से उधार, भारत सरकार के उधार, अन्य देयताएं एवं ऋणों की सेवाएं सम्मिलित है।
विवरणी सं. 4	वर्ष के दौरान रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम किए गये पुनः भुगतानो और बकाया में वसूलियों इत्यादि का सारांश।
विवरणी सं. 5	रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की ओर से भारत सरकार द्वारा दी गयी गारंटी का सारांश
विवरणी सं. 6	वर्ष की समाप्ति पर शेषों का सारांश
विवरणी सं. 7	वर्ष के लिये विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत कुल राजस्व प्राप्तियाँ एवं व्यय की प्रतिशतता के रूप में राजस्व और व्यय
विवरणी सं. 8	वर्ष के दौरान किये गये प्रभारित एवं दत्तमत व्यय के मध्य संवितरण
विवरणी सं. 9	लघु शीर्षों द्वारा राजस्व का विस्तृत लेखा
विवरणी सं. 10	वर्ष के लिये पृथक रूप से गैर योजनागत एवं योजनागत के अन्तर्गत लघु शीर्ष के राजस्व व्यय और मुख्य शीर्ष वार पूंजीगत व्यय के लेखे
विवरणी सं. 11	वर्ष के दौरान तथा वर्ष की समाप्ति तक किये गये विस्तृत पूंजीगत व्यय
विवरणी सं. 12	वर्ष की समाप्ति तक सरकारी कंपनियों तथा सहकारी संस्थानों में राज्य सरकार के निवेश का विवरण
विवरणी सं. 13	वर्ष की समाप्ति तक (राजस्व लेखों के अलावा) अन्य व्यय तथा पूंजीगत व्यय और प्रमुख स्त्रोत जिसमें निधियाँ उस व्यय के लिये प्रदान की गयी थी।
विवरणी सं. 14	ऋण, कर्जों तथा अग्रिमों इत्यादि से संबंधित लेखा शीर्षों के अंतर्गत प्राप्तियों, संवितरणों और शेषों का विस्तृत लेखा।
विवरणी सं. 15	सरकार के ऋण का विस्तृत लेखा
विवरणी सं. 16	सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम, वर्ष के दौरान अदा की गयी ऋणों की राशि, तथा वर्ष की समाप्ति पर शेषों का विस्तृत लेखा

राजकोषीय समेकन की समस्त रूपरेखा और प्रवृत्तियों के निर्धारण में प्रयुक्त कुछ चुनी गई शर्तों की परिभाषा नीचे दी गई है :

शर्ते	गणना का आधार
पैरामीटर की उत्पलावकता	पैरामीटर की वृद्धि की दर/स.रा.घ.उ. वृद्धि
अन्य पैरामीटर (वाई) के संदर्भ में पैरामीटर (एक्स) की उत्पलावकता	पैरामीटर (एक्स) की वृद्धि की दर/पैरामीटर (वाई) की वृद्धि की दर
वृद्धि की दर (वृ.द.)	[(वर्तमान वर्ष की राशि/पिछले वर्ष की राशि)–1]*100
विकास व्यय	सामाजिक सेवाये+आर्थिक सेवाये
राज्य द्वारा भुगतान किया गया औसत ब्याज	ब्याज भुगतान/[(पिछले वर्ष के राजकोषीय देयताओं की राशि+वर्तमान वर्ष के राजकोषीय देयताओं)2]*100
ब्याज का विस्तार	स.रा.घ.उ. वृद्धि–औसत ब्याज दर
प्रमात्रा का विस्तार	ऋण स्टॉक *ब्याज का विस्तार
बकाया ऋणों की प्रतिशतता के रूप में प्राप्त ब्याज	ब्याज प्राप्ति [(प्रारम्भिक शेष+ऋणों और अग्रिमों का अन्तः शेष)2]*100
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्ति–राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूंजीगत व्यय + निवल ऋण एवं अग्रिम–राजस्व प्राप्ति–विविध पूंजीगत प्राप्ति
प्राथमिक घाटा	राजकोषीय घाटा – ब्याज का भुगतान
वर्तमान राजस्व का शेष (व.रा.शे.)	राजस्व प्राप्तियाँ घटा सभी योजनागत अनुदान तथा गैर–योजनागत राजस्व व्यय प्रमुख शीर्ष 2048 के अंतर्गत खर्चों को सम्मिलित न करते हुए–ऋण से बचाव को कम करने के लिए विनियोजन

परिशिष्ट 1.3
राज्य सरकार के वित्तों पर समय सारणी आंकड़े
(पैराग्राफ 1.2 और 1.5 को देखें)

(₹ करोड़ में)

	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
भाग ए: प्राप्तियाँ					
1. राजस्व प्राप्तियाँ (रा.प्र.)	16352.21	20451.34	25024.10	22393.17	25560.97
(i) कर राजस्व	12180.70	13447.86	16477.75	19971.67	23431.52
कृषि आय पर कर					
बिक्री, व्यापार,ईत्यादि पर कर	9152.09	10126.01	12068.62	13750.95	15803.69
राज्य उत्पाद शुल्क	1420.91	1643.56	2027.09	2533.72	2869.74
वाहनों पर शुल्क	419.12	462.65	707.55	1049.19	1240.18
स्टाम्प व पंजीकरण शुल्क	787.99	929.97	1355.75	2240.25	3098.06
भूमि राजस्व	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01
माल और यात्रियों पर कर	-	-	-		-
अन्य कर	400.57	285.64	318.71	397.54	419.84
(ii) गैर कर राजस्व	2300.73	3467.40	4188.95	460.87	626.93
(iii) केन्द्र कर व शुल्क में राज्य अंश	-	-	-		-
(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	1870.79	3536.08	4357.40	1960.64	1502.52
2. विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ					
3. ऋणों व अग्रिमों की वसुली	798.99	318.15	436.77	376.25	724.90
4. कुल राजस्व व गैर–ऋण पूंजीगत प्राप्तियाँ (1+2+3)	17151.21	20769.49	25460.87	22769.42	26285.87
5. सार्वजनिक ऋण प्राप्तियाँ	428.74	1769.00	4388.94	556.08	922.41
आन्तरिक ऋण (पूर्वोपाय अग्रिमों और ओवरड्राफ्टों के अतिरिक्त)	-	-	-	-	-
पूर्वोपाय अग्रिमों और ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेन–देन	-	-	-	-	-
भारत सरकार से ऋण व अग्रिम	428.74	1769.00	4388.94	556.08	922.41
6. समेकित निधि से कुल प्राप्तियाँ (4+5)	17579.95	22538.49	29849.81	23325.50	27208.28
7. आकस्मिक निधि प्राप्तियाँ	-	-	-	-	-
8. सार्वजनिक खाता प्राप्तियाँ	-	-	-	-	-
9. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (6+7+8)	17579.95	22538.49	29849.81	23325.50	27208.28
भाग बी. व्यय/संवितरण					
10. राजस्व व्यय	11762.56	13900.88	14381.74	17964.86	20659.36
योजनागत	3944.14	4742.76	4891.59	6440.86	6498.72
गैर–योजनागत	7818.42	9158.12	9490.15	11524.00	14160.64
सामान्य सेवाएँ (ब्याज भुगतानों सहित)	3434.55	3629.67	3728.95	4347.23	5738.57
सामाजिक सेवाएँ	6599.37	8103.58	8718.80	10717.11	11737.43
आर्थिक सेवाएँ	1272.69	1650.28	1392.46	2172.22	2350.82
सहायता अनुदान और योगदान	455.95	517.35	541.53	728.29	832.53
11. पूंजीगत व्यय	3995.40	4717.27	3984.80	4004.27	4176.63
योजनागत	3992.21	4713.62	3981.32	3999.96	4171.74
गैर–योजनागत	3.19	3.65	3.48	4.31	4.90
सामान्य सेवाएँ	333.48	356.13	264.55	188.82	196.88
सामाजिक सेवाएँ	681.32	636.94	536.74	578.23	1100.95
आर्थिक सेवाएँ	2980.60	3724.20	3183.51	3237.22	2878.81
12. ऋणों तथा अग्रिमों का संवितरण	4217.32	5701.30	6364.73	3345.42	3734.83
13. कुल (10+11+12)	19975.28	24319.45	24731.27	25314.55	28570.82
14. सार्वजनिक ऋण का पुनर्भुगतान	386.03	606.47	793.06	1087.88	1287.99
आंतरिक ऋण (पूर्वोपाय अग्रिमोंऔर ओवरड्राफ्टों के अतिरिक्त)	-	-	-	-	-
पूर्वोपाय अग्रिम व ओवरड्राफ्टों के अन्तर्गत निवल लेन–देन	-	-	-	-	-
भारत सरकार से ऋण व अग्रिम	386.03	606.47	793.06	1087.88	1287.99
15. आकस्मिक निधि से विनियोजन	-	-	-	-	-
16. समेकित निधि से कुल संवितरण (13+14+15)	20361.31	24925.92	25524.32	26402.42	29858.81

17. आकस्मिक निधि से संवितरण	-	-	-	-	-
18. सार्वजनिक खाता से संवितरण	-	-	-	-	-
19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	20361.31	24925.92	25524.32	26402.42	29858.81
भाग सी. घाटा					
20. राजस्व में घाटा(-)/ राजस्व आधिक्य (+)(1-10)	(+)4589.65	(+)6550.46	(+) 10642.36	(+)4428.31	(+) 4901.61
21. राजकोषीय घाटा(-)/राजकोषीय आधिक्य (+) (4-13)	(-)2824.07	(-)3549.96	(+) 729.60	(-)2545.20	(-)2284.95
22. प्राथमिक घाटा (21+23)	(-)312.20	(-)1077.03	(+) 3309.12	(+)372.06	(+)577.93
भाग डी. अन्य ऑकड़े					
23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	2511.87	2472.93	2579.52	2917.26	2862.88
24. स्थानीय निकायों, इत्यादि को वित्तीय सहायता	7627.57	9988.68	-	-	-
25. पूर्वोपाय उपयोग किए गए अग्रिम/ओवरड्राफ्ट (दिन)					-
उपयोग किए गए ओवरड्राफ्ट (दिन)	-	-	-	-	-
26. पूर्वोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट पर ब्याज					
27. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी)	189533.12	219395.95	261470.09	310735.76	365726.26
28. बकाया वित्तीय देयताएँ	25381.66	26544.20	30140.09	29608.29	29242.71
29. बकाया गारण्टियाँ (वर्ष के अंत में) (ब्याज सहित)	-	-	-	-	-
30. अधिकतम गारंटी की गई राशि (वर्ष के अंत मे)	-	-	-	-	
भाग ई. वित्तीय स्वास्थ्य संकेतक					
I संसाधन गतिशीलता					
निजी कर राजस्व/जीएसडीपी	6.43	6.01	6.30	6.43	6.41
निजी कर गैर–कर राजस्व/जीएसडीपी	1.21	1.58	1.60	0.15	0.17
II व्यय प्रबंधन					
कुल व्यय/जीएसडीपी	10.54	11.08	9.46	8.15	7.81
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियाँ	122.16	118.92	98.83	113.05	111.78
राजस्व व्यय/कुल व्यय	58.89	57.16	58.15	70.97	72.31
सामाजिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	43.58	42.54	43.41	51.88	50.23
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	30.46	30.52	27.88	27.48	22.58
पूंजीगत व्यय/कुल व्यय	20.00	19.40	16.11	15.82	14.62
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय/कुल व्यय	18.33	17.93	15.04	15.07	13.93
III वित्तीय असंतुलनों का प्रबंधन					
राजस्व घाटा (अधिशेष)/जीएसडीपी	(+) 2.42	(+) 2.99	(+) 4.07	(+)1.43	(+) 1.34
वित्तीय घाटा / जीएसडीपी	(-)1.49	(-) 1.62	(+) 0.28	(-) 0.82	(-) 0.62
प्राथमिक घाटा (अधिशेष)/जीएसडीपी	(-) 0.16	(-) 0.49	(+) 1.27	(+) 0.12	(+) 0.16
IV वित्तीय देयताओं का प्रबंधन					
राजकोषीय देयताएँ/जीएसडीपी	13.39	12.10	11.53	9.53	8.00
राजकोषीय देयताएँ/आर आर	155.22	129.79	120.44	132.22	114.40
प्रमात्रा प्रसार की तुलना में प्राथमिक घाटा	(-) 12.21	(-) 68.00	(+) 123.67	(+) 13.61	(+) 24.49
ऋण मुक्ति (मूल ++ब्याज) कुल ऋण प्राप्तियाँ					
V अन्य वित्तीय स्वास्थ्य संकेतक					
निवेश पर वापसी	0.31	0.38	0.37	0.23	0.16
चालू राजस्व से प्राप्त शेष (₹ करोड़ में)	7611.09	9670.26	13515.26	9887.38	10231.39
वित्तीय परिसम्पत्तियाँ/देयताएँ	90.86	95.22	90.94	94.79	97.88

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े प्रत्येक उपशीर्ष के कुल से प्रतिशत (पूर्णांक) प्रदर्शित करते हैं

@ सरकार द्वारा अपनाए जीएसडीपी आंकड़े सूचित किए गए हैं।

परिशिष्ट 1.4

(पैराग्राफ 1.5 को देखें)

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) की प्रवृत्तियाँ

	2008-09	2009-10 (आर)	2010-11 (पी)	2011-12 (क्यू)	2012-13 (ए)
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	189533.12	219395.95	261470.09	310735.76	365726.26
स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	20.00	15.76	19.18	18.84	17.70

स्रोतः आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय का कार्यालय, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
(आर) – संशोधित, (पी) – वैकल्पिक, (क्यू) – तत्काल आकलन, (ए) – अग्रिम आकलन

परिशिष्ट 1.5
भाग क : वर्ष 2012–13 के लिए प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार
(पैराग्राफ 1.9.1 को देखें)

(₹ करोड़ में)

खण्ड क : राजस्व							
प्राप्ति			संवितरण				
2011–12		2012–13	2011–12		2012–13		
					गैरयोजना	योजना	कुल
22393.17	I. राजस्व प्राप्ति	**25560.97**	**17964.86**	I. राजस्व व्यय	14160.64	6498.72	20659.36
19971.67	कर राजस्व	23431.52	**4347.24**	**सामान्य सेवाएं**	**5595.31**	**143.26**	**5738.57**
			10717.12	**सामाजिक सेवाएं**	**5728.63**	**6008.80**	**11737.43**
460.87	–गैर कर राजस्व	626.93	4422.25	–शिक्षा, खेल–कूद, कला एवं संस्कृति	3882.62	1210.18	5092.80
			2458.80	–स्वास्थय एवं परिवार कल्याण	1202.84	1305.49	2508.33
	–संघीय करों में राज्यों का अंश		2351.91	–जल आपूर्ति, स्वच्छता गृह एवं शहरी विकास	423.72	1957.16	2380.88
			20.64	–सूचना एवं प्रसारण	14.04	0	14.04
978.85	–गैर–योजना अनुदान	333.57	185.28	–अनूसुचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गो का कल्याण	12.58	192.83	205.41
814.75	–राज्य योजना स्कीमो के लिए अनुदान	919.73	76.63	–श्रम एवं श्रमिक कल्याण	70.06	10.32	80.38
			1195.37	–समाज कल्याण एवं पोषण	115.31	1332.82	1448.13
167.03	–केन्द्र एवं केन्द्र प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान	249.21	6.22	–अन्य	7.46	0	7.46
			2172.22	**आर्थिक सेवाएं–**	**2004.16**	**346.66**	**2350.82**
			79.64	–कृषि एवं अन्य संबद्ध गतिविधियाँ	68.81	9.61	78.42
			7.44	–ग्रामीण विकास	6.29	1.85	8.14
				–विशेष क्षेत्र कार्यक्रम			
			105.85	–सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	108.17	0.34	108.51
			585.64	–ऊर्जा	673.30	18.08	691.38
			26.93	–उद्योग एवं खनिज	9.15	17.99	27.14
			1210.40	–परिवहन	1080.46	139.32	1219.78
			45.71	–विज्ञान, प्रौधोगिकी एवं पर्यावरण	1.04	31.34	32.39
			110.60	–सामान्य आर्थिक सेवाएं	56.94	128.12	185.06
			728.29	सहायता अनुदान एवं योगदान			
			17964.86	**कुल**	**0**	**832.53**	**832.53**
	II. राजस्व घाटा को आगे खण्ड ब तक ले जाना		**4428.31**	**II. राजस्व अधिशेष को आगे खंड ब तक ले जाना**	-	-	**4901.61**
22393.17	**कुल**	**25560.96**	**22393.17**	**कुल**			**25560.96**

खण्ड–क : राजस्व							
प्राप्ति			संवितरण				
2011-12		2012-13	2011-12		2012-13		
					गैर–योजना–गत	योजना–गत	कुल
खण्ड–ब : पूँजीगत एवं अन्य							
7713.20	III. स्थायी अग्रिम एवं शेष नकद निवेश सहित अथशेष	4636.28		III. भारतीय रिजर्व बैंक से आरंभिक ओवरड्राफ्ट			
	IV. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ			IV. पूंजीगत रूपरेखा			
			188.82	**सामान्य सेवाएं–**	**0**	**196.88**	**196.88**
			578.23	**सामाजिक सेवाएं–**	**0**	**1100.95**	**1100.95**
			326.51	शिक्षा, खेल–कूद, कला एवं संस्कृति	0	377.94	377.94
			167.45	स्वास्थय एवं परिवार कल्याण	0	225.82	225.82
			34.25	जल आपूर्ति, स्वच्छता गृह एवं शहरी विकास	0	400.58	400.58
			-	सूचना एवं प्रसारण	-	-	-
			27.10	अनूसुचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गो का कल्याण	0	37.73	37.73
	खण्ड–ब : अन्य (निष्कर्ष)		17.18	समाज कल्याण एवं पोषण	0	29.54	29.54
			5.73	अन्य	0	29.35	29.35
			3237.22	**आर्थिक सेवाएं–**	**4.90**	**2873.91**	**2878.81**
			20.04	कृषि एवं अन्य संबद्ध गतिविधियाँ	0.40	24.63	25.03
			149.38	ग्रामीण विकास	0	206.25	206.25
			-	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	-	-	-
			53.16	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	4.50	73.72	78.22
			865.96	ऊर्जा	0	556.39	556.39
			(-)1.43	उद्योग एवं खनिज	0	50.39	50.39
			2140.93	परिवहन	0	1961.14	1961.14
			0.50	विज्ञान, प्रौघोगिकी एवं पर्यावरण	0	0.47	0.47
			8.69	सामान्य आर्थिक सेवाएं	0	0.92	0.92
			4004.27	**कुल**	**4.90**	**4171.74**	**4176.63**
376.25	**V. ऋण एवं अग्रिमों की वसूली–**	**724.90**	**3345.42**	**V. ऋण एवं अग्रिमों की वसूली–**	-	-	**3734.83**
299.47	– पॉवर परियोजना से	172.95	966.36	पॉवर परियोजनाअें के लिए	-	-	700.00

खण्ड–क : राजस्व							
प्राप्ति			संवितरण				
2011-12		2012-13	2011-12		2012-13		
					गैर–योजना–गत	योजना–गत	कुल
2.26	– सरकारी सेवकों से	2.10	0.93	सरकारी सेवकों को	-	-	0.79
74.52	-अन्यों से	549.85	2378.13	अन्यों का	-	-	3034.04
	VI. राजस्व अधिशेष कम किया गया			VI. राजस्व घाटा कम किया गया			
			1087.88	**VII. लोक ऋण की पुर्नअदायगी-**	-	-	**1287.99**
556.08	**VII. लोक ऋण प्राप्ति-**	**922.41**		बाह्य ऋण	-	-	-
	बाह्य ऋण	-		पुर्वोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अतिरिक्त आंतरिक ऋण	-	-	-
	पुर्वोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अतिरिक्त आंतरिक ऋण	-		पुर्वोपाय अग्रिम के अंतर्गत निवल लेन-देन	-	-	-
	पुर्वोपाय अग्रिम के अंतर्गत निवल लेन-देन	-	1087.88	केन्द्र सरकार को ऋण एवं अग्रिम का पुनर्भुतान	-	-	1287.99
	ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत कुल लेन-देन	-		**VIII. आकस्मिक निधि से विनियोजन**			-
556.08	केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम	922.41		**IX. आकस्मिक निधि से व्यय**			-
	आकस्मिक निधि में विनियोजन	-		**X. लोक खाता संवितरण**			-
	आकस्मिक निधि में स्थानांतरित राशि	-		अल्प बचते एवं भविष्य निधियाँ			-
	लोक लेखा प्राप्तियाँ	-		आरक्षित निधियाँ			-
	लघु बचते एवं भविष्य निधियाँ	-		उचंत एवं विविध			-
	आरक्षित निधियाँ	-		प्रेषण			-
	उचंत एवं विविध	-		जमा एवं अग्रिम			-
	प्रेषण	-	**4636.28**	**XI अंत में नकद शेष-**			**1985.75**
	जमा एवं अग्रिम	-		खजाने में नकद एवं स्थानीय प्रेषण			-
	भारतीय रिजर्व बैंक से अंतिम ओवरड्राफ्ट	-		रिजर्व बैंक में जमा			-
		-		स्थायी अग्रिम को शामिल करते हुए विभागीय नकद शेष			-
		-		नकद शेष निवेश			
31038.70	**कुल**	**31844.56**	**31038.70**	**कुल**	-	-	**31844.56**

परिशिष्ट 1.5 (जारी)
(पैराग्राफ 1.9.1 को देखें)

(₹ करोड़ में)

भाग बी			
31 मार्च 2012 को रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति			
31-03-2012 को	**देयताएँ**		**31-03-2013 को**
29608.28	**केन्द्र सरकार से ऋण व अग्रिम**		**29242.71**
-	1984-85 से पूर्व के ऋण	-	-
29608.27	गैर–योजनागत ऋण		29242.70
-	राज्य योजनागत ऋण	-	-
0.01	केन्द्रीय योजनागत स्कीमों हेतु ऋण	-	0.01
-	केन्द्र प्रायोजित योजनागत स्कीमों हेतु ऋण	-	-
54499.92	***राजस्व अधिशेष***		**59401.53**
1587.95	**सी जी ए से 1994–95 के दौरान स्वीकृत पूंजीगत परिव्यय का शेष**		**1587.95**
3356.46	**1994–95 के दौरान सी जी ए से स्वीकृत ऋण व अग्रिमों का शेष**		**3356.46**
89052.61	**कुल**		**93588.65**
	परिसम्पत्तियाँ		
36299.44	**अचल परिसम्पत्तियों पर सकल पूंजीगत परिव्यय**		**40715.08**
14655.90	कम्पनियों, निगमों इत्यादि के अंशों में निवेश		16388.15
21643.54	अन्य पूंजीगत परिव्यय		24326.93
48116.90	***ऋण और अग्रिम***		**50887.82**
6278.39	पॉवर परियोजनाओं हेतु ऋण		6566.45
27728.99	अन्य विकास ऋण		29564.40
14109.51	सरकारी कर्मचारियों को ऋण व विविध ऋण		14756.97
4636.28	**संघ सरकार के नकद शेष में विलयित नकद शेष**		**1985.75**
89052.61	**कुल**		**93588.65**

उपरोक्त विवरणों के दिए गए संक्षिप्त लेखों को वित्त लेखों में दी गई अभ्युक्तियों और स्पष्टीकरणों के संदर्भ में समझा जाना चाहिए। चुंकि सरकारी लेखे प्रमुखतः नकद आधार पर होते हैं, सरकारी खाते में कमियाँ, जैसा कि परिशिष्ट 1.4 में दर्शाया गया है, व्यावसायिक लेखा में संपत्ति आधार के विपरीत नकद आधार में स्थिति को दर्शाते हैं। परिणास्वरुप भुगतान योग्य या प्राप्ति योग्य मदों अथवा स्टॉक आँकड़ों इत्यादि में अवमूल्यन या भिन्नता जैसी मदें खातों में नहीं दी गई हैं। सकल आवंटन के अंतर्गत 31 मार्च 2012 तथा 31 मार्च 2013 तक के लिए दी गई क्रमशः ₹ 36299-44 करोड़ तथा ₹ 40715-08 करोड़ धनराशि की परिसंपत्तियों में ₹1587-95 करोड़ की धनराशि सम्मिलित है जो 1994-95 के दौरान महानियंत्रक (लेखा) से प्राप्त किए गए थे । इसी प्रकार परिसम्पत्तियों में दर्शाए गए 31 मार्च 2012 और 31 मार्च 2013 के लिए क्रमशः ₹ 48116.90 करोड़ तथा ₹50887.82 करोड़ की धनराशि के ऋण व अग्रिम दर्शाए गए थे परन्तु इन वर्षो के लिए देयताओं में दर्शाए जाने वाले ऑकड़े वित्त लेखों में स्पष्ट रुप से नहीं दर्शाए गए हैं।

परिशिष्ट–2.1
₹ 50 करोड़ तथा अधिक की बचतों के अनुदानों की सूची
(पैराग्राफ 2.3.1 को देखें)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का नाम तथा संख्या	मूल अनुदान/विनियोग	पूरक अनुदान/विनियोग	कुल अनुदान/विनियोग	वास्तविक व्यय	बचतें	प्रति–शत	कारण
	राजस्व–दत्तमत							
	अनुदान सं. 6 शिक्षा							
1	2202 ए1(2)(8)(1) अतिरिक्त विद्यालय सुविधाएँ	1557.63		1557.63	1492.18	65.45	4.20	बचत मुख्यतः शिक्षकों व अन्य स्टाफ की रिक्तियों, एमएसीपी को अंतिम रूप न देने एवं कम बिलों के कारण थी।
	अनुदान सं. 7 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थय							
2	2210 ए1 (1) (2) विद्यालय स्वास्थय स्कीम	108.87	-	108.87	16.05	92.82	85.24	बचत मुख्यतः रिक्तियों तथा स्कीम की धीमी प्रगति और बिलों/दावों की गैर प्राप्ति के कारण थी।
3	2210 एफ(1)(1)(1) गुरू तेग बहादुर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल	257.35	-	257.35	193.41	63.94	24.84	बचत मुख्यतः रिक्तियों, कम दावों/बिलों, कम स्टोर वस्तुओं की खरीद एवं ईपीसी द्वारा खरीद को अंतिम रूप न देने के कारण थी।
4	2052 ए के 1(1)(1) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	104.00	-	104.00	3.32	100.7	96.8	बचत मुख्यतः रिक्तियों, कम दावों/बिलों, कम विज्ञापनों तथा कम्प्यूटरों की कम खरीद के कारण थी।
	अनुदान सं. 8 समाज कल्याण							
5	7055 डी डी 4(1) (5) बिक्री कर की प्रतिपूर्ति के लिए एमआरटीएस को ऋण	-	300	300	-	300	100	एमआरटीएस को ऋण जारी न करने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान पूर्ण रूप से अप्रयुक्त रह गया।
	अनुदान सं. 9 उद्योग							
6	3456 डी 1(4) (7) ई डब्ल्यू एस के लिए अन्नश्री स्कीम	135	-	135	30.80	104.2	77.17	बचत मुख्यतः स्कीम की धीमी प्रगति एवं वित्तीय वर्ष के अंत तक दावों की गैर प्राप्ति के कारण थी।
अनुदान सं. 11 शहरी विकास और लोक निर्माण विभाग								
7	2215 ए 6(1)(1)(6) असंसाधित जल के लिए दि.ज.बो को अनुदान सहायता	300	-	300	250	50	16.67	बचत मुख्यतः कम अनुदान के जारी होने के कारण थी।
8	2216ए 7(1)(1)(2) कमजोर वर्ग हेतु आवास के निर्मा.ा के लि, दि.न.नि. डीयूएसआईबी (मलिन बस्ती) को अनुदान (जेएनएनयूआरएम)	250	--	250	130	120	48	बचत मुख्यतः कम अनुदान के जारी होने के कारण थी।
9	2217ए8(2)(1)(26) नगरीय सुधार हेतु सहायता अनुदान	339.87	-	339.87	150	189.87	56	बचत मुख्यतः कम अनुदान के जारी होने के कारण थी।

10	3054ए12(1)(1)(3) शहरी सड़कों के लिए उत्तर दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान	120	-	120	30	90	75	बचत मुख्यतः कम अनुदान के जारी होने के कारण थी।
11	3054 ए12 (1)(12) आरओबी/आरयूबी के निर्माण के लिए उत्तर दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान	55	-	55	-	55	100	अनुदान के जारी न होने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान पूर्ण रूप से अप्रयुक्त रह गया।
पूँजी – दत्तमत्त अनुदान सं. 6 शिक्षा								
12	4202 एए1 (1)(1)(2) विद्यालय भवनों के कार्य की आउटसोर्सिंग	250	-	250	50	200	80	बचत मुख्यतः कार्य की धीमी प्रगति के कारण थी।
अनुदान सं. 11 शहरी विकास और लोक निर्माण विभाग								
13	4217एए1(3)(1)(5) अनाधिकृत कॉलोनियों का विकास	400	-	400	303.36	96.64	24.16	बचत मुख्यतः कार्य की धीमी प्रगति के कारण थी।
14	6215 एए 2 (2) (1) (5) यमुना एक्शन प्लान–दिल्ली सरकार अंश के अंतर्गत सीवर व्यवस्था के पुर्नस्थापना हेतु दिल्ली जल बोर्ड को ऋण	75	-	75	23	52	69.33	बचत मुख्यतः कम ऋण के जारी होने के कारण थी।
15	6215 एए 2 (2) (1) (13) जेएनएनयूआरएम परियोजना के लिए दि.ज.बो. को ऋण	251.50	-	251.50	193.60	57.9	23	– वहीं –
16	7615 एए 5(1) (5) साधन आश्रय हेतु उत्तर दिल्ली नगर निगम को ऋण	790	-	790	620	170	21.5	– वहीं –
17	7615 एए 5(1) (6) अर्थोपाय समर्थन हेतु दक्षिण दिल्ली नगर निगम को ऋण	620	-	620	61	559	90.16	– वहीं –
18	7615 एए 5(1) (7) अर्थोपाय समर्थन हेतु पूर्व दिल्ली नगर निगम को ऋण	421	-	421	319	102	24.22	– वहीं –
19	4070 बीबी 3(1) (2) केंद्रीय कारागार भवन	120	-	120	38.75	81.25	67.70	बचत मुख्यतः कार्य की धीमी प्रगति के कारण थी।
20	4210 बीबी 5(1) (1) (1) (1) चिकित्सालयों हेतु भवनों का निर्माण	220.50	-	220.50	62.16	158.34	71.81	बचत मुख्यतः संस्वीकृति के देरी से प्राप्त होने के कारण थी।
21	5054 बीबी 11(1) (1) (1) सड़कों और पुलों का निर्माण	800	241.40	1041.40	708.83	332.57	32	बचत मुख्यतः वित्तीय वर्ष के अंत में संस्वीकृति की प्राप्ति के कारण थी।
22	5054 बीबी 11(1) (1) (4) सीआरआफ योजनाएँ	50	-	50		50	100	सीआरएफ के अंतर्गत संस्वीकृति की गैर प्राप्ति के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।

23	5054 बीबी 11(1) (1) (6) कॉमनवेल्थ खेलों हेतु डीटी तथा टीडीसी द्वारा सड़कों व पुलों का निर्माण	290	-	290	118.37	171.63	59.18	बचत मुख्यतः कार्य की धीमी प्रगति के कारण थी।
24	6801 ईई 1(3) (3) (1) प्रगति पॉवर परियोजना–III बवाना को ऋण	377.61	-	377.61	200	177.61	47.03	बचत मुख्यतः कम ऋण जारी होने के कारण थी।
25	6801 ईई 1(5) दिल्ली ट्रॉंस्को लिमिटेड को ऋण	350.00	-	350.00	-	350.00	100	ऋण के जारी न होने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
26	4801 ईई 2(1) (1) (4) प्रगति पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड–फेस II बामनॉली इक्विटी अंशदान	75.00	-	75.00	-	75.00	100	इक्विटी पूँजी के जारी न होने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
27	लोक ऋण 2049 ए 1(1) (1) राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेश योजना स्कीम हेतु ऋणों पर ब्याज	3300.00	-	3300.00	2862.88	437.12	13.24	बचत मुख्यतः भारत सरकार से ऋण के जारी होने के कारण थी।
	कुल	**11618.33**	**541.40**	**12159.73**	**7856.60**	**4303.04**		

परिशिष्ट – 2.2
विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों की विवरणी जहाँ पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त थे
(पैराग्राफ 2.3.3 को देखें)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान से बचतें	कारण
	राजस्व–प्रभारित				
	अनुदान सं. 3 न्याय प्रशासन				
1	2014 बी 1 (1) (1) सत्र न्यायालय भारित	10	–	10	बचत मुख्यतः रिक्तियों, कम दावों/बिलों की प्राप्ति, एम ए सी पी मामलों को अंतिम रुप न देने तथा बकाया के गैर–भुगतान के कारण थी।
	अनुदान सं. 6 शिक्षा				
2	2202 ए 1 (4) (4) (2) विद्यालयों में योगा योजना का आरंभ	5.0	–	5.0	बचत मुख्यतः रिक्तियों एवं कम दावों की प्राप्ति के कारण थी।
	राजस्व–दत्तमत				
	अनुदान सं. 2 सामान्य प्रशासन				
3	2250 सी 7 (1) (1) (1) अल्पसंख्यक आयोग को सहायता अनुदान	150	–	150	अजा/अजजा, अपिव व अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की योजना के स्थानांतरण के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
4	2252 एच 1 (1) (5) सामाजिक सुविधा संगम को सहायता अनुदान (स्मार्ट कार्ड जारी करने हेतु)	200	–	200	योजना के कार्यान्वयन न होने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
	अनुदान सं. 3 न्याय प्रशासन				
5	2014 ई 1(1) (1) निर्देशन एवं प्रशा.	6	–	6	रिक्तियों के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
6	2014 ई 1(2) (5) दिल्ली विवाद निस्तारण सोसायटी को सहायता अनुदान	300	–	300	अनुदान के जारी न होने के कारण सम्पुर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
	अनुदान सं. 6 शिक्षा				
7.	2202 ए1(2)(8)(8) चयनित विद्यालयों/विज्ञान संग्रहालय में अन्वेषण परियोजना	5.50	––	5.50	रिक्तियों एवं कम दावों की प्राप्ति के कारण सम्पुर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया ।
8.	2202 ए1(2)(8)(29) सूचना एवं प्रसारण प्रौद्योगिकी के अंतर्गत राज्य का अंश	1200	––	1200	भारत सरकार से निधियों की गैर प्राप्ति के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
9.	2203 बी1(5)(19) महिला तकनीकी विश्वविद्यालय को सहायता अनुदान	1000	––	1000	बचत मुख्यतः कम अनुदान के जारी होने के कारण थी। सहायता अनुदान जारी न होने के कारण समपूर्ण प्रावधान अनुप्रयुक्त रह गया।
10.	2203 बी 1(6)(8) स्टाफ विकास	44	––	44	योजना की धीमी प्रगति के कारण सम्पुर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
11.	2203 बी 2(1)(3)(4) दिल्ली स्किल मिशन सोसाइटी को सहायता अनुदान	200	––	200	बचत मुख्यतः कम अनुदान के जारी होने के कारण थी।
12.	2205 एफ2(2)(2) प्रितष्ठत लेखकों को पेंशन	5	––	5	योजना का धीमी प्रगति के कारण सम्पुर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
13.	2205 एफ (3)(3) राजा राम मोहन राय पुस्तकालय संस्था को सहायता अनुदान	20	––	20	कम अनुदान के जारी होने के कारण सम्पुर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
14.	2202 जे1(1)(1)(2) दिल्ली विश्वविद्यालय अनुदान से सम्बन्धित कॉलेजों को सहायता	20	––	20	कम अनुदान के जारी होने के कारण सम्पुर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।

15.	2202 जे 1(1)(1)(3) कॉलेज जाने वाली छात्राओं हेतु छात्रावासों के निर्माण के लिए कॉलेजों को सहायता अनुदान	50	—	50	कम अनुदान के जारी होने के कारण सम्पुर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
16.	2202 जे 1(1)(2)(1)(6) आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के छात्रों को वित्तीय सहायता	10	—	10	लाभार्थियों की कम संख्या के कारण सम्पुर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
17.	2202 जे 1(1)(4)(2) सरकारी कॉलेजों में नए पाठ्यक्रमों का आरंभ	10	—	10	योजना के गैर–कार्यान्वयन के कारण सम्पुर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
18.	2202 जे 1(1)(4)(3) नये डीग्री कॉलेज का खुलना	10	—	10	योजना के गैर–कार्यान्वयन के कारण सम्पुर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
	अनुदान सं. 7 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थय				
19.	2210 ए 1(1)(3)(1) कर्मचारी राज्य बीमा निगम को अशंदान	1400	—	1400	दावों की गैर–प्राप्ति के कारण सम्पुर्ण प्रावदान अप्रुयक्त रह गया।
20	2210 ए 1(1)(4)(4) दिल्ली में नया चिकित्सालय	60	–	60	लो.नि.वि. से भवन के स्वामित्व की गैर प्राप्ति के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
21	2210 ए 1(1)(5)(5) दिल्ली में कार्यरत सेवा डॉक्टर को राज्य पुरस्कार	40	–	40	—
22	2210 ए 1(4)(1)(3) राज्य रुग्णता सहायता निधि (दिल्ली आरोग्य निधि) को दिल्ली सरकार का अंशदान	150	–	150	लाभार्थियों की कम संख्या के कारण सम्पुर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
23	2211 ए 3 (1)(2) आपका स्वास्थ्य बीमा	500	–	500	भारत सरकार से निधियों की गैर–प्राप्ति के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
24	2210 एफ 1(3)(1)(2) चिकित्सा शास्त्र के विश्वविद्यालय कॉलेज	10	–	10	रिक्तियों के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
25	2210 एच1(1)(1)(1) (9) बाल विकास केन्द्र	10	–	10	**कारण प्रतीक्षित**
	अनुदान सं. 8 समाज कल्याण				
26	2235 ए 2(1)(2)(16) सामाजिक एवं शारीरिक लाभ से वंचित लोगों के लिए राज्य कार्यक्रम घटनाएं	10	–	10	**कारण प्रतीक्षित**
27	2225 सी 1(1)(2)(4) अजा/अजजा/अपिव/अल्पसंख्यक हेतु दिल्ली स्वरोजगार योजना	3000	–	3000	योजना के गैर–कार्यान्वयन के कारण सम्पुर्ण प्रावधान पूर्ण रुप से अप्रुयक्त रह गया।
28	2225 सी 1(3)(1)(8) अल्पसंख्यकों केंद्रित जिलों हेतु बहु क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम राज्य सरकार अंश	500	–	500	सम्बन्धित विभाग से कारण प्रतीक्षित है।
29	2041 डी1(4)(14)(4) नई दिल्ली नगर निगम	110	–	110	करों के अंश के जारी न होने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया ।
30	2070 डी 2(1)(1) मोटर गैरेज	6	–	6	**कारण प्रतीक्षित**
	अनुदान सं. 9 उद्योग				
31	2851 ए 2(3)(6) औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण हेतु अनुदान सहायता	100	–	100	अनुदान के जारी न होने के कारण सम्पुर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
32	2851 ए 2(4)(4) दस क्षेत्रीय/विशेष प्रदर्शनीयाँ	10	–	10	**कारण प्रतीक्षित**
33	2851 ए 2(7)(1) हस्तकरघा को प्रोत्साहन	18	–	18	कम बिलों के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
34	2230 बी 1(1)(2)(5) रोजगार एक्सचेंज के संचालन का कम्पयूटरीकरण	25	–	25	**कारण प्रतीक्षित**
35	2230 सी 2(1)(4)(3) दिल्ली श्रमिक कल्याण बोर्ड को हॉलिडे होम चलाने हेतु सहायता अनुदान	20	–	20	कम अनुदान के जारी होने के कारण सम्पुर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।

36	2230 सी 2(1)(4)(4) दिल्ली श्रमिक कल्याण बोर्ड को श्रमिक कल्याण केन्द्रों के निर्माण/नवीनीकरण हेतु सहायता अनुदान	10	–	10	**कारण प्रतीक्षित**
37	2230 सी 2(1)(5)(1) बाल श्रमिकों का पुनर्वास	550	–	550	बचत मुख्यतः योजना की धीमी प्रगति के कारण थी। योजना के गैर–कार्यान्वयन के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
38	2230 सी 2(1)(6)(1)(1) दिल्ली स्वस्थ कुटुम्ब सोसाइटी को सहायता अनुदान	300	–	300	अनुदान के जारी न होने के कारण सम्पुर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
39	3456 डी 1(2)(3) स्वैच्छिक एजेंसियाँ उपभोक्ता आंदोलन, प्रचार इत्यादि में आबद्ध को सहायता	5	–	5	**कारण प्रतीक्षित**
40	3456 डी 1(4)(1) गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को सहायतार्थ प्राप्त	5	–	5	योजना के गैर–कार्यान्वियन के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
41	3456 डी 1(4)(3) उपभोक्ताओं को चीनी हेतु आर्थिक सहायता	5	–	5	योजना के गैर–कार्यान्वियन के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
42	3456 डी 1(4)(4) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उपभोक्ताओं को भोजन हेतु आर्थिक सहायता	5	–	5	योजना के गैर–कार्यान्वियन के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
43	3456 डी 1(4)(5) अत्यावश्यक वस्तुओं के बढ़ते दामों की जाचँ हेतु बाजार द्वारा मध्यस्थता का प्रावधान	250	–	250	वित्तीय वर्ष के अन्त तक दावों की प्राप्ति न होने के कारण योजना के गैर–कार्यान्वयन के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
	अनुदान सं. 10 विकास				
44	2403 बी 3 (1)(2)(11) विद्यमान पशु चिकित्सालयों का सशक्तिकरण	40	–	40	**कारण प्रतीक्षित**
45	2029 ई 1 (3)(1) सचिव राजस्व	5.50	–	5.50	रिक्तियों के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
46	2029 ई 2 (2)(2)(2) विज्ञापन एवं प्रचार	5	–	5	विज्ञापन न होने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान पूर्ण रुप से अप्रयुक्त रह गया।
47	2235 ई 7 (1)(3)(1)(1) बँधुआ मजदूर का पुर्नवास	6	–	6	कम दावों के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रुयुक्त रह गया।
48	2015 एच 6 (1)(1)(1) चुनाव पर खर्चे	5	–	5	**कारण प्रतीक्षित**
49	2245 एम 5 (1)(1)(1)(1) अन्य मदें	10	–	10	**कारण प्रतीक्षित**
50	2029 एन 1 (3)(1) उत्तर पश्चिम क्षेत्र	5	–	5	रिक्तियों के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
51	2015 ओ 7 (5)(1)(1) लोक सभा चुनाव का संचालन	5	–	5	कम बिलों के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रुयुक्त रह गया।
52	2435 पी 2 (3)(1)(4) एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन	20	–	20	**कारण प्रतीक्षित**
53	2401 पी 6 (1)(1) शहरी क्लस्टरों के लिए वनस्पति प्रोत्साहन (वी आई यू सी)	200	–	200	नई योजना के कार्यान्वयन के कारण आधिक्य था। योजना के कार्यान्वयन न होने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
	अनुदान सं. 11 शहरी विकास और लोक निर्माण विभाग				
54	2070 ए 3 (2)(1) एम सी डी को अपवर्तन जुर्मानों की प्रतिपूर्ति	25	–	25	**कारण प्रतीक्षित**
55	2215 ए 6 (1)(1)(3) दि.ज.बो. का सुधार	600	–	600	बचत मुख्यतः योजना की धीमी प्रगति के कारण थी। योजना के कार्यान्वयन न होने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
56	2216 ए 7 (1)(1)(4) कमजोर वर्ग हेतु आवासों के निर्माण के लिए दि.वि.प्रा. को अनुदान (जे एन एन यू आर एम)	500	–	500	अनुदान के जारी ने होने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान पूर्ण रुप से अप्रयुक्त रह गया।
57	2216 ए 7 (1)(1)(6) राजीव आवास योजना (डी यू एस आई बी)	1000	–	1000	योजना के गैर–कार्यान्वयन के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
58	2217 ए 8 (1)(1)(6) अव–मानक क्षेत्रों हेतु परिप्रेक्ष्य योजना की तैयारी	30	–	30	योजना के गैर–कार्यान्वयन के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।

59	2217 ए 8 (2)(1)(15) जेजे क्लस्टरों में शिशु वाटिका/सार्वजनिक स्थानों हेतु एम सी डी (स्लम) को सहायता अनुदान	200	—	200	अनुदान के जारी ने होने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान पूर्ण रुप से अप्रयुक्त रह गया।
60	2217 ए 8 (2)(1)(17)(3) अनधिकृत कॉलोनियों में अत्यावश्यक सेवाओं हेतु पूर्वी दिल्ली नगर निगम को अनुदान	100	—	100	अनुदानग्राही संस्थान द्वारा कार्य के निष्पादन न करने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
61	2217 ए 8 (2)(1)(28) कनॉट प्लेस के पुर्नविकास हेतु एनडीएमसी को सहायता अनुदान (जे एन एन यू आर एम)	4500	—	4500	अधिशेष का मुख्य कारण अधिक अनुदान का जारी होना था। प्रस्तावों की गैर–प्राप्ति के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
62	2217 ए 8 (3)(1)(5) S.V. वॉल्ड सिटी के पुर्ननिर्माण हेतु एस वी पी	4000	—	4000	बचत मुख्यतः योजना की धीमी प्रगति के कारण थी। अनुदानग्राही संस्थान से प्रस्तावों की गैर प्राप्ति के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
63	3054 ए 12 (1)(1)(9) जे एन एन यू आर एम हेतु उत्तर दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान	1000	—	1000	भारत सरकार से ए सी ए निधि के जारी न होने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
64	3054 ए 12 (1)(1)(10) जे एन एन यू आर एम हेतु दक्षिण दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान	1000	—	1000	बचत मुख्यतः कम अनुदान के जारी होने के कारण थी। भारत सरकार से ए सी ए निधि के जारी न होने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
65	3054 ए 12 (1)(1)(11) जे एन एन यू आर एम पूर्वी दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान	1000	—	1000	बचत मुख्यतः कम अनुदान के जारी होने के कारण थी। भारत सरकार से ए सी ए निधि के जारी न होने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
66	3054 ए 12 (1)(1)(12) आर ओ बी/आर यूबी के निर्माण हेतु उत्तरी दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान	5500	—	5500	अनुदान के जारी न होने के कारण सम्पुर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
67	3054 ए 12 (1)(1)(13) आर ओ बी/आर यू बी के निर्माण हेतु दक्षिण दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान	2000	—	2000	अनुदान के जारी न होने के कारण सम्पुर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
	अनुदान सं.–13 पेंशन				
68	2071 ए 1 (1)(2)(1)(1)– पेंशनी प्रभार	12250	—	12250	पेंशन योजना को अंतिम रुप न दिए जाने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
	कुल	**44351**		**44351**	
	<u>पूँजी दत्तमत</u> **अनुदान सं. 4 वित्त**				
69	4059 एफ एफ 1 (1)(1)(1)– व्यापार व कर एनेक्सीज बिल्डिंग	2800	—	2800	बचत मुख्यतः योजना की धीमी प्रगति के कारण थी। सम्बन्धित विभाग से कारण प्रतीक्षित हैं।
	अनुदान सं. 6 शिक्षा				
70	4202 जी जी 1 (1)(1)(2) स्मारकों एवं ऐतिहासिक भवन का अधिग्रहण	5	—	5	**कारण प्रतीक्षित**
71	4202 जे जे 1 (1)(1)(1) इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय की भूमि का आवंटन एवं भवन का निर्माण	1000	—	1000	बचत मुख्यतः योजना की धीमी प्रगति के कारण थी। योजना के गैर–कार्यान्वयन के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
72	6202 जे जे 2 (1)(1)(1) जी.जी.आई. पी. विश्वविद्यालय को ऋण	500	—	500	ऋण के जारी न होने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
	अनुदान सं. 8 सामाजिक कल्याण				

73	4235 बी बी 1 (1)(1)(1) महिलाओं एवं लड़कियों हेतु संकटकाल मध्यस्थता केन्द्र	30–	–	30	योजना की धीमी प्रगति के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
74	4235 बी बी 1 (1)(1)(2) कार्यशील महिला हॉस्टल का निर्माण	30	–	30	योजना की धीमी प्रगति के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
75	5055 डी डी 1 (2)(4) जे एन एन यू आर एम हेतु दिल्ली परिवहन निगम की इक्विटी पूँजी	4000	–	4000	दि.प.नि को इक्विटी जारी न होने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
76	5055 डी डी 2 (1)(1)(5) रिंग रेलवे/ आर आर टी एस का उपयोग	1250	–	1250	योजना के गैर–कार्यान्वयन के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
77	7055 डी डी 4 (1)(5) बिक्री कर की प्रतिपूर्ति हेतु एम आर टी एस को ऋण	30000	–	30000	अधिशेष का मुख्य कारण एम आर टी एस को अधिक ऋण जारी करना था। एम आर टी एस को ऋण जारी ने करने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
	अनुदान सं. 9 उद्योग				
78	5475 डी डी 1 (1)(1) जिला जनसभा एवं राज्य आयोग को स्थान उपलब्ध कराना	100	–	100	योजना के गैर–कार्यान्वयन के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
	अनुदान सं. 10 विकास				
79	4402 बी बी 2 (1)(1) मिट्टी परीक्षण एवं लवण प्रभावित भूमि का मिट्टी सुधार	50	–	50	योजना के गैर–कार्यान्वयन के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
80	5425 पी पी1 (1)(4) एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन	100	–	100	योजना के गैर–कार्यान्वयन के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
	अनुदान सं. 11 शहरी विकास और लोकनिर्माण विभाग				
81	4217 ए ए 1 (2)(1)(1) एन सी आर विकास बोर्ड को शेयर पूँजी अंशदान	500	–	500	कार्यकारी एजेन्सी से प्रस्ताव की गैर–प्राप्ति के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
82	4217 ए ए 1 (3)(1)(1) समाज सांस्कृतिक केन्द्रों का संकुचन	1000	–	1000	बचत मुख्यतः कार्य की धीमी प्रगति के कारण थी। कार्यकारी एजेन्सी से प्रस्ताव की गैर–प्राप्ति के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
83	6215 ए ए 2 (1)(1)(11) चन्द्रावल डब्ल्यू टी पी हेतु दि.ज.बो. को ऋण	2400	–	2400	बचत मुख्यतः कम ऋण के जारी होने के कारण थी। दिल्ली जल बोर्ड को ऋण जारी न होने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
84	7755 ए ए 9 (1)(1)(2) जे एन एन यू आर एम योजना के अंतर्गत सड़कों के निर्माण हेतु उत्तर दिल्ली नगर निगम को ऋण	1000	–	1000	कार्यकारी एजेन्सी से प्रस्ताव की गैर–प्राप्ति के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
85	7755 ए ए 9 (1)(1)(3) जे एन एन यू आर एम योजना के अंतर्गत सड़कों के निर्माण हेतु दक्षिण दिल्ली नगर निगम को ऋण	3000	–	3000	ऋण के जारी न होने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
86	7755 ए ए 9 (1)(1)(4) जे एन एन यू आर एम योजना के अंतर्गत सड़कों के निर्माण हेतु पूर्वी दिल्ली नगर निगम को ऋण	1000	–	1000	बचत मुख्यतः कम ऋण के जारी होने के कारण थी। कार्यकारी एजेन्सी से प्रस्तान की गैर–प्राप्ति के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
87	4055 बी बी 1 (1)(1)–दिल्ली फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी	40	–	40	योजना के गैर–कार्यान्वयन के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
88	4210 बी बी 5 (2)(2)(1)(5) आई.आई. पी.एच. हेतु भवन का निर्माण	50	–	50	योजना के गैर–कार्यान्वयन के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
89	4210 बी बी 5 (3)(1)(3) ड्रग नियंत्रण हेतु भवन का निर्माण	50	–	50	योजना के गैर–कार्यान्वयन के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।

90	4250 बी बी 8 (2)(3) नए कार्यालय कॉम्पलैक्स एवं श्रम कल्याण केन्द्रों का निर्माण/ नवीनीकरण	100	–	100	संस्वीकृतियों की गैर–प्राप्ति के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
91	4250 बी बी 8 (2)(4)(2) राज्य अंश	10	–	10	कार्य की धीमी प्रगति के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
92	5054 बी बी 11 (1)(1)(4) सी आर एफ योजना	5000	–	5000	सी आर एफ योजना के अंतर्गत संस्वीकृतियों की गैर प्राप्ति के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
93	5054 बी बी 11 (1)(1)(8) बी आर टी कॉरीडोर गेम्स	3500	–	3500	बचत मुख्यतः कार्य की धीमी प्रगति के कारण थी। संस्वीकृतियों की गैर प्राप्ति के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
94	6801 ईई 1 (5)(2)–दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड को ऋण	35000	–	35000	ऋण के जारी न होने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
95	4801 ईई 2 (1)(1)(4) प्रगति पॉवर कॉरपोरेशन फेज–II बमनौली को इक्विटी अंशदान	7500	–	7500	इक्विटी पूँजी के जारी न होने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
96	4801 ईई 2 (1)(1)(8) दिल्ली रिन्यूवेबल एनर्जी पॉवर कम्पनी–डी आर ई पी सी को अंशदान	2000	–	2000	बचत मुख्यतः कम इक्विटी के जारी होने के कारण थी। योजना के गैर–कार्यन्वयन के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
97	4801 ईई 2 (1)(1)(10) कझाँवला में नई पॉवर परियोजनाएँ, आई एल और आर पी एच	2500	–	2500	बचत मुख्यतः कम इक्विटी के जारी होने के कारण थी। योजना के गैर–कार्यन्वयन के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
98	4801 ईई 2 (1)(2)(3) मारा– II महान कोयला ब्लॉक का विकास	500	–	500	योजना के गैर–कार्यान्वयन के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
	कुल	**105015**		**105015**	
	सकल जोड़	**1,49,366**		**1,49,366**	

परिशिष्ट– 2.3

वर्ष 2012–13 के लिए अत्यधिक प्रावधान पर अधिक व्यय का आवश्यक नियमन

(पैराग्राफ 2.3.5 को देखें)

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग की संख्या	अधिक राशि
	11, शहरी विकास	
1	2059 बी 1 (1)(2) निर्माण	0.86
2	3054 बी 3 (1)(1)(1)(1) सड़कों व पुलों अनुरक्षण	0.37
3	4056 बीबी 2 (1)(2)(7) दिल्ली अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड	0.13
4	4070 बीबीबी अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय	0.75
5	4202 बीबी 4 (1)(5)(2) अनुसूचित लागतो हेतु विशेष घटक योजनाः विद्यालयों के लिए भवनों का निर्माण (एससीएसपी)	2.71
6	4202 बीबी 4(3)(1)(3) खेल परिसरों, तरणतालों, स्पोर्टस कॉम्पलैक्सों का विकास	2.84
7	बीबी 5(1)(1)(1)(2) राज्य औषध प्राधिकरण एवं क्रय एजेन्सी	0.39
8	बीबी 5(1)(1)(1)(19) मेडिकल कॉलेज अस्पताल	1.71
9	बीबी 11(1)(1)(2) यमुना पार क्षेत्र में सड़क व पुलों का निर्माण	1.68
10	बीबी 11(1)(1)(5) जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन	8.55
11	बीबी 11(1)(1)(7) कॉमन वेल्थ गैम्स	7.23
	कुल	**27.22**

परिशिष्ट–2.4

अधिक/अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में 10 लाख या उससे अधिक)

(पैरा ग्राफ 2.3.6 को देखें)

(₹ लाख में)

क्रंम सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधानों में से बचत	प्रतिपूरक प्रावधान	कारण
1.	**राजस्व– भारित अनुदान सं. 2 – सामान्य प्रशा.**					
	2012 ए 1(1)(1) सचिवालय	552.70	493.95	58.75	17.50	बचत मुख्यतः कम विदेशी दौरों के कारण थी।
	राजस्व– दत्तमत्त अनुदान सं. 8 सामाजिक कल्याण					
2.	2235 बी 2(1)(1)(3) सुरक्षा– आन्तरिक एवं बाह्य और स्वच्छता का संवर्धन (डी डब्ल्यू.सी.डी.)	500.00	483.68	16.32	150.00	बचत मुख्यतः नई एजेन्सी को कम दरों पर लगाने के कारण थी।
3.	2235 बी 2(1)(5)(1) भागीदारी– सामाजिक विकास में नई पहल	1850.00	1845.44	4.56	180.00	बचत मुख्यतः योजना की धीमी प्रगति के कारण थी।
4.	2225 सी 1(1)(1)(15) अजा (एससीएसपी) हेतु शिक्षा केन्द्र	900.00	0	900.00	100.00	योजना के कार्यान्वयन न होने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
5.	2225 सी 1(1)(3)(15) विद्यालयों में अनुसूचित जाति छात्रों को किताबों व लेखन सामग्री की निःशुल्क आपूर्ति	5500.00	5277.86	222.14	115.00	बचत मुख्यतः कार्यान्वयनकारी विभागों द्वारा निधियों के उपयोग न किए जाने के कारण थी।
6.	7055 डीडी 4(1)(5) बिक्री–कर की प्रतिपूर्ति हेतु एमआरटीएस को ऋण	–	–	200.52	200.52	एमआरटीएस को ऋण जारी न किए जाने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
	अनुदान सं. 10 विकास					
7.	2030 ई 2(3)(1)(2)(4) प्रत्यर्पण	3000.00	6.00	2994.00	500.00	बचत मुख्यतः प्रत्यर्पण योग्य प्राप्ति का प्रत्यर्पण सम्बन्धित प्राप्ति मद से होने के कारण थी।
8.	2401 पी 6(1)(1) शहरी क्लस्टरों हेतु वनस्पति प्रोत्साहन (वीआईयूसी)	–	–	20.00	20.00	योजना के गैर कार्यान्वयन कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
	कुल	**12302.70**	**8106.93**	**4416.29**	**1283.02**	

परिशिष्ट–2.5
निधियों का अधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोजन
(जहाँ अंतिम बचतें ₹ एक करोड़ से अधिक थीं)
(पैराग्राफ 2.3.7 को देखें)

(₹ करोड़ में)

क्र.स.	अनुदान का नाम एवं संख्या	पुनर्विनियोजन	अन्तिम बचतें	कारण
	राजस्व–भारित **अनुदान सं 1 .विधान सभा**			
1	2011ए 1 (1)(1)(2) सदस्य	1.25	1.26	बचत मुख्यतः वि.स.स. के चिकित्सा दावों को अंतिम रूप न दिए जाने और यात्रा भत्ते के कम दावों की प्राप्ति के कारण थी।
	राजस्व–दत्तमत **अनुदान सं 2 .सामान्य प्रशासन**			
2	2051जी 1(1)(1) दिल्ली सरकार हेतु कर्मचारी चयन बोर्ड	0.75	3.92	बचत मुख्यतः कम परीक्षाओं के आयोजन, विज्ञापनों की कम संख्या व दावों की समय पर प्राप्ति न होने के कारण थी।
	अनुदान सं 3 .न्यायिक प्रशासन			
3	2014 बी 1 (1)(2) जिला एवं सत्र न्यायालय का कम्प्यूटरीकरण	1.00	3.26	बचत मुख्यतः कम्प्यूटरों के क्रय प्रस्ताव को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण थी।
	अनुदान सं6- शिक्षा			
4	2202 ए 1 (2)(2) निरीक्षण	0.49	1.78	बचत मुख्यतः शिक्षकों व अन्य स्टाफ की रिक्तियों, एमएसीपी को अंतिम रूप न दिये जाने व कम बिलों के कारण थी।
5	2202ए 1(2)(8)(24) छात्रों को मूल–पाठ्य पुस्तक की निःशुल्क आपूर्ति करने हेतु सहायता प्राप्त विद्यालयों को सहायता अनुदान	1.09	1.18	बचत मुख्यतः सहायता प्राप्त विद्यालयों से कम माँग प्राप्त होने के कारण थी।
6	2202 ए 1 (2)(8)(32) सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी	5.56	8.06	योजना के लागू न होने के कारण सारा प्रावधान पूर्णतः अनुपयोगी रहा।
7	2202 ए 1 (4)(4)(19) वाई.यू.वी.ए. की योजना	2.00	2.21	बचत मुख्यतः विद्यालयों से कम माँग प्राप्त होने के कारण थी।
8	2203 बी 1 (4)(1) निर्देशन एवं प्रशासन	2.82	4.81	
9	2230 बी 2 (1)(2)(1) शिल्पी प्रशिक्षण योजना	2.11	3.02	बचत मुख्यतः एम.ए.सी.पी. के अंतिम रूप न दिये जाने, कम बिलों/दावों के प्राप्त होने, कम भण्डार एवं वित्तीय मात्रा के कारण थी।
10	2205 एफ 2 (1) (4) संस्कृत अकादमी को अनुदान	0.50	1.11	बचत मुख्यतः रिक्तियों के कारण थी।
	अनुदान सं. 7 **चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य**			
11	2210 बी 1 (1)(1)(1) लोक नायक अस्पताल	15.43	30.15	बचत मुख्यतः रिक्तियों, उपकरणों की खरीद के लिए निविदा का अंतिम रूप न दिये जाने तथा बिलों के समय पर प्राप्त न होने के कारण थी।
12	2210 ओ 1 (1)(1)(1) राजीव गाँधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल	1.50	2.00	बचत मुख्यतः रिक्तियों, ई–निविदा को अंतिम रूप न दिये जाने तथा दावों/बिलों की कम प्राप्ति के कारण थी।
13	टी. 1 (1)(1)(1) सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल	1.61	2.36	बचत मुख्यतः रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण थी।
14	यू 1 (1)(1)(1) अतर सेन अस्पताल	2.18	3.02	बचत मुख्यतः पदों को योजनागत से गैर–योजनागत में परिवर्तन, कम प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा मशीनरी एवं उपकरणों की कम खरीद के कारण थी।

	अनुदान सं. 8 समाज कल्याण			
15	2225 सी 1 (1)(1)(3)(14) योग्यता सह आजीविका आधारित छात्रवृति (सी.एस.एस.)	2.09	2.14	बचत मुख्यतः छात्रों के द्वारा आधार संख्या के गैर–प्रस्तुतिकरण के कारण थी।
16	2225 सी 1 (3)(1)(7) अल्पसंख्यक संकेन्द्रीकरण जिलों के लिए बहु आयामी विकास योजना (सी.एस.एस.)	9.00	9.99	बचत मुख्यतः कार्यान्वित विभागों द्वारा निधि के अनुपयोग के कारण थी।
	अनुदान सं. 9 उद्योग			
17	2851 ए 2 (6)(9) हथकरघा वस्त्र की बिक्री पर छुट (सी.एस.एस)	1.92	1.94	बचत मुख्यतः कुछ प्रशासनिक कारणों से छूट न दिये जाने के कारण थी।
18	2851 ए 2 (6)(11) दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना (सी.एस.एस.) के लिए हथकरघा को प्रोत्साहन	3.01	3.32	कुछ प्रशासनिक कारणों से अनुदान जारी न किये जाने के कारण सारा प्रावधान अनुपयोगी रहा।
19	2852 ए 6 (1)(1)(1) खाद्य संसाधन पर राष्ट्रीय मिशन	0.99	1.00	योजना के गैर कार्यान्वयन के कारण सारा प्रावधान पूर्णतः अनुपयोगी रहा।
	अनुदान सं. 10 विकास			
20	2401 बी 1(6)(3) पशुधन गणना का आयोजन	1.50	1.76	बचत मुख्यतः योजना की धीमी प्रगति के कारण थी।
21	2053 इ 3 (1)(1) सचिव राजस्व	0.40	3.86	बचत मुख्यतः रिक्तियों एवं किराये पर टेन्ट किराये हेतु भुगतान प्रशासनिक कारणों से न किये जाने के कारण थी।
22	2235 इ 7 (1)(1)(1) सचिव राजस्व	0.01	2.48	बचत मुख्यतः 1984 के दंगा पीड़ितों को भुगतान का अंतिम रूप न दिये जाने के कारण थी।
23	2245 इ 8 (2)(1)(1) आपदा प्रबन्धन प्रकोष्ठ	4.00	6.53	बचत मुख्यतः मानव जीवन संसूचन मशीन तथा अस्का लाईट्स और वाटर मिस्ट खरीदने हेतु संस्वीकृति देरी से प्राप्त होने के कारण थी।
24	2401 पी 6 (1)(1) शहरी क्लस्टर्स के लिए वेजिटेबल इन्सेन्टिव (वी.आई.यू.सी.)	1.80	2.00	योजना के गैर कार्यान्वयन के कारण सारा प्रावधान अनुपयोगी रहा।
	2217 ए 8(2)(1)(28) कनॉट प्लेस का पुर्नविकास के लिए एन. डी.एम.सी. को सहायता अनुदान			
	अनुदान संख्या 11 शहरी विकास तथा लो.नि.वि.			
25	2217 ए 8(2)(1)(28) कनॉट प्लेस के पुनर्विकास के लिए एन.डी. एम.सी. को सहायता अनुदान	22.80	45.00	प्रस्ताव की गैर प्राप्ति के कारण सारा प्रावधान अनुपयोगी रहा।
	पूँजीगत –दत्तमत अनुदान संख्या–6 शिक्षा			
26	4202 जी जी आई (1)(1)(1) स्मारकों का संरक्षण	1.75	4.42	बचत मुख्यतः आई.एन.टी.ए.सी.एच. के साथ समझौते का विस्तार देरी से होने के कारण थी।
	अनुदान सं. 8 समाज कल्याण			
27	7055 डी.डी. 4 (1)(5) एम.आर.टी.एस. को बिक्री कर प्रतिपूर्ति के लिए ऋण टनुदान सं. 11 शहरी विकास तथा उद्योग	99.48	300	एम.आर.टी.एस. को कर्ज की जारी न करने के कारण सारा प्रावधान पूर्णतः अनुपयोगी रहा।
	अनुदान संख्या 11 शहरी विकास तथा उद्योग			
28	4210 बी बी 5 (1)(1)(1)(16) जी.बी.पंत अस्पताल	2.00	2.25	बचत मुख्यतः कार्य की धीमी प्रगति के कारण थी।
29	4210 बी बी 5 (1)(1)(1)(28) डॉ.एन.सी. जोशी अस्पताल	1.00	1.45	बचत मुख्यतः संस्वीकृति देरी से प्राप्त होने के कारण थी।
30	4210 बी बी 5 (1)(2)(1) संजय गाँधी अस्पताल, मंगोलपुरी (एस.सी.एस.पी.)	4.50	5.47	बचत मुख्यतः संस्वीकृति देरी से प्राप्त होने के कारण थी।
31	5054 बी बी 11 (1)(1)(1) सड़कों और पुलों का निर्माण	241.40	332.57	बचत मुख्यतः वित्तीय वर्ष के अन्त में संस्वीकृति की प्राप्ति के कारण थी।
	कुल	**435.94**	**794.32**	

परिशिष्ट–2.6

वर्ष के दौरान किए गए वास्तविक अभ्यर्पणों (कुल प्रावधान का 40% या अधिक) की समीक्षा का परिणाम
(पैराग्राफ 2.3.8 को देखें)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान का नाम व संख्या	अनुसूची के नाम (खातों के शीर्ष)	कुल अनुदान विनियोग	राशि (अभ्यर्पित बचत)	अभ्यर्पण की प्रतिशतता	कारण
1.	3 न्याय का प्रशासन	2014 न्याय विभाग ई 1(2)(5) डिस्प्युट रिसोलुसन सोसायटी को सहायता अनुदान	3.00	3.00	100%	अनुदानों को जारी न करना
2.	6 शिक्षा	2202 जे.1(1)(3)(3) राष्ट्रीय विधि स्कूल विश्वविद्यालय नई दिल्ली को सहायता अनुदान	10.00	5.00	50 :	कम अनुदानों को जारी करना
3.		2202 जे.1(1)(4)(1) दिल्ली इन्स्टीटयूट ऑफ हेरिटेज रिसर्च एण्ड मैनेजमेन्ट	5.00	3.75	75:	बचत मुख्यतः कम अनुदान के कारण थी।
4.		2202 जे.1(4)(2) सरकारी कॉलेज में नये पाठ्यक्रम का प्रस्तुतिकरण	0.10	0.10	100:	योजना के गैर–कार्यान्वयन के कारण
5.		2202 जे.1(4)(3) नये डिग्री कालेज की शुरूआत, मेहियोलोजी विभाग	0.10	0.10	100:	योजना के गैर–कार्यान्वयन के कारण
6.		4202 जी जी.1(1)(1)(3) म्यूजियम तथा आर्ट गैलरी	1.45	0.95	65.51:	बचत मुख्यतः कार्य की धीमी प्रगति के कारण थी। बचत मुख्यतः दाराशिकोह पुस्तकालय में म्यूजियम को स्थापित करने के लिए डी.पी. आर. बनाने हेतु एजेन्सी को अन्तिम रूप न दिये जाने के कारण थी।
7.		जी.जी.1(1)(1)(4)डी.टीटी. टी.डी.सी.(सी.एस.एस.) द्वारा स्मारकों की ज्योति का रुपान्तरण	0.50	0.30	60:	कार्य की धीमी प्रगति के कारण
8.		4202 ए.ए. 1(1)(1)(1) वी. के.एस. द्वारा विद्यालय के भवन का निर्माण	26.00	12.00	46:	कार्य की धीमी प्रगति के कारण
9.		4202 ए.ए. 1(2)(1)(1) खेल के मैदानों, स्वीमिंग पूलों एवं स्पोर्टस कम्प्लेक्सों का विकास	6.00	5.1	85:	कार्य की धीमी प्रगति के कारण
10.		4202 जे.जे. 1(1)(1)(1) इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय को भूमि आवंटन एवं भवन का निर्माण	10.00	9.99	99.9 :	बचत मुख्यतः कार्य की धीमी प्रगति के कारण थी। योजना के गैर–कार्यान्वयन के कारण सारा प्रावधान पूर्णतः अनुपयोगी रहा।
11.		6202 जे.जे. 2 (1)(1)(1) जी.एस.एस.आई.पी. विश्वविद्यालय को ऋण	5.00	5.00	100:	ऋण की जारी न करने के कारण सारा प्रावधान पूर्णतः अनुपयोगी रहा।

12.	9 उद्योग	3456 डी.1(4)(2) घरेलु एल.पी.जी. पर उपभोक्ताओं को सब्सिडी	2.00	1.00	50:	वित्तीय वर्ष के अन्त में दावों के गैर–प्राप्ति के कारण सारा प्रावधान अनुपयोगी रहा।
13.		3456 डी.1(5)(2) ई.डब्ल्यू. एस. (एस.सी.एस.पी.) के लिए अन्नश्री योजना	15.00	9.00	60:	बचत मुख्यतः कार्य की धीमी प्रगति व वित्तीय वर्ष के अन्त में दावों की गैर–प्राप्ति के कारण थी।
14.	11 शहरी विकास व पी.डब्ल्यु.डी.	5054 बी.बी.11(1)(1)(8) बी. आर.टी.कोरिडोर	35.00	31.72	90.62	बचत मुख्यतः कार्य की धीमी प्रगति के कारण थी। संबंधित विभाग से कारण प्रतिक्षित है।
15.	12 सरकारी कर्मचारियों को ऋण	7610 ए.ए.1(1) गृह निर्माण अग्रिम	1.33	1.03	77.44	बचत मुख्यतः कम आवेदन के के कारण थी।
16.	13 पेंशन	2071 ए.1(1)(2)(1)(1) पेंशनरी चार्ज	122.50	122.50	100:	पेंशन योजना को अंतिम रूप न दिये जाने के कारण सारा प्रावधान अनुपयोगी रहा।
		कुल	**242.91**	**210.54**		

परिशिष्ट 2.7

₹ 1 करोड़ एवं उससे ऊपर की बचत का विवरण जो कि अभ्यर्पित नही की गई

(पैराग्राफः 2.3.9 को देखें)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान/ विनियोजन का नाम व संख्या	बचत		अभ्यर्पण	बचत जो अभ्यर्पित होनी है
1.	अनुदान संख्या 1 विधान सभा	दत्तमत	1.55	0.01	1.54
2.	अनुदान संख्या 2 सामान्य प्रशासन	दत्तमत	16.07	3.26	12.81
3.	अनुदान संख्या 5 गृह	दत्तमत	25.62	13.08	12.54
4.	अनुदान संख्या 6 शिक्षा	दत्तमत	437.93	227.84	210.09
5.	अनुदान संख्या 8 समाज कल्याण	दत्तमत	478.43	0	478.43
6.	अनुदान संख्या 9 उद्योग	दत्तमत	173.22	117.60	55.62
7.	अनुदान संख्या 10 विकास विभाग	दत्तमत	196.26	0.50	195.76
8.	अनुदान संख्या 11 शहरी विकास एवं लो. नि. वि.	दत्तमत	2122.24	1031.07	1091.17
	कुल		**3452.32**	**1393.36**	**2057.96**

परिशिष्ट–2.8

अवास्तविक बजटीकरण जहाँ सम्पूर्ण प्रावधान सी एस एस एवं एस सी एस पी योजनाओं के अन्तर्गत अनुपयोगी रहा

(पैराग्राफ 2.3.10 को देखें)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत
	राजस्व-दतमत **अनुदान सं. 2** **सामान्य प्रशासन**			
1	2052 सी 1 (1) (7) (1) अन्य प्रशासनिक खर्चे भागीदारी (सी एस एस)	1.00	-	1.00
2	2070 डी 1 (1) (2) सूचना की अधिकता हेतु क्षमता निर्माण – यू एन डी पी परियोजना (सी एस एस)	5-00	&	5-00
	राजस्व-भारित **अनुदान सं. – 4 वित्त**			
3	3454 डी 1 (1) (2) (3) इण्डिया स्टेटिस्टीकल स्ट्रेन्थिनिंग प्रोजेक्ट(आई एस एस पी) (सी एस एस)	10.00	-	10.00
	अनुदान सं. 6 शिक्षा			
4	2202 ए 1 (1) (1) (1)(2) दिल्ली विश्वविधालय को सहायता अनुदान (सी एस एस)	10.00	-	10.00
5	2202 ए 1 (2) (8)(23) राष्ट्रीय मेरिट छात्रवृति स्कीम (सी एस एस)	1.00	-	1.00
6	2202 ए 1 (2) (8) (28) माध्यामिक शिक्षा हेतु लड़कियों को प्रोत्साहन (सीएसएस)	100.00	-	100.00
7	2202 ए 1(2)(8)(31) विद्यालय में अतिथि सत्कार एवं पर्यटन पाठ्यक्रम (सी एस एस)	10-00	&	10-00
8	2202 ए 1(2) (8) (32) सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त विधालयों (सीएसएस) में सूचना एवं संचार प्रौधोगिकी (आई सी टी) के अन्तर्गत केन्द्रीय अंश	806.55	-	806.55
9	2202 ए 1(4) (4) (21) माध्यमिक स्टेज पर अक्षमों को एकीकृत शिक्षा (आइ इ डी एस एस-सी एस एस (केन्द्रीय अंश)	200.00	-	200.00
10	2230 बी 2 (1) (2) (3) सरकारी आई.टी.आई.(सी.एस.एस.) में प्रशिक्षण संसाधन को प्रोन्नत करना	1.00	-	1.00
11	2230 बी 2 (1) (3) (1) (2) वर्तमान आई टी आई (सी एस एस) में विस्तृत प्रशिक्षण के लिए उपकरणों की खरीद तथा आई टी आई का उत्कृष्टता केंद्र के रुप में उन्नयन	10.00	-	10.00
	अनुदान सं. 7 **चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य**			
12	2210 ए 1 (3) (2) (1) (1) सामान्य क्षेत्र (सीएसएस)	20.00	-	20.00
13	2210 ए 1 (3) (2) (1) (3) दिल्ली स्टेट ब्लाइन्डनेस कन्ट्रोल सोसायटी को सहायता अनुदान (सीएसएस)	5.00	-	5.00
14	2210 ए 1 (3) (2) (12) सामान्य क्षेत्र (सीएसएस)	8.00	-	8.00
15	2210 ए 1 (3) (2) (12)(2) सीएसएसपी फार एस सी (सीएसएस)	2.00	-	2.00

16	2210 ए 1 (4) (1) (5) राज्य रुग्णता सहायता निधि के प्रति केन्द्रीय सरकार का अंशदान (सीएसएस)	100.00	-	100.00
17	2210 एफ 1 (3) (1) (3) मेडिकल कालेज में फिजिकल मेडिसिन एवं रिहैबिलिटेशन विभाग में सुविधाओं का उत्थान (सीएसएस)	1.00	-	1.00
18	2210 एफ 1 (3) (1) (4) मौजूदा नर्सिगं स्कूलों/कालेजों को सक्षम बनाना (सीएसएस)	1.00	-	1.00
19	2210 आई 1 (1) (2)(1) फूड टेस्टिंग लैबोरेटरिज को सक्षम बनाना (सीएसएस)	1.00	-	1.00
20	के 1 (9) (3) उप केन्द्र (सीएसएस)	6.00	-	6.00
21	2210 एम 1 (1) (2) (8) स्नातक कॉलेज के अन्तर्गत दवाओं की भारतीय प्रणाली एवं होम्योपैथिक का विकास (सीएसएस)	2.00	-	2.00
22	2210 एम 1 (2) (1) फूड एण्ड ड्रग टेस्टिंग लैबोरेटरिज को वित्तीय सहायता (सीएसएस)	1.00	-	1.00
23	2210 एम 1 (2) (2) (1) सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम में रिओरियेंटेशन (सीएसएस)	1.00	-	1.00
24	2210 एम 1 (3)(1) (2) (1) सहायता अनुदान (सीएसएस)	10.00	-	10.00
25	2210 एम 1 (3) (1)(2) (2) आयूष डिस्पेंसरी को अत्यावश्यक दवाएँ (सीएसएस)	1.00	-	1.00
26	2210 ए 1 (1) (1) (1) (2) एक्स्ट्रा मुरल रिसर्च होमियोपैथी (सीएसएस)	1.00	-	1.00
	अनुदान सं. 8 समाज कल्याण			
27	2235 ए 2 (1) (7) (1) भिक्षावृति की रोकथाम के लिए स्कीम (सीएसएस)	1.00	-	1.00
28	2235 बी 2 (1) (2) (16)-आई सी डी एस III प्रोग्राम प्रोटेक्ट – यू डी आई एस एच ए (सीएसएस)	3.00	-	3.00
29	2235 बी 2 (1) (3) (15) स्वायामिसिधा (सीएसएस)	2.00	-	2.00
30	2235 बी 2 (1) (3) (24) महिलाओं के लिए राज्य संसाधन केन्द्र (सीएसएस)	16.00	-	16.00
31	2225 सी 1 (1) (1) (6) दिलशाद गार्डेन में परीक्षा-पूर्व कोचिंग हेतु नया केन्द्र (एस सी एस पी)	1.00	-	1.00
32	2225 सी 1 (1) (1) (9) 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत आवंटित मकानों के विधुतीकरण हेतु सब्सिडी (एस सी/ एस टी (एस सी एस पी) हतु हाऊसिंग सब्सिडी)	5.00	-	500
33	2225 सी 1 (1) (1) (13) एस सी/ एस टी/ ओबीसी/ अल्पसंख्यक (एस सी एस पी) हेतु दिल्ली स्वरोजगार योजना	2000.00	-	2000.00
34	2225 सी 1 (1) (1) (14) राजीव गाँधी रत्न आवास योजना के अन्तर्गत एस सी स्लम निवासियों को आर्थिक सहायता हेतु डी यू एस आई बी को सहायता अनुदान (एस सी एस पी)	700.00	-	700.00
35	2225 सी 1 (1) (1)(15) एस सी हेतु शिक्षा हब (एससीएसपी)	1000.00	-	1000.00

36	2225 सी 1 (1) (1) (17) एस सी महिलाओं के लिए एन्टीनैटल केस इन्सटीट्शनल डिलिवरी उप्लब्ध कराने हेतु दिल्ली स्वास्थ्य मिशन को सहायता अनुदान (एस सी एस पी)	700.00	-	700.00
37	2225 सी 1 (1) (4) (2) सिविल राइट्स एक्ट, 1955 एण्ड एस सी/ एस टी प्रिवेन्शन ऑफ एट्रोसिटिज एक्ट,1989 (सीएसएस) का क्रियान्वयन	11.00	-	11.00
38	2225 सी 1 (3) (1) (6) अन्तर्जातीय विवाह के लिए प्रोत्साहन (सीएसएस)	10.00	-	10.00
39	3452 ई 1 (2) (3) (1) गार्डेन फेस्टिवल मनाने के लिए डी टी टी डी सी को सहायता अनुदान (सीएसएस)	5.00	-	5.00
40	3452 ई 1 (2) (3) (2) कबाब फेस्टिवल मनाने के लिए डी टी टी डी सी को सहायता अनुदान	5.00	-	5.00
41	3452 ई 1 (2) (3) (4) मौजूदा वेबसाइट एवं इ-कामर्स सुविधा का जीर्णोधार करने हेतु डीटी एण्ड टीटीडीसी को सहायता राशि (सीएसएस)	5.00	-	5.00
42	3452 ई 1 (2)(3) (6) छावला एवं कंगनहेरी जल क्रीड़ा के विकास के लिए डी टी एण्ड टी डी सी को सहायता अनुदान (सीएसएस)	1.00	-	1.00
43	3452 ई 1(2) (3)(7) मैंगो फेस्टिवल मनाने के लिए डी टी टी डी सी को सहायता अनुदान	1.00	-	1.00
44	3452 ई 1 (2) (3) (8) दि.न.नि. को कई पार्किंग, निर्माण तथा मूत्रालयों की मरम्मत के लिए सिग्नेजिज की स्थापना/स्थिरीकरण इत्यादि के लिए सहायता अनुदान इत्यादि (सीएसएस)	10.00	-	10.00
45	3452 ई 1 (2)(3) (9) संजय लेक में सॉफ्ट एडवेन्चर पार्क के विकास हेतु डी टी टी डी सी को सहायता अनुदान (सीएसएस)	360.00	-	360.00
46	3452 ई 1(1) (3) (12) दिल्ली हाट, आईएनए नई दिल्ली में नई सुविधाएँ हेतु डी टी एण्ड टी डी सी को सहायता अनुदान (सीएसएस)	15.00	-	15.00
47	3452 ई 1 (1) (3) (13) इंगिफेस्ट के आयोजन हेतु डी टी एण्ड टी डी सी को सहायता अनुदान	4.00	-	4.00
48	5452 ईई 1 (1) (2) (1) पीतमपुरा में दिल्ली हाट का विकास (सीएसएस)	72.00	-	72.00
	अनुदान सं. 9 **उद्योग**			
49	2851 ए 2 (5) (6) राजीव गाँधी उद्यमी मित्र योजना (सी एस एस)	5.00	-	5.00
50	2851 ए 2(6) (9) हथकरघा वस्त्र की विक्री पर छूट (सीएसएस)	193.98	-	193.98
51	2851 ए 2 (6) (11) दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना हेतु हैण्डलूम को प्रोत्साहन (सीएसएस)	331.67	-	331.67
52	2851 ए 2 (8) (1) प्रधान मंत्री रोजगार योजना (सीएसएस)	1.00	-	1.00
53	2851 ए 2 (9) (5) हस्तशिल्प को प्रोत्साहन (एससीएसपी)	1.00	-	1.00
54	2851 ए 2 (9) (6) राजीव गाँधी उद्यमी मित्र योजना (एससीएसपी) (सीएसएस)	1.00	-	1.00

55	2852 ए 6 (1) (1) (1) खाद्य संसाधन पर राष्ट्रीय मिशन (सीएसएस)	100.00	-	100.00
56	2230 सी 2 (1) (7) (2) दिल्ली श्रम कल्याण बोर्ड को सहायता अनुदान (एससीएसपी)	2.00	-	2.00
57	2230 सी 2 (1) (7)(3) बाल श्रमिक का पुनर्वास (एस सी एस पी)	50.00	-	50.00
58	3435 सी 3 (1) (1) (1) औदयोगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य की आधारभूत संरचना का मजबूतीकरण (सीएसएस)	5.00	-	5.00
59	3456 डी 1 (2) (4) अन्नपूर्णा स्कीम (सीएसएस)	55.00	-	55.00
60	3456 डी 1 (3)(2) उपभोक्ता जागरुकता प्रोग्राम (सीएसएस)	10.00	-	10.00
	अनुदान सं. 10 विकास			
61	2401 बी 1 (5) (5) प्रसारण सुधार हेतु पोग्राम (सीएसएस)	2.00	-	2.00
62	2401 बी 1 (9) (4) कृषि का वृहत पैमाने पर प्रबन्धन (सीएसएस)	20.00	-	20.00
63	2402 बी 2 (2) (1) मिट्टी परीक्षण एवं मिट्टी सुधार एवं सलाइन (एस सी एस पी)	1.20	-	1.20
64	2403 बी 3 (2) (7) (1) सामान्य घटक (सीएसएस)	2.00	-	2.00
65	2403 बी 3 (2) (9) पशु रोग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता (सीएसएस)	40.00	-	40.00
66	2403 बी 3 (2) (10) पशुधन स्वास्थ्य एवं बीमारी नियंत्रण (एल एच एण्ड डी सी) (सी एस एस)	2.50	-	2.50
67	2245 ई 8 (2) (1) (4) राष्ट्रीय विद्यालय सुरक्षा प्रोग्राम (सीएसएस)	22.80	-	22.80
68	2406 एफ 2 (2) (1) (5) राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य असोला भाटि वन्यजीव अभ्यारण्य का विकास (सीएसएस)	15.00	-	15.00
	अनुदान सं.-11 **शहरी विकास एवं लो.नि.वि.**			
69	2217 ए 8 (3) (1) (4) जे एन एन यू आर एम के अन्तर्गत बी एस यू पी एवं आई एच एस डी पी के क्रियान्वयन के लिए शोध एवं प्रशिक्षण सहित क्षमता निर्माण गतिविधियाँ (सीएसएस)	5.00	-	5.00
	पूँजीगत-दत्तमत **अनुदान सं.-6 शिक्षा**			
70	4202 जीजी 1 (1) (1) (4) डी टी टी डी सी द्वारा स्मारकों की प्रदीप्ति का संरक्षण (सीएसएस)	50.00	-	50.00
	अनुदान सं. 9 उद्योग			
71	6851 एए 3 (4)(2) करघों के आधुनिकीकरण के लिए ऋण (एस सी एस पी)	1.20	-	1.20
	अनुदान सं. 11 **शहरी विकास एवं लो.नि.वि.**			
72	4250 बीबी 8 (2) (4) (1) विश्व बैंक शेयर (सीएसएस)	50.00	-	50.00
	कुल	7208.90		7208.90

अनुलग्नक–2.9
वर्ष 2012–13 के अन्त में व्यय का द्रुतप्रवाह
(पैराग्राफ 2.3.11 को देखें)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान का नाम व सं.	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान	कुल व्यय	अंतिम किए गए तिमाही के दौरान 2012–13 के व्यय		मार्च 2013 में किए गए व्यय	
					राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
1	04 वित्त	"2039" उत्पाद व मनोरंजन ई 1(1)(1)(1)– गुप्त सेवा व्यय जिला. कार्यकारी व्यय (एन पी)	0.20	0.20	0.20	100.00	0.20	100.00
2		"2039" ई 1(4)(2)(2)– उत्पाद व मनोरंजन विभाग	0.25	0.22	0.22	0.88	0.22	88.00
3	05 गृह	"2070" बी 1(1)(1)(10) नागरकि सुरक्षा व होम गार्ड	0.14	0.14	0.14	100.00	0.14	100.00
4		"2055" डी 1(1)(1)(10) सूच. प्रोद्यो. (एन पी) फोरेन्सकि विज्ञान प्रयोगशाला	0.03	0.03	0.03	100.00	0.03	100.00
5	06 शिक्षा	"2202" ए 1 (4)(5)(2) व्यय का अधिकार अधिनियम (एसएससीपी) एस सी के लिए विशेष कम्पोनेन्ट प्लान (पीएल)	2.50	2.33	2.33	100.00	2.33	100.00
6		"2203" बी 1(5)(5)(7) सूच. एवं प्रोद्यो. अम्बेडकर इन्स्टीटयूकट आफ टेक. (पी एल)	0.80	0.44	0.44	100.00	0.44	100.00
7		"2202" जे 1(1)(2)(1)(3) विश्वविद्यालय कालेजों में खेल गतिविधियों को बढावा. निदे. एवं प्रशा. उच्च शिक्षा निदेशालय (पी.एल)	0.09	0.09	0.07	100.00	0.07	100.00
8		"2202" जे 1(1)(2)(1)(5) कालेज लेक्चर के लिए अवार्ड निदे. एवं प्रशा. उच्च शिक्षा निदेशालय (पीएल)	0.11	0.11	0.11	100.00	0.11	100.00
9		"2202" जे 1(1)(1)(6)(1) डिग्री कालेजों को सहायता अनुदान (एससीएसपी) एस सी के लिए विशेष कम्पोनेन्ट प्लान उच्च शिक्षा निदेशालय	1.62	1.50	1.50	100	1.50	100
10	07 चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य	"2210" ए 1(3)(3)(10) एचआईवी/एडस प्रभावित व्यक्तियों को वितीय सहायता	1.25	1.25	1.25	100.00	1.25	100.00
11		"2211" के 1(4)(1) विशेष टीकाकरण कार्यक्रम एमएमआर (पीवी)	6.45	6.40	4.25	66.41	2.15	33.59
12		"2211" के 1(9)(4) ग्रामीण परिवार सेवाएँ (पीवी)	1.30	1.30	1.30	100.00	1.30	100.00
13		"2211" के 1(10)(2) राज्य स्वास्थ्य सोसाईटी दिल्ली को सहायता अनुदान (पीवी)	60.00	57.87	44.60	77.07	44.60	77.07
14		"2210" एम 1(1)(1)(9)–आपूर्ति एवं सामग्री (पीवी)	4.84	4.67	4.67	100.00	4.67	100.00
15		"2210" जेड 1(1)(1)(7)– अन्य प्रशासनिक व्यय (पीवी) डा.एन. सी.जोशी मेमोरियल अस्पताल	1.00	0.69	0.69	100.00	0.69	100.00
16	08 समाज कल्याण	"2235" ए 2 (1)(5)(4)(5) बुजुर्ग व्यक्तियों के पुर्नवास के सहायता अनुदान (एनआईपी) अन्य योजना	0.09	0.08	0.08	100.00	0.08	100.00

17		"2235" ए 2(1)(8)(1) वरिष्ठ नागरिक पेन्शन योजना (वृद्ध अवस्था सहायता का विस्तार) (एससीएसपी)(पीवी)	55.00	55.00	55.00	100.00	55.00	100.00
18		"2235" ए 2(1)(8)(2) अक्षम व्यप्रियों को बेरोजगारी भत्ता (एससीएसपी) (पीवी)	1.00	1.00	1.00	100.00	1.00	10.00
19		"4235" ,, 1(1))2)(1) वृद्धाश्रम (पीवी)	2.30	1.46	1.05	71.91	1.04	71.23
20		"4235"–1(1)(2)(2) हाफ वे होम / लांगस्टे होम ञपीवी)	14.00	14.00	7.00	50.00	7.00	50.00
21		"2235" बी–2(1)(2)(18) राज्य बाल संरक्षण सोसाईटी को स.अ. (राज्य अंश) (पीवी)	0.70	0.65	0.65	100.00	0.65	100.00
22		"2235" बी.2 (1)(2)(19) राज्य बाल संरक्षण सोसाईटी को सहायता अनुदान (के.प्रा.यो.)	6.53	4.28	4.28	100.00	4.28	100.00
23		"2235"सी.1(1)(2)(1) अजा/अजजा हेतु डीएसएफडीसी को वित्तीय सहायता	0.55	0.30	0.30	100.00	0.30	100.00
24		"6225" सीसी–2(1)(2)(6) अजा/अजजा/अपिव/अल्प–संख्क हेतु दिल्ली स्वरोजगार योजना हेतु डीएसएफडीसी को ऋण (रा.कें.प्रा.यो.) (पीवी)	20.00	20.00	20.00	100.00	20.00	100.00
25		"5055" डीडी–1(2)(1) एमआरआई प्राधिकरण को इक्विटी पूंजी (पीवी)	749.70	749.70	449.70	59.98	449.70	59.98
26		"5055" डीडी–1(2)(2) बसों के ह; हेतु डीटीसी को इक्विटी पूंजी ञपीवी)	200.00	199.55	199.55	100.00	199.55	100.00
27	10 विकास विभाग	"2403" बी 3(1)(1)(7) आपूर्ति एवं मार्केट्रिंग (एनपी)	0.12	0.12	0.12	100.00	0.12	100.00
28		"2053" जे 3(1)(6) लघु कार्य (पीएल)	0.60	0.20	0.20	100	0.20	100.00
29		"2053" के 3(1)(1)(6) लघु कार्य (पीएल)	0.80	0.79	0.79	100	0.79	100.00
30		"2053" ओ 3(1)(1)(6) लघु कार्य	0.50	0.27	0.27	100.00	0.27	100.00
31		"2810" पी 4(1)(1)(2) सोलर/रिवाईलेबल ऊर्जा (पीएल)	3.00	2.34	2.34	100.00	2.34	100.00
32		"4515" बीबी 4(1)(1)(2) ग्रामीण विकास बोर्ड कार्य को आगे आईडीआरवी (पीएल) ले जाना	164.00	162.42	63.97	39.48	43.53	26.87
33		"4515" बीबी 4(2)(3) ग्रामीण विकास बोर्ड कार्य के आगे आईडीआरवी (एससीएसपी) (पीएल) ले जाना	36.00	35.65	14.04	39.38	9.55	26.78
34	11 शहरी विकास एवं लो.नि. वि.	"2217" ए 8(2)(1)(3)(3) पूर्वी दिल्ली नगर निगम को सफाई व्यवस्था तथा स्वच्छता प्रवन्ध के आधुनीकिकरण तथा सशक्तिकरण के लिए सहायता अनुदान	40.00	40.00	22.00	55.00	22.00	55.00
35		"4217" एए 1(3)(1)(5) अनाधिकृत कालोनियों का विकास (पीएल)	307.00	200.00	121.68	360.84	91.33	45.66
		कुल	**1682.47**	**1565.03**	**1025.82**		**968.43**	

अनुलग्नक 2.10
निकाय/प्राधिकरणों को सहायता अनुदान के अन्तर्गत संसद/विधायिका की पूर्व अनुमति के बिना प्रावधान की वृद्धि (पैराग्राफ 2.6 को देखें)

(₹ in crore)

क्र.सं.	अनुदान/विनियोजन की स. और नाम	मूल अनुदान/ विनियोजन	पूरक अनुदान/विनियोजन	पुनर्विनियोजन	कुल अनुदान	कारण
	अनुदान सं.6 शिक्षा					
1	2202 ए (1)(1)(1)(4) एससीईआरटी को सहायता अनुदान (राज्य अंश)	-	0.01	3.99	4.00	नई योजना के क्रियान्वयन के कारण
2	2202 ए 1(1)(3)(1)(2) प्राथमिक शिक्षा हेतु उत्तरी दिल्ली नगम को सहायता अनुदान	120.00	0.01	9.99	130.00	अधिक अनुदान जारी होने के कारण
3	2202 ए 1(1)(3)(1)(3) प्राथमिक शिक्षा हेतु दक्षिणी दिल्ली नगम को सहायता अनुदान	111.82	-	0.18	112.00	----
4	2202 ए 1(1)(3)(1)(4) प्राथमिक शिक्षा हेतु पूर्वी दिल्ली नगम को सहायता अनुदान	68.18	0.01	10.81	79.00	वही
5	2202 ए 1(2)(8)(24) छात्रों को पाठयपूस्तकों की नि:शुल्क आपूर्ति हेतु सहायता प्राप्त विद्यालयों को सहायता अनुदान	8.90	0.01	1.09	10.00	अधिक अनुदान जारी होने के कारण
6	2202 ए 1(2)(9)(4) छात्रों को पाठयपूस्तकों की नि:शुल्क आपूर्ति हेतु सहायता प्राप्त विद्यालयों को सहायता अनुदान (एस सी एस पी)	1.10	0.01	0.19	1.30	अधिक अनुदान जारी होने के कारण
7	2204 ए 2(1)(5)-शारीरिक शिक्षा में सुधार हेतु उत्तरी दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान	1.20	0.01	0.11	1.32	अधिक अनुदान जारी होने के कारण
8	2204 ए 1(4)(7) शारीरिक शिक्षा में सुधार हेतु पूर्वी दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान	0.72	0.01	0.99	1.72	अधिक अनुदान जारी होने के कारण
9	2204 ए 2 (3)(7) खेलकूद संघों को सहायता अनुदान	0.74	0.01	0.15	0.90	अधिक अनुदान जारी होने के कारण
10	2236 ए 4 (1)(1)(10)मध्याहन आहार कार्यक्रम हेतु दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को अनुदान	16.02	-	0.20	16.22	अधिक अनुदान जारी होने के कारण
11.	2236 ए 4(1)(1)(11) मध्याहन आहार कार्यक्रम हेतु पूर्वी दिल्ली नगर निगम को अनुदान	10.68	-	0.80	11.48	अधिक अनुदान जारी होने के कारण
12	2202 एफ.1 (1)(1)(1) विधालयों में पंजाबी शिक्षण कार्यक्रमों हेतु पंजाबी अकादमी को अनुदान	3.30	-	0.20	3.50	अधिक अनुदान जारी होने के कारण
13	2202 एफ 1(1)(1)(2) विधालयों में उर्दू शिक्षण कार्यक्रमों हेतु उर्दू अकादमी को अनुदान	2.00	0.01	3.79	5.80	अधिक अनुदान जारी होने के कारण
14	2205 एफ 2 (1)(1) हिन्दी अकादमी को अनुदान	7.25	0.01	0.49	7.75	अधिक अनुदान जारी होने के कारण
15	2205 एफ 2(1)(10) राज्य समारोहों के आयोजन हेतु साहित्य कला परिषद को सहायता अनुदान	10.00	0.01	3.99	14.00	अधिक अनुदान जारी होने के कारण
16	2202 जे.1(1)(1)(1) डिग्री कॉलेजों को अनुदान (भारित)	117.30	0.01	5.07	122.38	अधिक अनुदान जारी होने के कारण
	अनुदान सं. 7 चिकित्सा व सार्वजनिक स्वास्थ्य					
17	2210 ए 1(1)(4)(3) मानव व्यवहार व	80.00	0.01	1.99	82.00	अधिक अनुदान जारी होने

	सम्बद्ध विज्ञान संस्थान को सहायता अनुदान					के कारण
18	2210 ए 1(1)(4)(5) सोसाईटी को सहायता अनुदान (आईवीपीएसएस)	0.15	0.01	0.09	0.25	अधिक अनुदान जारी होने के कारण
19	2210 ए 1(1)(4)(7) मौलाना आजाद दन्त विज्ञान संस्थान को सहायता अनुदान	21.00	-	1.00	22.00	अधिक अनुदान जारी होने के कारण
20	2210 ए 1(1)(5)(11) स्वास्थ्य प्रयोजन हेतु उत्तरी दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान	96.02	-	0.23	96.25	अधिक अनुदान जारी होने के कारण
21	2210 ए 1(1)(5)(12) स्वास्थ्य प्रयोजन दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान	15.52	-	0.78	16.30	अधिक अनुदान जारी होने के कारण
22	2210 ए 1(1)(5)(13) स्वास्थ्य प्रयोजन से पूर्वी दिल्ली नगर को सहायता अनुदान	31.96	-	1.04	33.00	अधिक अनुदान जारी होने के कारण
23	2210 ए 1(1)(5)(16) हॉस्पिटल में बिजली,पानी की आपूर्ति तथा सीवर ट्रीटमेण्ट सेवाओं को बढ़ाने हेतु पूर्वी दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान	0.10	0.01	0.19	0.30	अधिक अनुदान जारी होने के कारण
24	2210 ए 1(1)(5)(17) आईएसएस डिस्पेंसरी/हॉस्पिटल हतु उत्तरी दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान	2.75	0.01	0.74	3.50	अधिक अनुदान जारी होने के कारण
25	2210 ए 1(3)(2)(11) (1)) मलेरिया व डेंगू नियंत्रण कार्यक्रम हेतु उत्तरी दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान	20.85	0.01	7.44	28.30	अधिक अनुदान जारी होने के कारण
26	2210 ए 1(3)(2)(11) (2)) मलेरिया व डेंगू नियंत्रण कार्यक्रम हेतु दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान	18.47	0.01	7.62	26.10	अधिक अनुदान जारी होने के कारण
27	2210 ए 1(3)(2)(11) (3)) मलेरिया व डेंगू नियंत्रण कार्यक्रम हेतु पूर्वी दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान	9.37	0.01	5.92	15.30	अधिक अनुदान जारी होने के कारण
28	2210 ए 1(3)(3)(2) अनुमोदित कार्यक्रमों हेतु एनजीओ को सहायता अनुदान हेतु योजना	0.20	0.01	0.09	0.30	अधिक अनुदान जारी होने के कारण
29	2210 ए 1(3)(3)(11)अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम हेतु उत्तरी दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान	2.58	-	0.02	2.60	अधिक अनुदान जारी होने के कारण
30	2210 के 1 (10) (2) दिल्ली स्वास्थ्य सोसाईटी (दिल्ली) को स्वास्थ्य अनुदान	20.00	0.01	39.99	60.00	अधिक अनुदान जारी होने के कारण
	अनुदान सं. 8 समाज कल्याण					
31	2225 ए 2 (1) (3) (18) कुष्ठरोगियों के पुनर्वास हेतु सहायता अनुदान	2.73	-	0.11	2.84	अधिक अनुदान जारी होने के कारण
32	2225 ए 2 (1) (4) (1) सहायता अनुदान, योगदान इत्यादि (द.प.नि.)	0.72	-	0.0043	0.72	अधिक अनुदान जारी होने के कारण
33	3055 डी 3 (3) (3) कार्य क्षमता में कमी हेतु डीटीसी को सहायता अनुदान	600.00	106.74	68.26	775.00	अधिक अनुदान जारी होने के कारण
	अनुदान सं.10 विकास					
34	2415 बी 6 (1) (2) (1) सहायता अनुदान एसपीसीए	1.21	0.01	0.38	1.60	अधिक अनुदान जारी होने के कारण
	अनुदान सं.11 शहरी विकास व लोक निर्माण विभाग					
35	2202 ए 4 (1) (1) (1) (2) उत्तरी दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान	387.54	0.01	23.52	411.07	अधिक अनुदान जारी होने के कारण
36	2202 ए 4 (1) (1) (1) (3) दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान	295.98	0.01	17.95	313.94	अधिक अनुदान जारी होने के कारण
37	2202 ए 4 (1) (1) (1) (4) पूर्वी	196.05	0.01	11.90	207.96	अधिक अनुदान जारी होने

	दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान					के कारण
38	2215 ए 6 (1) (1) (8)पुनर्वास कॉलोनियों में जल हेतु दि.ज.बो. को सहायता अनुदान	2.00	0.01	0.99	3.00	अधिक अनुदान जारी होने के कारण
39	2215 ए 6 (1) (2) (1) (2)ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम हेतु दि.ज.बो. को सहायता अनुदान	10.00	0.01	1.99	12.00	अधिक अनुदान जारी होने के कारण
40	2215 ए 6 (2) (1) (5) जेएनएनयूआरएम परियोजना के अन्तर्गत तीन बड़े नालों पर इंटरसेप्ट सीबर हेतु दि.ज.बो. को सहायता अनुदान	87.20	0.01	40.74	127.95	अधिक अनुदान जारी होने के कारण
41	2216 ए 7 (1) (1) (3) कमजोर वर्गों हेतु आवासों के निर्माण हेतु डीएसआईडीसी को सहायता अनुदान (जेएनएनयूआरएम)	200.00	0.01	96.54	296.55	अधिक अनुदान जारी होने के कारण
42	2216 ए 7 (1) (1) (7) कमजोर वर्ग हेतु आवासों के निर्माण हेतु न.दि.न.नि.को सहायता अनुदान (जेएनएनयूआरएम)	-	0.01	3.49	3.50	अधिक अनुदान जारी होने के कारण
43	2217 ए 8 (1) (1) (2) (1)जेजेआर कॉलोनियों में अतिरिक्त सुविधाओं के प्रावधान हेतु पूर्वी दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान	9.00	0.01	7.99	17.00	अधिक अनुदान जारी होने के कारण
44	2217 ए 8 (2) (1) (3) (1) स्वच्छता व साफ-सफाई सेवाओं को सुदढ़ करने व उनके यन्त्रीकरण हेतु उत्तरी दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान	81.00	0.01	24.99	106.00	अधिक अनुदान जारी होने के कारण
45	2217 ए 8 (2) (1) (3) (2))स्वच्छता व साफ-सफाई सेवाओं को सुदढ़ करने व उनके यन्त्रीकरण हेतु दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान	135.00	0.01	2.49	137.50	अधिक अनुदान जारी होने के कारण
46	2217 ए 8 (2) (1) (3) (3)स्वच्छता व साफ-सफाई सुविधाओं को व यंत्रीकरण सुदढ़ करने हेतु पूर्वी दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान	24.00	0.01	15.99	40.00	अधिक अनुदान जारी होने के कारण
47	2217 ए 8 (2) (1) (7) (3) सामुदायिक केन्द्र के निर्माण हेतु पूर्वी दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान	4.00	0.01	3.99	8.00	अधिक अनुदान जारी होने के कारण
48	2217 ए 8 (2) (1) (14) (3) बागवानी विकास के माध्यम से पर्यावरण सुधार हेतु पूर्वी दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान	1.80	0.01	0.69	2.50	अधिक अनुदान जारी होने के कारण
49	2217 ए 8 (2) (1) (17) (2) अनधिकृत कॉलोनियों में अत्यावश्यक सेवाओं हेतु दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान	16.00	0.01	43.99	60.00	अधिक अनुदान जारी होने के कारण
50	2217 ए 8 (2) (1) (24) (3) अनधिकृत कॉलोनियों में सेनिटेशन हेतु पूर्वी दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान	5.00	0.01	9.99	15.00	अधिक अनुदान जारी होने के कारण
51	2217 ए 8 (2) (1) (28) कनॉट प्लेस के पुनर्विकास हेतु न.दि.न.पा. को सहायता अनुदान (जेएनएनयूआरएम)	22.20	0.01	22.79	45.00	अधिक अनुदान जारी होने के कारण
52	2217 ए 8 (2) (1) (34) डीयूएसआईबी स्थापना प्रभार सहायता अनुदान	60.00	0.01	29.99	90.00	अधिक अनुदान जारी होने के कारण
	कुल	**2939.61**	**107.14**	**537.95**	**3584.70**	

अनुलग्नक 2.11

31 मार्च 2013 को कुल प्रावधान में से ₹1 करोड़ या अधिक या 40 प्रतिशत या अधिक की निधि के अभ्यर्पण के मामले (पैराग्राफ 2.7.6 को देखें)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या व नाम	मुख्य शीर्ष व उप शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोजन	अभ्यर्पित/ बचत धन-राशि	अभ्यर्पण/ बचत का प्रतिशत	अभ्यर्पण का कारण
2010-11						
पूंजीगत-दतमत						
1	**अनुदान सं.8 समाज कल्याण**	5055 डीडी.1(2)(4)-जेएनएनयूआरएम हेतु डीटीसी को इक्विटी पूंजी	645.00	189.72	29.41	कम इकविटी का जारी होना
2		परिवहन विभाग 5055 डीडी.1(3)(1)- परिवहन के वैकल्पिक साधन इलेक्ट्रॉनिक ट्राली बसों का प्रारंभ	10.00	10.00	100.00	योजना का क्रियान्वयन न होना
3		परिवहन विभाग 5075 डीडी.2(1)(1)(1)- दिल्ली के आईएसबीटी स्टेशनों की भीड़-भाड़ कम करना व उनका तार्किकीरण	20.00	20.00	100.00	योजना का क्रियान्वयन न होना
4		परिवहन विभाग 5425 डीडी.3(1)(1)- मोटर वाहनों के धुंए से होने वाले वायु प्रदूषण का नियंत्रण	2.00	2.00	100.00	योजना का क्रियान्वयन न होना
5		परिवहन विभाग 7055 डीडी.4 (2)(2)- दिल्ली में आईएसबीटी स्टेशनों की भीड़-भाड़ कम करने व तार्किकीकरण हेतु ऋण	55.00	55.00	100.00	ऋण जारी न होने के कारण
		कुल	**732.00**	**276.72**		
2011-12						
पूंजीगत-दतमत						
6	**अनुदान सं.7: चिकित्सा व सार्वजनिक स्वास्थ्य**	4210 एनएन.1(1)(1)(1) (1)-डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर हॉस्पिटल में नवीन मेडिकल कॉलेज को स्थापित करना	20.00	16.32	81.60	योजना की धीमी प्रगति
7	**अनुदान सं.8 समाज कल्याण**	5452 ईई.1(1)(1)(2)-पीतमपुरा में दिल्ली हाट का विकास (कें.प्रा.यो.)	1.00	0.95	95.00	भा.स.से निधि प्राप्त न होना
8		7055 डीडी.4(1)(2)-एमआरटीएस को भूमि अधिग्रहण हेतु लघु ऋण	245.00	35.56	14.51	योजना की धीमी प्रगति
		कुल	**266.00**	**52.83**		
2012-13						
राजस्व-दत्तमत						
9	**07. चिकित्सा व सार्वजनिक स्वास्थ्य**	2210 ए.1(1)(2)-विधालय स्वास्थ्य योजना-कार्यालय व्यय एवं आपूर्ति व सामग्री	108.87	50.80	46.66	योजना की धीमी प्रगति, सामग्री का क्रय न होना
10		2210 ए.1(3)(3)(7)–गुर्दा व पित्त विज्ञान संस्थान हेतु सहायता अनुदान	96.00	30.00	31.25	कम अनुदान जारी होना

11		2210 ई.1(1)(1)(1)-दीन दयाल उपाध्याय हॉस्पिटल-हॉस्पिटल का नवीनीकरण-प्रशा-वेतन एंव मशीनरी व उपकरण	180.28	17.46	9.68	रिक्तियाँ व ईपीसी द्वारा क्रय को अंतिम रुप न देना
12		2210 एफ.1(1)(1)(1)-गुरु तेग बहादुर मेडिकल कॉलेज व हॉस्पिटल-मशीनरी व उपकरण एवं आपूर्ति व सामग्री	257.35	40.85	15.87	सामग्री का कम क्रय व ईपीसी द्वारा क्रय को अंतिम रुप न दिया जाना
13		2210 डब्लू.1(1)(1)(1)-मालवीय नगर कॉलोनी हॉस्पिटल-वेतन	24.11	13.05	54.13	पद का योजनागत से गैरयोजनागत में परिवर्तन
14		2210एडी .1(1)(1)(1)-गुरु गोविन्द सिंह हॉस्पिटल (रा.कें.प्रा.यो.)-वेतन, मशीनरी व उपकरण व आ.व.सा.	35.17	6.25	17.77	पद का योजनागत से गैरयोजनागत में परिवर्तन ईपीसी द्वारा क्रय को अंतिम रुप न दिया जाना, सीपीए दरें उपलब्ध न होना
15		2210 एजी.1(1)(1)(1)-नरेला में सत्यवादी राजा हरिश्चन्द्र हॉस्पिटल-वेतन	28.00	13.48	48.14	पद का योजनागत से गैरयोजनागत में परिवर्तन
16		2052 एके.1(1)(1)-स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण-लघु मरम्मत,रखरखाव (गैर-योजनागत)	104.00	47.63	45.80	योजना को अंतिम रुप न दिया जाना
		कुल	**833.78**	**219.52**		

अनुलग्नक 2.12
वर्ष की अंतिम तिमाही/मार्च माह में व्यय
(पैराग्राफ 2.7.7 को देखें)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान सं.	मु.शीर्ष./उप-शीर्ष	कुल प्रावधान	कुल व्यय	अंतिम तिमाही के दौरान व्यय		मार्च में व्यय	
					राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
2010-11								
1	07	2210 ए. 1(1)(3)(4) कर्मचारी बीमा निगम को योगदान	20.00	20.00	20.00	100.00	20.00	100.00
2	07	2210 ए.1(1)(1)(4)(6) दिल्ली राज्य कैंसर संस्थान	45.00	45.00	36.75	81.67	36.75	81.67
3	07	2210 ए 1(1)(5)(6) स्वास्थ्य प्रयोजन हेतु दि.न.नि. हेतु अनुदान	68.55	68.55	28.70	41.87	28.70	41.87
4	07	2210 ए. 1(3)(3)(7) गुर्दा व पित्त विज्ञान संस्थान को सहायता अनुदान	180.00	180.00	105.00	58.33	105.00	58.33
5	07	2210 के. 1(10)(2) राज्य स्वास्थ्य सोसाईटी (दिल्ली) को सहायता अनुदान	20.00	20.00	10.01	50.03	10.01	50.03
6	07	2210 एम. 1(1)(1)(12) खेड़ा डाबर में दिल्ली आयुर्वेदिक चरक संस्थान को सहायता अनुदान	37.00	27.07	27.07	100.00	27.07	100.0
7	08	2235 बी.2(1)(5)(1) भागीदारी-सामाजिक विकास की नई पहल	19.00	13.09	6.55	50.00	6.55	50.00
		कुल	**389.55**	**373.71**	**234.08**		**234.08**	
2011-12								
9	07	2210 ए 1(1)(5)(6) स्वास्थ्य प्रयोजन से दि.न.नि. को अनुदान	107.30	107.30	48.38	45.09	48.38	45.09
11	08	5055डीडी.1(2)(4) जेएनएनयूआरएम हेतु दिल्ली परिवहन निगम को इक्विटी पूंजी	241.00	201.00	112.23	55.83	112.23	55.83
12	08	7055 डीडी.4 (2)(3) आई एस बी टी हेतु डी टी टी डी सी को ऋण	20.00	20.00	20.00	100.00	20.00	100.00
		कुल	**368.3**	**328.3**	**180.61**		**180.61**	
2012-13								
13	07	2210 ए. 1(3)(3)(10)-एचआईवी/एड्स से प्रभावित व्यक्तियों को वित्तीय सहयोग	1.25	1.25	1.25	100.00	1.25	100.00
14	07	2211 के.1(4)(1)-विशेष प्रतिरक्षण कार्यक्रम एमएम आर	6.45	6.40	4.25	66.41	2.15	33.59
15	07	2211 के.1(9)(4)-ग्रामीण परिवार सेवाएँ	1.30	1.30	1.30	100.00	1.30	100.00
16	07	2211 के.1(10)(2)-राज्य स्वास्थ्य सोसाईटी दिल्ली को सहायता अनुदान	60.00	57.87	44.60	77.07	44.60	77.07
17	07	2210 एम. 1(1)(1)(1)(9)-आपूर्ति व सामग्री	4.84	4.67	4.67	100.00	4.67	100.00
18	07	2210 जेड. 1(1)(1)(7)-अन्य प्रशासकीय व्यय (पीवी) डा. एन. सी. जोशी मेमोरियल हॉस्पिटल	1.00	0.69	0.69	100.00	0.69	100.00

19	08	2235 ए.2 (1)(5)(4)(5)-वृद्ध जनों के पुनर्वास हेतु सहायता अनुदान (एनआईपी) अन्य योजनाएँ	0.09	0.08	0.08	100.00	0.08	100.00
20	08	2235 ए–2 (1)(8)(1) व. नागरिक पेंशन योजना (वृद्धावस्था सहायता का विस्तार) (रा.के.प्रा.यो.)	55.00	55.00	55.00	100.00	55.00	100.00
21	08	2235 ए.2 (1)(8)(2) अशक्त जनों को बेरोजगारी भत्ता (रा.के.प्रा.यो.)	1.00	1.00	1.00	100.00	1.00	10.00
22	08	4235 एए.1(1)(2)(1) वृद्धाश्रम	2.30	1.46	1.05	71.91	1.04	71.23
23	08	4235 एए.1(1)(2)(2) हाफ वे होम / लांगस्टे होम	14.00	14.00	7.00	50.00	7.00	50.00
24	08	2235 बी.2(1)(2)(18) राज्य बाल संरक्षण सोसाईटी को स.अ. (राज्य अंश)	0.70	0.65	0.65	100.00	0.65	100.00
25	08	2235 बी.2(1)(2)(19) राज्य बाल संरक्षण सोसाईटी को सहायता अनुदान (के.प्रा.यो.)	6.53	4.28	4.28	100.00	4.28	100.00
26	08	2225 सी.1(1)(2)(1) अजा/अजजा हेतु डीएसएफडीसी को वित्तीय सहायता	0.55	0.30	0.30	100.00	0.30	100.00
27	08	6225 सीसी.2(1)(2)(6) अजा/अजजा/अपिव/अल्प-संख्यक हेतु दिल्ली स्वरोजगार योजना हेतु डीएसएफडीसी को ऋण (रा.कें.प्रा.यो.)	20.00	20.00	20.00	100.00	20.00	100.00
28	08	5055 डीडी.1(2)(1) एमआरआई प्राधिकरण को इक्विटी पूंजी	749.70	749.70	449.70	59.98	449.70	59.98
29	08	5055 डीडी.1(2)(2) बसों के क्रय हेतु डीटीसी को इक्विटी पूंजी	200.00	199.55	199.55	100.00	199.55	100.00
		कुल	**1124.71**	**1118.2**	**795.37**		**793.26**	

अनुलग्नक 2.13

अधिक/अनावश्यक पूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 10 लाख या अधिक)

(पैराग्राफ 2.7.8 को देखें)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	अनुदान की संख्या व नाम	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान में से बचत	पूरक प्रावधान	बचत के कारण
	2010-11					
	राजस्व-दतमत					
	अनुदान सं.7-चिकित्सा व सार्वजनिक स्वास्थ्य					
1	2210 ए .1(1)(7)(1)-जे जे क्लस्टरों हेतु मोबाईल वैन डिस्पेंसरियाँ (एससीएसपी)	996.00	983.80	12.20	135.00	औषधियों की आपूर्ति प्राप्त न होने तथा अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण भाड़े के वाहनों का भुगतान न होना।
2	2210 डी.1(1)(1)(1) अरुणा आसफ अली अस्पताल (सिविल अस्पताल)	3241.77	2756.56	485.21	150.00	रिक्त पदों का न भरा जाना, पदधारियों का परिवर्तन व कम दावों की प्राप्ति
3	2210 आई.1(1)(1)(2)-खाद्य व आपूर्ति	120.00	24.46	95.54	290.00	तकनीकी स्टाफ उपलब्ध न होने के कारण उपकरणों का क्रय न होना
4	2210 एम.1(1)(1)(1)-आईएसएम व होम्योपैथी निदेशालय	1005.90	963.91	41.99	45.00	कुछ प्रशासकीय कारणों से एलटीसी बिलों को अंतिम रूप न दिया
5	2210 एन.1(1)(1)(1)-डा. बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल	7557.00	7321.17	235.83	580.00	कम भण्डार मदों का क्रय तथा कम दावों/बिलों की प्राप्ति
6	2210 टी.1(1)(1)(1)-सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल	2087.00	1839.41	247.59	82.00	रिक्त पदों का न भरा जाना, पदधारियों का परिवर्तन तथा कम दावों / बिलों की प्राप्ति
7	2210 वी.1(1)(1)(1)-भगवान महावीर अस्पताल	2800.00	2699.14	100.86	109.00	एसआर/ जेआर के रिक्त पदों का न भरा जाना ।
8	2210 वाई.1(1)(1)(1)-शास्त्री पार्क अस्पताल	3000.00	2787.92	212.08	100.00	कम भण्डार मदों का प्रापण तथा कम दावों/बिलों की प्राप्ति
	अनुदान सं.8 समाज कल्याण					
9	2235 बी.2(1)(2)(2)-बाल गृह बालकों हेतु आब्जर्वेशन होम	668.13	651.26	16.87	29.42	उपलब्ध नहीं
10	2235 बी.2(1)(2)(10)-बाल सदन	88.00	42.27	45.73	14.00	कम भण्डार मदों का प्रापण तथा कम दावों/बिलों की प्राप्ति
11	2235 बी.2(1)(3)(4)-नारी निकेतन	101.90	86.68	15.22	12.00	उपलब्ध नहीं
12	2235 बी.2(1)(3)(10)-राज्य महिला आयोग	248.00	248.00	-	76.00	समय पर संस्वीकृति प्राप्त न होना
13	2235 बी.2(1)(3)(21)-लाडली योजना	10300.00	8814.24	1485.76	700.00	कम लाभार्थी संख्या
14	2235 बी.2(1)(4)(1)-ग्राम कुटीर गृह	115.30	112.54	2.76	15.98	उपलब्ध नहीं
15	2236 बी.3(1)(1)(10)-राजीव गाँधी किशोरी सशक्तिकरण योजना (आरजीएसईएजी)	-	-	-	95.26	योजना का गैर क्रियान्वयन
16	2225 सी.1(1)(1)(1)-अजा/अजजा-निर्देशन व प्रशासन (एससीएसपी)	294.20	219.28	74.92	22.00	रिक्त पद न भरा जाना व कम विज्ञापन

17	3452 ई.1(2)(3)(9)- संजय लेक में सॉफ्ट एडवेंचर पार्क के निर्माण हेतु दि.प.प.वि.नि. हेतु स.अ.	-	-	-	362.00	दी.प.प.वि.नि. को अनुदान जारी न होना
	कुल	**32623.20**	**29550.64**	**3072.56**	**2817.66**	
	2011-12					
	राजस्व- दत्तमत					
	अनुदान सं. 7 –चिकित्सा व सार्वजनिक स्वास्थ्य					
18	2210 ए.1(1)(3)(1)-कर्मचारी राज्य बीमा निगम को योगदान	1260.00	0.00	1260.00	716.20	योजना का गैर क्रियान्वयन
19	2210 बी.1(1)(1)(1)-लोक नायक अस्पताल	23721.50	22954.39	767.11	645.00	रिक्त पद न भरे जाने, कम दावों/बिलों की प्राप्ति, कम भण्डार मदों का क्रय तथा कम लाभार्थी संख्या
20	2210 सी.1(1)(1)(1)-जी.बी.पंत अस्पताल	18328.00	17911.33	416.67	300.00	रिक्त पद तथा क्रय प्रस्तावों को अंतिम रुप न देना
21	2210 एन.1(1)(1)(1)-डा. बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल	8206.00	7339.21	866.79	100.00	रिक्त पद न भरे जाने तथा कम दावों/बिलों की प्राप्ति
22	2210 क्यू.1(1)(1)(1)-डा. हेडगेवर-आरोग्य संस्थान	3600.00	3268.41	331.59	90.00	रिक्त पदों का न भरा जाने, कम दावों बिलों की प्राप्ति, कम मशीनरी व उपकरणों का प्रापण
23	2210 वी.1(1)(1)(1)-भगवान महावीर हास्पिटल	3200.00	2923.98	276.02	574.20	रिक्त पद न भरे जाने, कम दावों/ बिलों की प्राप्ति, कम भण्डारों का क्रय तथा मशीनरी व उपकरणों के क्रय हेतु निविदाओं को अंतिम रुप न दिया जाना
24	2210 डब्लयू.1(1)(1)(1) मालवीय नगर कॉलोनी अस्पताल	2189.00	1879.86	309.14	100.00	रिक्त पद न भरे जाने, कम दावों/ बिलों की प्राप्ति, कम भण्डारों का क्रय तथा मशीनरी व उपकरणों के क्रय हेतु निविदाओं को अंतिम रुप न दिया जाना
25	2210 एबी.1(1)(1)(1)-लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल (एससीएसपी)	4171.80	3924.56	247.24	61.53	रिक्त पद न भरे जाने, कम दावों/बिलों की प्राप्ति, कम भण्डारों का क्रय तथा मशीनरी व उपकरणों के क्रय हेतु निविदाओं को अंतिम रुप न दिया जाना
26	2210 एडी.1(1)(1)(1)-गुरु गोविन्द सिंह अस्पताल (एससीएसपी)	2911.70	2881.83	29.87	180.00	कम भण्डारों का क्रय, रिक्तियों, कम बिलों की प्राप्ति तथा मशीनरी व उपकरण के क्रय हेतु निविदाओं को अंतिम रुप न दिया जाना
27	2210 एई.1(1)(1)(1)-बाबू जगजीवन राम अस्पताल (एससीएसपी)	2514.00	2259.98	254.02	130.00	रिक्त पदों का न भरा जाना, कम बिजली बिलों की प्राप्ति तथा क्रय प्रस्तावों को अंतिम रुप न दिया जाना
28	2210 एजी.1(1)(1)(1)- नरेला में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अस्पताल	2400.00	2363.00	37.00	110.00	मशीनरी व उपकरण के क्रय हेतु प्रस्तावों को अंतिम रुप न दिया जाना तथा समय पर सामग्री व आपूर्ति के बिलों की प्राप्ति
29	2210 एएच.1(1)(1)(1)-आ. एवं यू.	1872.20	1855.39	16.81	92.00	रिक्तियों, कम लाभार्थी

	तिबिया कालेज					संख्या
	अनुदान सं. 8 समाज कल्याण					
30	2225 सी.1(1)(3)(9)-अजा/अजजा/अपिव तथा अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृति- कक्षा I से XII	4023.00	3601.85	421.15	677.00	योजना के अन्तर्गत स्थानीय निकायों से कम माँग
31	2225 सी.1(3)(1)(7)-अल्पसंख्यक बहुल जिलों हेतु बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (कें.प्रा.यो.)	200.00	49.56	150.44	193.35	कुछ प्रशासकीय कारणों से निधि जारी होने की संस्वीकृति प्राप्त न होना
	कुल	**78597.20**	**73213.35**	**5383.85**	**3969.28**	
	2012-13					
	राजस्व-दतमत					
	अनुदान सं. 8 समाज कल्याण					
32	2235 ए.2(1)(5)(4)-अन्य योजनाएँ	106.38	68.00	38.38	5.00	कारणों की प्रतीक्षा है।
33	2235 बी.2(1)(1)(3)-सुरक्षा आंतरिक व बाह्य तथा स्वच्छता अभिवृद्धि (डीडब्ल्यूसीडी)	500.00	483.68	16.32	150.00	कम दरों पर नई एजेंसी की नियुक्ति
34	2235 बी.2(1)(5)(1)-भागीदारी-सामाजिक विकास में नई पहल	1850.00	1845.44	4.56	180.00	योजना की धीमी प्रगति
35	2236 बी.3(1)(1)(2)-किशोरी कन्याओं हेतु योजना (किशोरी शक्ति योजना)	70.00	67.32	2.68	3.00	उपलब्ध नहीं
36	2225 सी.1(1)(1)(15)-अजा हेतु शिक्षा का केन्द्र (एससीएसपी)	900.00	0	900.00	100.00	योजना का क्रियान्वयन न होना
37	2225 सी.1(1)(3)(5)-विद्यालयों में अनुसूचित जाति के छात्रों को पुस्तक व लेखन सामग्री की नि:शुल्क आपूर्ति	5500.00	5277.86	222.14	115.00	क्रियान्वय विभाग द्वारा निधि का उपयोग न होना
38	3452 ई.1(1)(1)(5)-सईद-उद-अजायब में पर्यटक काम्प्लेक्स (कें.प्रा.यो.)	50.00	0	50.00	50.00	भारत सरकार से निधि प्राप्त न होना
39	3452 ई.1(2)(3)(9)-संजय लेक में सॉफ्ट एडवेंचर पार्क के निर्माण हेतु दि.प.प.वि.नि. हेतु सहायता अनुदान (कें.प्रा.यो.)	10.00	0	10.00	350.00	भारत सरकार से निधि प्राप्त न होना
40	3452 ई.1(2)(3)(12)-दिल्ली हाट, आईएनए, नई दिल्ली में नई सुविधाओं हेतु दि.प.प.वि.नि. को सहायता अनुदान	5.00	0	5.00	10.00	कारणों की प्रतीक्षा है।
	कुल	**8991.38**	**7742.30**	**1249.08**	**963.00**	

अनुलग्नक-2.14

निधियों का अधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोजन (जिनमें अंतिम बचतें ₹ एक करोड़ से अधिक थी)

(पैराग्राफ 2.7.9 को देखें)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या व नाम	पुनर्विनियोजन	अंतिम बचतें	बचतों का कारण
2010-11				
राजस्व- दत्तमत				
अनुदान सं. 7:चिकित्सा व सार्वजनिक स्वास्थ्य				
1	2210 डा. एन. सी. जोशी मेमोरियल अस्पताल जेड.1(1)(1)(1) शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ, एलोपैथीः अस्पताल व डिस्पेंसरी	0.39	1.87	रिक्त पद न भरे जाने कम दावों/बिलों की प्राप्ति तथा मशीनरी व उपकरणों का प्रापण
2	2210 स्वास्थ्य-सह-मातृत्व चिकित्सालय, कांतिनगर ए एल.1 (1)(1)(1) शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ, एलोपैथी अस्पताल व डिस्पेंसरी	0.02	1.21	रिक्त पद न भरे जाने कम दावों/बिलों की प्राप्ति तथा मशीनरी व उपकरणों का प्रापण
अनुदान सं. 8-समाज कल्याण				
3	2235 ए.2(1)(1)(1)-समाज कल्याण निदेशालय	1.06	1.79	कम दावों/बिलों की प्राप्ति तथा कम भण्डार मदों का प्रापण
पूंजीगत- दत्तमत				
अनुदान सं. 8-समाज कल्याण				
4	4235 एए.1(1)(1)(1)-वर्तमान भवन में अतिरिक्त सुविधाओं का प्रावधान	0.99	1.17	कार्य की धीमी प्रगति
	कुल	**2.46**	**6.04**	
2011-12				
राजस्व- दत्तमत				
अनुदान सं. 7:चिकित्सा व सार्वजनिक स्वास्थ्य				
5	2210 सी.1(1)(1)(1)-जी.बी.पंत अस्पताल	3.69	10.85	रिक्त पद व क्रय प्रस्तावों को अंतिम रुप न दिया जाना
6	2210 आई.1(1)(1)(1)-खाद्य अपमिश्रण रोकथाम अधिनियम का क्रियान्वयन	0.71	1.32	रिक्त पद न भरे जाना
7	2216 क्यू.1(1)(1)(1)-डा. हेडगेवर आरोग्य संस्थान	1.10	5.32	रिक्त पद न भरे जाने तथा मशीनरी व उपकरण के क्रय को अंतिम रुप न दिया जाना
8	2210 टी.1(1)(1)(1)-सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल	0.18	1.01	मशीनरी व उपकरण के प्रापण हेतु निविदा को अंतिम रुप न दिया जाना
9	2210 ए एफ.1(1)(1)(1)-महर्षि बाल्मीकि अस्पताल	0.46	1.81	रिक्त पद न भरे जाने कम बिजली बिलों की प्राप्ति तथा क्रय प्रस्तावों को अंतिम रुप न दिया जाना
10	2210 एजे.1(1)(1)(1)(1)-नेहरु होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एण्ड अस्पताल	0.36	1.35	रिक्तियाँ, कम बिलों की प्राप्ति व निविदाओं को अंतिम रुप न दिया जाना
अनुदान सं. 8-समाज कल्याण				
11	2235 ए.2(1)(1)(1)-समाज कल्याण निदेशालय	0.26	1.13	सम्बन्धित विभाग द्वारा सीसीटीवी हेतु भुगतान को क्लियरेंस प्राप्त न होना
12	2225 सी.1(3)(1)(7)-अल्पसंख्यक बहुल जिलों हेतु बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (कें.प्रा.यो.)	1.25	4.69	कुछ प्रशासकीय कारणों से निधि के जारी होने हेतु संस्वीकृति प्राप्त न होना
13	2041 डी.1(4)(2)-परिवहन निदेशालय के अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण न होना	0.06	2.12	योजना की धीमी प्रगति

14	3452 ई.1(2)(2)(3)-पर्यटक स्थल के रुप में दिल्ली में पर्यटन को बढ़ावा	1.09	1.63	वित्त विभाग से अनुमोदन प्राप्त न होना
15	3452 ई.1(2)(2)((4)- पर्यटन अवसंरचना	0.99	1.05	वित्त विभाग से तरण-जेटी के क्रय हेतु अनुमोदन प्राप्त न होना
पूंजीगत- दत्तमत				
अनुदान सं. 8-समाज कल्याण				
16	4235 एए.1(1)(2)(2)-हाफ वे होम/लॉग स्टे होम	4.99	5.00	प्रस्तावों में प्रशासकीय आवश्यकताओं की पूर्ति न होना
17	4225 सीसी.1(1)(2)(1)-शिक्षा के माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक कॉलेज/विश्वविद्यालय स्तर पर पढ़ने वाले छात्रों हेतु छात्रावास का निर्माण	0.47	2.47	योजना का क्रियान्वयन न होना
	कुल	**15.61**	**39.75**	
2012-13				
राजस्व- दत्तमत				
अनुदान सं. 7:चिकित्सा व सार्वजनिक स्वास्थ्य				
18	2210 बी.1(1)(1)(1)-लोक नायक अस्पताल	15.43	30.15	रिक्तियाँ, उपकरणों के क्रय हेतु निविदाओं को अंतिम रुप न दिया जाना तथा समय पर बिल प्राप्त न होना
19	2210 ओ.1(1)(1)(1)-राजीव गाँधी सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल	1.50	2.00	रिक्तियाँ, ई-निविदाओं को अंतिम रुप न दिया जाना तथा कम दावों/बिलों की प्राप्ति
20	2210 टी.1(1)(1)(1)-सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल	1.61	2.36	रिक्त पद का न भरा जाना
21	2210 यू.1(1)(1)(1)-अत्तर सेन अस्पताल	2.18	3.02	पदों को योजनागत से गैर-योजनागत में बदला जाना, कम प्रशिक्षण कार्यक्रम व कम मशीनरी व उपकरण का क्रय
अनुदान सं. 8-समाज कल्याण				
22	2235 बी.2(1)(3)(14)-कामकाजी महिला छात्रावास	0.31	0.50	रोहिणी में कामकाजी महिला छात्रावास का उद्घाटन न होना
23	2225 सी.1(1)(3)(14)- योग्यता-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति (कें.प्रा.यो.)	2.09	2.14	कुछ छात्रों द्वारा आधार कार्ड प्रस्तुत न किया जाना
24	2225 सी.1(3)(1)(7)-अल्पसंख्यक बहुल जिलों हेतु बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (कें.प्रा.यो.)	9.00	10.00	क्रियान्वयक विभाग द्वारा निधियों का उपयोग न होना
पूंजीगत- दत्तमत				
अनुदान सं. 8-समाज कल्याण				
25	7055 डी.डी.4(1)(5)-बिक्री कर की प्रतिपूर्ति हेतु एमआरटीएस को ऋण	99.48	300.00	एमआरटीएस को ऋण जारी न होना
26	5452 ईई.1(1)(2)(1)-पीतमपुरा में दिल्ली हाट का निर्माण (कें.प्रा.यो.)	0.62	0.72	योजना का क्रियान्वयन न होना
कुल		**132.22**	**350.89**	

परिशिष्ट 3.1

स्वायत संस्थाओं के कार्य निष्पादन को प्रदर्शित करने वाली विवरणी
(पैराग्राफ 3.2 को देखें)

क्र.सं.	निकायों के नाम	सोंपेजाने की अवधि	जिस वर्ष तक के लेखें जमा कराए गए	जिस अवधि तक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्टें जारी की गई	विधायिका में प्रस्तुति की गई पृ.ले.प.प्र.	लेखें प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब	विलम्ब की अवधि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	दिल्ली कल्याण समिति (दि.क.स.)	2004-05 से 2013-14	2011-12	2011-12	-	हाँ	4 माह
2.	गुरू गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (जीजीएस) आईपीयू)	सौपां गया माना जाएगा	2011-12	2011-12	2009-10	–	1 वर्ष
3.	नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी संस्थान (एनएसआईटी)	2007-08 to 2011-12	2007-08 व 2008-09	2008-09	1999-2003	हाँ	3 से 4 वर्ष
4.	दिल्ली जल बोर्ड (दि.ज.बो.)	सीएजी के कार्यालय का स्पष्टीकरण	2006-07 व 2007-08	2006-07	2003-04	हाँ	4 से 5 वर्ष
5.	दिल्ली भवन निर्माण तथा अन्य निर्माण कर्मचारी कल्याण बोर्ड	-	2002-03 से 2011-12	2002-03 व 2004-05	-	हाँ	1 माह से 9 वर्ष
6.	दिल्ली अ.जा/अ.ज./अ.पी.व./अल्प संख्यक तथा विकलाँग वित्त एवं विकास निगम लि.	कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत सुपुर्दगी	2003-04	2003-04	-	हाँ	8 वर्ष
7	दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए)	स्थापना से	2011-12	2011-12	-	–	–
8	दिल्ली विद्युत विनियामक प्राधिकरण (डीईआरसी)	स्थापना से	2011-12	2011-12	2011-12	हाँ	–

परिशिष्ट 3.2

दुरूपयोग, गबन आदि के मामलों का विभाग–वार/अवधि–वार विवरण
(मामले जिनमें मार्च 2013 तक अंतिम कार्यवाही लम्बित थी)
(पैराग्राफ 3.3 को देखे)

क्र. सं.	विभाग का नाम	5 वर्ष तक	5 से 10 वर्ष	10 से 15 वर्ष	10 से 15 वर्ष	कुल मामलों की संख्या
1	चिकित्सालय	-	7	1	-	8
2	एन.सी.सी.	-	2	-	-	2
3	शिक्षा	1	1	4	1	7
4	प्रशिक्षण व तकनीकी शिक्षा विभाग	-	1	-	-	1
5	समाज कल्याण विभाग	-	-	1	1	2
6	गुरू नानक देव पोलीटेक्निक	-	1	-	-	1
7	विविध	2	-	-	-	2
	कुल	3	12	6	2	23

परिशिष्ट 3.3

सरकारी सामान की चोरी, दुरूपयोग/हानि के कारण सरकार को हानि के मामलों के संबंध में विभाग–वार/श्रेणी–वार विवरण

(पैराग्राफ 3.3 को देखे)

विभाग का नाम	चोरी के मामले		सरकरी मदों का/ दुरुपयोग/हानि		कुल	
	मामलों की संख्या	धनराशि (₹ लाख में)	मामलों की संख्या	धनराशि (₹ लाख में)	मामलों की संख्या	धनराशि (₹ लाख में)
चिकित्सालय	3	दिखाया नहीं गया	5	9.78	8	9.78
एन.सी.सी.	-	-	2	0.11	2	0.11
शिक्षा	3	0.06	4	12.69	7	12.75
प्रशिक्षण व तकनीकी शिक्षा विभाग	1	दिखाया नहीं गया	-	-	1	-
समाज कल्याण विभाग	1	0.40	1	0.01	2	0.41
गुरू नानक देव पोलीटेक्निक	1	दिखाया नहीं गया	–	-	1	दिखाया नहीं गया
विविध	2	दिखाया नहीं गया	–	-	2	दिखाया नहीं गया
कुल	**11**	**0.46**	**12**	**22.59**	**23**	**23.05**